



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112024-259014
CG-DL-E-29112024-259014

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 2024/अग्रहायण 6, 1946

No. 320]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2024/AGRAHAYAN 6, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2024

मामला सं. सीवीडी-एसएसआर-14/2023

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “सैक्रिन” के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा।

क. पृष्ठभूमि

फा.संख्या7/34/2023-डीजीटीआर.—प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 6/18/2018-डीजीएडी दिनांक 10 अगस्त, 2018 के माध्यम से चीन जन.गण. (जिसे आगे “संबद्ध देश” कहा गया है) से “सैक्रिन” (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” कहा गया है) के आयातों के संबंध में एक सब्सिडीरोधी जांच शुरु की गई थी। विस्तृत जांच के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह निष्कर्ष था कि संबद्ध वस्तु के उत्पादकों को चीन की सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी प्रतिसंतुलन योग्य स्वरूप की है और सब्सिडी प्राप्त कीमतों पर चीन जन.गण. से निर्यातित संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रही है। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम सं. 6/18/2018-

डीजीएडी दिनांक 19 जून, 2019 के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 2/2919-सीमा शुल्क (सीवीडी), दिनांक 30 अगस्त, 2019 के माध्यम से निश्चयात्मक उपाय लगाए गए थे। तत्पश्चात् थाईलैंड से सैक्रिन के आयातों से संबंधित एक प्रवंचनारोधी जांच अधिसूचना सं. 07/05/2022-डीजीटीआर, दिनांक 17 मार्च, 2022 के माध्यम से शुरु की गई थी। प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 07/05/2022 के माध्यम से थाईलैंड से आयातों पर मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का समय बढ़ाने की सिफारिश की थी जिसे सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 04/2022 – सीमाशुल्क (सीवीडी) दिनांक 21.10.2022 के माध्यम से लगाया गया था। वर्तमान समीक्षा का परिणाम निकलने तक चीन जन.गण. पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की अवधि को अधिसूचना सं. 02/2024-सीमाशुल्क (सीवीडी), दिनांक 28 मई, 2024 के माध्यम से 28 फरवरी, 2025 तक बढ़ाया गया है।

2. अधिनियम की धारा 9(6) और सीवीडी नियमावली के नियम 24(3) के अनुसार लागू प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को यदि पहले न हटाया जाए तो वह इसे लगाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाता है और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या उक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की समाप्ति से सब्सिडीकरण और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इनके अनुसार प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है और क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से सब्सिडीकरण और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
3. ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड और स्वाति पैट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें आगे संयुक्त रूप से “आवेदक” कहा गया है) ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।
4. आवेदकों ने प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की अवधि को जारी रखने और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध शुल्क की राशि में वृद्धि करने की मांग की है। यह अनुरोध इस बात पर आधारित है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के समाप्त होने के परिणामस्वरूप संबद्ध वस्तु के सब्सिडी प्राप्त आयातों के जारी रहने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना है।
5. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 7/34/2023-डीजीटीआर, दिनांक 26 मार्च, 2024 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसके तहत नियमावली के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत की गई ताकि कथित सब्सिडी की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और सब्सिडीरोधी/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।
6. वर्तमान समीक्षा के दायरे में अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 6/18/2018-डीजीएडी, दिनांक 19 जून, 2019 के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

7. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध निर्णायक समीक्षा के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- i. प्राधिकारी को, उक्त नियमावली के अन्तर्गत घरेलू उद्योग के रूप में आवेदकों से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें भारत में विचाराधीन उत्पाद के सब्सिडी प्राप्त आयातों के जारी रहने और ऐसे आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना की दलील दी गई है।
- ii. प्राधिकारी ने नियम 6(5) के अनुसार जांच की शुरुआत से पहले समीक्षा के आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में चीन जन.गण. के दूतावास को सूचित किया।
- iii. प्राधिकारी ने सब्सिडियों और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी डब्ल्यूटीओ करार (जिसे आगे “एएससीएम” कहा गया है) के अनुच्छेद 13 के अनुसार जांच पूर्व परामर्श के लिए चीन जन.गण. की सरकार को अवसर दिया। चीन की सरकार ने यह उत्तर दिया कि आवेदन में कोई सच्चाई या साक्ष्य नहीं हैं और प्राधिकारी द्वारा इसे खारिज किया जाना चाहिए। उसके बाद प्राधिकारी ने एक अनुस्मारक भेजा जिसका चीन की सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया।
- iv. तत्पश्चात प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित सब्सिडीरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 26 मार्च, 2024 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- v. प्राधिकारी ने भारत में चीन के दूतावास, चीन जन.गण. से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 26 मार्च, 2024 की जांच शुरुआत अधिसूचना की एक एक प्रति भेजी थी। हितबद्ध पक्षकारों को विहित ढंग और प्रपत्र से संगत सूचना देने और विहित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने अनुरोधों से अवगत कराने की सलाह दी गई थी।
- vi. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7(3) के अनुसार चीन के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और चीन जन.गण. के दूतावास को आवेदन की अगोपनीय अंश की एक प्रति उपलब्ध कराई।
- vii. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू का उत्तर केवल घरेलू उद्योग ने दिया।
- viii. प्राधिकारी ने ऐसी विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के संबंध में विहित प्रपत्र और ढंग से संगत सूचना मांगते हुए चीन की सरकार को एक प्रश्नावली भेजी जिनमें विचाराधीन उत्पाद के चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को प्रतिसंतुलन योग्य लाभ दिया जा सकता हो। चीन की सरकार ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।
- ix. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार चीन जन.गण. में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:
 - क. ए.एच.ए. इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
 - ख. अनहुई इबाय इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
 - ग. सिडिक होल्लिंग कंपनी लिमिटेड

- घ. कोस्मोस वीयू लिमिटेड
- ड. गुआग्सी गोल्डन स्ट्राइड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
- च. हांगझोऊ डावन रे फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड
- छ. हांगझोऊ यिआस्टार बायोटेक कंपनी लिमिटेड
- ज. हेबेई युनशेंग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- झ. हेबेई युवेई बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- ञ. हेनान कइफेंग पिंगमेई शेनमा
- ट. हेनान काइझू टेक्निकल कंपनी लिमिटेड
- ठ. जियाली-बायो ग्रुप क्विंगडाओ लिमिटेड
- ड. क्विंगडाओ रुईसिंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- ढ. सिनोकेम सप्लाई चेन मैनेजमेंट
- ण. तियांगजिन चंगजी केमिकल कंपनी लिमिटेड
- त. जेडएफ सनगोल्ड कारपोरेशन
- थ. झेजियांग केमिकल्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट
- x. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित निर्यातक ने उत्तर दिया और एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत हुआ। तथापि, उसने केवल कानूनी अनुरोध प्रस्तुत किए परंतु निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर और आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।
- क. शंघाई फार्चून केमिकल कंपनी लिमिटेड
- xi. भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं से नियमावली के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए प्रश्नावली भेजी गई थी:
- क. 3एम इंडिया लिमिटेड
- ख. एडकॉक इंग्राम लिमिटेड
- ग. आनन्द इंटरप्राइजेज
- घ. अंसुल लाइफ साइसेंज
- ड. एपीएल हेल्थकेयर लिमिटेड
- च. औरबिंदो फार्मा लिमिटेड
- छ. औरिजीन फार्मास्युटिकल सर्विसेज लिमिटेड
- ज. बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड
- झ. केम इंटरनेशनल

- ज. क्रोमाटोपाक एनेलिटिकल इन्स्ट्रुमेंटेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ट. कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड
- ठ. डीकेएसएच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ड. इलैक्ट्रोकेम टेक्नोलोजिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ढ. गंगा इंटरप्राइजेज
- ण. जीएलएस ग्लोबल लैब साल्यूशनंस प्राइवेट लिमिटेड
- त. गौरी रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
- थ. हिंद एग्रो सेल्स
- द. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
- ध. जयमारुति पोलीकेम एलएलपी
- न. जेट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
- प. कुसुम फार्मा
- फ. मेडोफार्म
- ब. मेर्क लाइफ साईंस प्राइवेट लिमिटेड
- भ. मेटलर-टोलेडो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- म. मिनर्वा बायोजेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
- य. मोलिक्यूल्स एनेलिटिकल लैब साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
- कक. मिलन लैबोरेट्रीज लिमिटेड
- खख. नक्षेत्रा मैनेजमेंट सर्विसेज
- गग. फिजर हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- घघ. फार्मोनिक्स बायोलॉजिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
- डड. प्लेनेट साईंस
- चच. रेडियन प्रोडक्ट्स एलएलपी
- छछ. रक्ष फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
- जज. रामदेव केमिकल प्राइवेट लिमिटेड
- झझ. रेकिट बेंकिसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ञञ. एस केसरमल
- टट. संदीप आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड

ठठ. श्री यमुना इंटरप्राइजेज

डड. सिगमा एल्ट्रिच केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

ढढ. सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

णण. टेकनिरवाना ट्रेडलिंग प्राइवेट लिमिटेड

तत. थर्मो फिशर साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

थथ. टीटीके हेल्थकेयर लिमिटेड

दद. अल्ट्रा इंटरनेशनल

धध. वाटसन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड

- xii. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित दो पक्षकारों ने उत्तर दिया और हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत हुए। तथापि उन्होंने केवल कानूनी अनुरोध प्रस्तुत किए और किसी भी पक्षकार ने न तो प्रयोक्ता/आयातक प्रश्नावली और न ही आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया।

क. चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसंस एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स (सीसीसीएमएचपीआईई)

ख. संदीप आर्गेनिक्स

- xiii. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई है कि वे अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल कर दें।
- xiv. ऐसे निर्यातकों, उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने न तो प्राधिकारी को उत्तर दिया और न ही इस जांच के संगत पर्याप्त सूचना दी, असहयोगी माना गया है।
- xv. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर, 2022 – 30 सितंबर, 2023 (12 महीने) की है और क्षति अवधि 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, और जांच की अवधि शामिल है।
- xvi. प्राधिकारी ने सौदों की आवश्यक जांच के बाद अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- xvii. उत्पाद की ईष्टतम लागत और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत को ज्ञात किया गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या सब्सिडी मार्जिन से कमतर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xviii. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना का आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था। इस अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर भरोसा किया गया है।

- xix. प्राधिकारी ने नियम 7(6) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए 10 अक्तूबर, 2024 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की थी। मौखिक सुनवाई हाइब्रिड मोड में हुई थी। मौखिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने वाले सभी पक्षकारों को 16 अक्तूबर, 2024 तक लिखित में अपने अनुरोध प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध का 22 अक्तूबर, 2024 तक खंडन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी।
- xx. प्राधिकारी ने केन्द्र सरकार को अंतिम सिफारिश करने के लिए विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्यों वाला एक प्रकटन विवरण 14 नवंबर, 2024 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया था। प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की संगत समझी गई सीमा तक जांच की है। ऐसा कोई अनुरोध जो केवल पूर्ववर्ती अनुरोध का पुनः प्रस्तुतिकरण है और जिसकी प्राधिकारी ने पर्याप्त जांच की थी, संक्षिप्तता के कारण दोहराया नहीं गया है।
- xxi. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर उनके संगत पाए जाने पर प्राधिकारी ने अनिवार्य विचाराधीन तथ्यों के निर्धारण हेतु विचार किया है।
- xxii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीय के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।
- xxiii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान समयबद्ध तरीके से आवश्यक सूचना देने से मना किया है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकार को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए हैं।
- xxiv. इस अंतिम जांच परिणाम में *** चिन्ह हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अन्तर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- xxv. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर=83.21 भारतीय रुपए है।

ग. चीन की सरकार द्वारा सहयोग का स्तर

8. प्राधिकारी नोट करते हैं कि लिखित पत्र और विचार-विमर्श के ज़रिए चीन जन.गण. की सरकार ("जीओसी") को आवेदकों द्वारा बताई गई विभिन्न सब्सिडी स्कीमों की मौजूदगी, प्रचालनों और प्रशासन से संबंधित संगत सूचना देने, डब्ल्यूटीओ एएससीएम और सीवीडी नियमावली के तहत उनकी

प्रतिसंतुलन योग्यता और इन स्कीमों के अंतर्गत चीन के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा लिए गए लाभ से संबंधित संगत सूचना देने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। चीन की सरकार ने न तो प्रश्नावली का उत्तर दिया और न ही विभिन्न सब्सिडी स्कीमों से संगत कोई सूचना प्रदान की। इस प्रकार, चीन की सरकार ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है। यदि चीन की सरकार ने संगत सूचना/दस्तावेज/साक्ष्य के साथ प्रश्नावली का उत्तर देकर प्राधिकारी से सहयोग किया होता तो प्राधिकारी ऐसी सूचना/दस्तावेज/साक्ष्य के आधार पर निर्धारण करने की स्थिति में होते। चूंकि चीन की सरकार ने अपेक्षित सहयोग नहीं दिया है, इसलिए प्राधिकारी इस जांच परिणाम में उपलब्ध सूचना के साथ आगे की कार्यवाही करने के लिए बाध्य हैं।

घ. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

9. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नानुसार अनुरोध किए गए हैं:

- क. संबद्ध वस्तु, जो मानव प्रयोग/खपत अर्थात् खाद्य पदार्थ, भेषज, त्वचा देखभाल उत्पाद आदि के लिए लक्षित हैं, उन्हें संयुक्त राज्य फार्माकोपिया ("यूएसपी") का अनुपालन करना चाहिए जबकि संबद्ध वस्तुएं इलैक्ट्रोप्लेटिंग, मेटलवर्किंग फ्लूड और अन्य औद्योगिक उपयोगों जैसे प्रयोग के लिए हैं, इसलिए उन्हें इसका पालन नहीं करना होगा।
- ख. यूएसपी मानकों का पालन करने वाली संबद्ध वस्तु उस संबद्ध वस्तु की तुलना में संबद्ध वस्तु की लागत और कीमत को बढ़ा देती है जो उन मानकों का पालन नहीं करती हैं और पीसीएन को इस आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ग. संबद्ध वस्तु की कीमत सोडियम या विलेय और अविलेय सैक्रिन के लिए अलग अलग है।
- घ. सोडियम या विलेय सैक्रिन का अधिक आयात होता है।
- ड. संबद्ध वस्तु की कीमत ड्रम या बैग में संबद्ध वस्तु की पैकिंग के अनुसार अलग अलग होती हैं।
- च. संबद्ध वस्तु की कीमत मैश के आकार के अनुसार भी भिन्न भिन्न होती है, जितना बड़ा मैश उतनी अधिक कीमत होती है।
- छ. संबद्ध वस्तुएं जल की मात्रा कीमत को प्रभावित करती है क्योंकि पाउडर तुलनात्मक रूप से सस्ता होता है।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

10. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- क. भारत में संबद्ध वस्तु को विभिन्न ग्रेडों या विनिर्देशों में उत्पादित नहीं किया जाता और उनके लक्षित प्रयोग पर विचार किए बिना उनकी विशेषताएं समान रहती हैं।
- ख. संबद्ध वस्तु का लक्षित प्रयोग उत्पादन के स्तर पर विचाराधीन नहीं है और खाद्य प्रयोग तथा अन्य प्रयोग जैसे भेषज या इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्रयोग के लिए लक्षित उत्पादन में कोई खास अंतर नहीं होता है।

- ग. जिस क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से संबद्ध वस्तु गुजरती है, वह उत्पाद के उच्चतम और शुद्धतम ग्रेड को सदैव देता है जिसे सभी प्रयोगों में लिया जा सकता है।
- घ. संबद्ध वस्तु के बारे में प्राधिकारी द्वारा की गई जांच के परिणाम के इतिहास में 2008 में पहली जांच से संबद्ध वस्तु के लिए कोई पीसीएन आबंटित नहीं किया गया है।
- ङ. प्राधिकारी ने जांच में बार-बार माना है कि सैक्रिन के विलेय और अविलेय रूप के बीच कोई खास अंतर नहीं है, जैसा इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तु के आयातों संबंधी पाटनरोधी जांच में माना गया था।
- च. आवेदकों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में अंतर के परिणामस्वरूप उत्पाद में अंतर नहीं होता है।
- छ. दोनों प्रक्रियाओं से उत्पादित संबद्ध वस्तु उपभोक्ताओं द्वारा एकसमान मानी जाती है।
- ज. दोनों प्रक्रियाओं के ज़रिए उत्पादित संबद्ध वस्तु के कार्य और प्रयोग समान होते हैं और उपभोक्ता इन दोनों उत्पादों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं।
- झ. दोनों प्रक्रियाओं से उत्पादित संबद्ध वस्तु की कीमत एक दूसरे के साथ चलती है और दोनों प्रक्रियाओं के ज़रिए पीओआई में उत्पादन की लागत भी बिल्कुल समान है।
- ञ. विलेय और अविलेय सैक्रिन के बीच कीमत में केवल बहुत मामूली अंतर है।
- ट. सैक्रिन का प्रयोग अंतिम उपभोक्ता की जरूरत के अनुसार अलग अलग होता है।
- ठ. इलैक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग में प्रयुक्त अविलेय सैक्रिन का भारत में कम उपभोग होता है।
- ड. विलेय सैक्रिन को अविलेय सैक्रिन में बदला भी जा सकता है।
- ढ. संबद्ध वस्तु का आमतौर पर पाऊंडर रूप में सौदा होता है।
- ण. संबद्ध वस्तु की लागत और कीमत में कोई अंतर नहीं होता जो मैश के आकार पर निर्भर है।
- त. सैक्रिन का साल्ट विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा है और सैक्रिन के सभी रूप सैक्रिन के भिन्न भिन्न साल्ट के अलावा कुछ नहीं हैं, जो विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा है।
- थ. विचाराधीन उत्पाद में सैक्रिन के सभी रूप शामिल हैं और विशेषरूप से विलेय सैक्रिन, सोडियम सैक्रिन और सैक्रिन का साल्ट तथा अविलेय सैक्रिन शामिल हैं क्योंकि ये सैक्रिन के विभिन्न रूपों के अलावा कुछ भी नहीं हैं।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

“वर्तमान जांच में विचाराधीन ‘अपने सभी रूपों में सैक्रिन’। ‘सैक्रिन एक गैर पोषक स्वीटनर है और इसे गन्ने की चीनी का कम कैलोरी वाला प्रतिस्थापन माना जाता है। प्राथमिक रूप से दो प्रकार के सैक्रिन होते हैं अर्थात् विलेय और अविलेय। बाजार शब्दावली में विलेय सैक्रिन को सोडियम सैक्रिन कहा जाता है जबकि अविलेय सैक्रिन को सैक्रिन या सैक्रिन एसिड कहा जाता है। सैक्रिन को दो भौतिक रूपों अर्थात् दानेदार और पाऊंडर में उत्पादित किया जाता है। सोडियम सैक्रिन दानेदार रूप है, उसे ऐसी स्थिति में प्रयोग किया जाता है जहां सैक्रिन को घोला

जाएगा, पाऊंडर रूप जो पिसा हुआ और स्प्रेड्राइड होता है, उसका प्रयोग सूखे मिश्रण और भेषजों में होता है। यह जल में पूरा घुलनशील होता है। सैक्रिन का अघुलनशील रूप अनेक भेषज और चिकित्सा प्रयोगों में प्रयोग किया जाता है। सैक्रिन को खाद्य और पेय, पर्सनल केयर उत्पाद, टेबलटॉप स्वीटनर्स, इलैक्ट्रोप्लेटिंग ब्राइटनर, भेषज आदि जैसे अनेक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। सैक्रिन के सभी रूप वर्तमान जांच के दायरे के भीतर हैं। ”

12. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच में यथा-परिभाषित के समान रहेगा। प्राधिकारी मानते हैं कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच में पीयूसी के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
13. उत्पाद की कीमत और लागत के मैश के आकार के आधार पर भिन्न भिन्न होने के दावे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसे तर्क को सिद्ध करते हुए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। इसके अलावा, आवेदकों ने इस संबंध में मैश आकार के चयन की प्रक्रिया में उत्पादन लागत और विवरण रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया है, जो स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि मैश के आकार से अंतिम उत्पाद की लागत या कीमत प्रभावित नहीं होती है।
14. आवेदकों के इस अनुरोध के संबंध में कि विचाराधीन उत्पाद में सैक्रिन के सभी रूप और विशेष रूप से विलेय सैक्रिन, सोडियम सैक्रिन और सैक्रिन का साल्ट तथा अविलेय सैक्रिन शामिल है, प्राधिकारी पहले मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम में अपने कथनों का उल्लेख करते हैं जहां यह माना गया था कि विलेय सैक्रिन को बाजार शब्दावली में सोडियम सैक्रिन कहा जाता है। इसके अलावा, आवेदक द्वारा रिकॉर्ड में रखे हुए साहित्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सैक्रिन का साल्ट केवल सोडियम सैक्रिन के लिए और विलेय सैक्रिन के लिए एक अलग नाम है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सैक्रिन का साल्ट भी सैक्रिन का एक रूप है। अतः यह माना गया है कि सैक्रिन का साल्ट ही सैक्रिन का एक रूप है और उसे वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर शामिल किया जाए।
15. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 29 के अन्तर्गत वर्गीकृत है। सैक्रिन को एचएस कोड 29251100 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
16. रिकॉर्ड में दी गई सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं।
17. प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु नियमावली के अनुसार संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

ड. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

ड.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

18. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

ड.2. घरेलू उद्योग के विचार

19. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में आवेदकों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. यह आवेदन मैसर्स ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड और मैसर्स स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।
- ख. भारत में संबद्ध वस्तु के दो अन्य ज्ञात उत्पादक अर्थात: ए.एस. केमोफार्मा लिमिटेड और श्री वर्दायिनी लिमिटेड हैं।
- ग. आवेदकों ने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और आवेदक संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं हैं और वे चीन में किसी उत्पादक या निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं।
- घ. आवेदकों का उत्पादन भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है और इस प्रकार नियमावली के अन्तर्गत स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करता है।
- ड. आवेदक सब्सिडीरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. सीवीडी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए इसके जब ऐसे उत्पादक आरोपित सब्सिडी प्राप्त वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

21. वर्तमान आवेदन मैसर्स ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड और मैसर्स स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।
22. रिकॉर्ड में सूचना से यह देखा गया है कि आवेदकों के पास भारत में कुल उत्पादन का 70% से अधिक हिस्सा है। आवेदकों ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं। तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक सीवीडी नियमावली के नियम 2(ख) के अन्तर्गत यथा परिभाषित घरेलू उद्योग हैं और आवेदन नियम 6(3) के अन्तर्गत स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है।

च. गोपनीयता

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

23. गोपनीयता के मुद्दे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. व्यापार सूचनाएं सभी सीमा शुल्क प्राधिकारियों पर बाध्यकारी हैं और सभी हितबद्ध पक्षकारों पर लागू होती हैं। याचिका का एनसीवी इन आरोपों की तर्कसंगत समझ नहीं देता है और

नियमावली के नियम 7 और महानिदेशक द्वारा जारी व्यापार सूचना सं. 1/2013, दिनांक 09 दिसंबर, 2013 के मानकों को पूरा नहीं करता है।

- ख. सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) (संशोधन नियमावली 2006 जिसे आगे “सब्सिडीरोधी नियमावली” कहा गया है) के नियम 8 का प्रयोजन सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की पर्याप्त समझ प्रदान करता है।
- ग. एनसीवी से हितबद्ध पक्षकारों को बचाव का अवसर नहीं मिलता है क्योंकि काफी आंकड़ें उचित ढंग से सूचीबद्ध या प्रदान नहीं किए गए हैं। न्यायसंगतता तालिका व्यापार सूचना की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं है। याचिका के खंड VI में कोई सूचना नहीं दी गई है। घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और अधूरी याचिका दायर की है।
- घ. वार्षिक रिपोर्ट में दावा की गई गोपनीयता अस्पष्ट है। व्यापार सूचना 01/2013 दिनांक 9 दिसंबर, 2013 याचिकाकर्ता को वार्षिक रिपोर्ट और तुलन-पत्र प्रदान करने के लिए अधिदेशित करती है। प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को भविष्य में वार्षिक रिपोर्ट को गोपनीय रूप से दावा नहीं करने का निदेश देना चाहिए।
- ड. व्यापार सूचना सं. 10/2018 दिनांक 7 सितंबर, 2018 के अनुसार घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तु के (i) विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/घरेलू उत्पादकों के साथ संबंध, यदि कोई हो; (ii) संबद्ध वस्तु के सभी अन्य भारतीय उत्पादकों के नाम और पते (iii) घरेलू उद्योग को छोड़कर सभी अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादन की मात्रा और मूल्य के संबंध में सूचना प्रदान करनी चाहिए।

च.2. घरेलू उद्योग के विचार

24. गोपनीयता के मुद्दे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - क. आवेदकों ने ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है जिनकी गोपनीयता की नियमावली में अनुमति है और यह प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार है।
 - ख. आवेदकों ने आवेदन का पर्याप्त अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया है। कोई भी हितबद्ध पक्षकार किसी विशिष्ट सूचना को नहीं दर्शा पाया है जिसके गोपनीय होने का दावा किया गया है और जिसकी गोपनीयता नियमावली के अन्तर्गत न्यायसंगत नहीं है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

25. सूचना की गोपनीयता के संबंध में सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 8 में निम्नानुसार प्रावधान है:

“नियम 8: गोपनीय सूचना: (1) नियम 7 के उपनियम (1) (2), (3) और (7), नियम 14 के उपनियम (2), नियम 17 के उपनियम (4) और नियम 19 के उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निम्न उप नियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन की प्रतियां:-

(1) नियम 6 के अंतर्गत या जांच की प्रक्रिया में किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से

संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और गोपनीय सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझने के लिए पर्याप्त ब्यौरे वाला अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।”

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई है कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ईमेल कर दें।
27. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने व्यापार संबंधित अपनी संवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।

छ. विविध मुद्दे

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

28. अन्य मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-
- क. याचिकाकर्ताओं को व्यापार उपचार उपायों का प्रयोग करने की आदत है और उन्होंने 10 साल से अधिक तक एडीडी और 5 साल के लिए सब्सिडीरोधी शुल्कों का फायदा उठाया है।
 - ख. याचिकाकर्ता की नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करने पर व्यापार उपचार उपायों के प्रयोग की निरंतर आदत रही है।
 - ग. आवेदक समान घरेलू उद्योग के साथ समान विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की मांग करते हुए दोहरे दंड की मांग भी कर रहा है और ऐसे अतिव्यापन से जुर्माने के अनावश्यक होने का जोखिम बढ़ जाता है।
 - घ. आवेदकों को वर्तमान स्थिति में व्यापार उपचार उपायों का अनुरोध करने के बजाए मित्रवत द्विपक्षीय बातचीत से उपचार ढूंढना चाहिए।

- ड. प्राधिकारी को आगे शुल्क की सिफारिश नहीं करनी चाहिए और घरेलू उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना चाहिए।

छ.2. घरेलू उद्योग के विचार

29. घरेलू उद्योग द्वारा अन्य मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. पाटनरोधी शुल्क चीन से संबद्ध वस्तु पर लगाया गया था और ऐसे शुल्कों से उद्योग को अनुचित कीमत वाले आयातों के विरुद्ध मुकाबला करने में मदद मिली। प्राधिकारी इस मामले में निर्णायक समीक्षा जांच के अनुपालन में ऐसे शुल्क को जारी नहीं रखते हैं क्योंकि घरेलू उद्योग को उस समय पर्याप्त क्षति नहीं हो रही थी।
- ख. घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले आयातों में भारी वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को सब्सिडीरोधी शुल्क के रूप में उपचारात्मक उपायों की मांग करने को बाध्य होना पड़ा।
- ग. घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तु की बिक्री लागत से भी कम पर आपवादिक रूप से कम कीमत के आयातों के कारण क्षति होना जारी है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा रिकॉर्ड में प्रस्तुत सूचना से स्पष्ट है।
- घ. भारत में यह सुस्थापित प्रक्रिया है कि समान परिस्थितियों में दोहरा उपचार लागू नहीं होता है और यह कि किसी दोहरी गणना से बचने के लिए पाटनरोधी शुल्क और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को समायोजित किया जाता है।
- ड. प्राधिकारी जांच के अधीन देशों की सरकारों से विचार-विमर्श के लिए अवसर देती है, टिप्पणियां आमंत्रित करती है और आमंत्रण देती है। वर्तमान जांच में भी प्राधिकारी ने चीन की सरकार के दूतावास से विचार-विमर्श के लिए आमंत्रण दिया था और इस मामले में आगे बढ़ने से पहले उत्तर का इंतजार किया। वर्तमान जांच में चीन की सरकार से कोई उत्तर नहीं मिला, जैसा कि उनकी जांच की भागीदारी से स्पष्ट है।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

प्राधिकारी ने पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया है और निम्नानुसार मानते हैं:

30. जहां तक संबद्ध वस्तु के अनेक बार व्यापार उपचार के अधीन रहने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुचित आयातों के विरुद्ध उपचार मांगे जाने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नियमावली में प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की समाप्ति से सब्सिडीकरण और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का समय बढ़ाने की सिफारिश केवल तभी की जाती है जब जरूरी कानूनी अपेक्षाएं पूरी होती हैं।
31. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदकों को संबद्ध देश के साथ मित्रतापूर्ण द्विपक्षीय बातचीत करनी चाहिए और व्यापार उपचार उपायों का सहारा नहीं लेना चाहिए, यह पाया गया है कि प्राधिकारी ने जांच की अपनी प्रक्रिया चीन की सरकार को उत्तर देने का पर्याप्त अवसर दिया है। चीन की सरकार ने विचार-विमर्श में भाग नहीं लिया और प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। अतः यह देखा गया है कि अवसर देने पर भी चीन की सरकार वर्तमान जांच में असहयोगी रही है।

32. दोहरे उपचार की दलील के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान डीजीटीआर पाटन और सब्सिडी कानून के अन्तर्गत एक साथ जांच कर रहे हैं। संभावित दोहरे उपचार का प्रश्न केवल तभी उठेगा जब डीजीटीआर पाटनरोधी शुल्क और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क, दोनों को लगाने की सिफारिश करने का निर्णय लेते हैं। वर्तमान मामले में वह चरण अभी नहीं आया है। इसके अलावा, वर्तमान जांच एक सब्सिडी जांच है जहां प्रतिसंतुलनकारी शुल्क पहले से लागू है। इस मुद्दे पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते समय उचित ढंग से विचार किया जाना चाहिए।

ज. सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण

33. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदक में संबद्ध वस्तु पर संबद्ध देश में प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडियों के जारी रहने का पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य दिया गया है। चीन जन.गण. की सरकार को परामर्श के लिए बुलाया गया था, जिसके उत्तर में प्राधिकारी को कोई जवाब नहीं मिला। वर्तमान जांच प्रथमदृष्टया जांच के आधार पर की गई थी।
34. चीन के उत्पादकों और निर्यातकों तथा जीओसी को प्रश्नावली का उत्तर देने और सत्यापन योग्य सूचना/साक्ष्य प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था ताकि वे कथित सब्सिडी कार्यक्रमों की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव के बारे में बता सकें, जिससे ऐसी सब्सिडियों की मौजूदगी और मात्रा के बारे में उचित निर्धारण किया जा सके।
35. न तो चीन की सरकार और न ही भागीदार निर्यातकों में से किसी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ कोई सार्थक सूचना प्रस्तुत की है। जीओसी और चीन के एक उत्पादक द्वारा स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत करने पर भी जीओसी और पंजीकृत उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है और प्राधिकारी द्वारा विहित ढंग और तरीके से संगत सूचना नहीं दी है। चीन की सरकार और चीन के उत्पादकों और निर्यातकों से प्रश्नावली के उत्तर के अभाव में प्राधिकारी चीन की सरकार और चीन के उत्पादकों की सूचना/दस्तावेजों के आधार पर इन स्कीमों की संभावित प्रतिसंतुलन योग्यता की जांच करने की स्थिति में नहीं हैं। अतः प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा उसके आवेदन में प्रदत्त सूचना, प्राधिकारी द्वारा पहले किए गए निर्धारण और जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना/साक्ष्य सहित रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर पर भरोसा करने के लिए बाध्य हैं।
36. आवेदन के अनुसार संबद्ध वस्तु के चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को सरकार के विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडियां प्राप्त हुई हैं और उन्हें तीन प्रमुख श्रेणियों: अनुदान, कर और वेट प्रोत्साहन तथा पर्याप्त से कम कीमत पर वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न कार्यक्रमों को मूल जांच में प्रतिसंतुलन योग्य पाया गया था और वर्तमान जांच में कथित नई स्कीमों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है।

ज.1 मूल जांच में प्रतिसंतुलन की गई स्कीमें

37. मूल जांच में प्राधिकारी ने माना था कि निम्नलिखित स्कीमें प्रतिसंतुलन योग्य हैं:
- i. कार्यक्रम सं. 2: प्रसिद्ध ब्रांड कार्यक्रम
 - ii. कार्यक्रम सं. 3: पाटनरोधी जांच के लिए अनुदान
 - iii. कार्यक्रम सं. 5: निर्यात सहायता अनुदान

- iv. कार्यक्रम सं. 6: लिस्टिंग शेयर के लिए अनुदान
- v. कार्यक्रम सं. 7: गुआंगडोंग प्रदेश में उद्योगों के बाहरी विस्तार के लिए निधि
- vi. कार्यक्रम सं. 8: राजकोषीय और तकनीकी नवाचार के लिए प्रादेशिक निधि के जरिए प्रदत्त अनुदान।
- vii. कार्यक्रम सं. 9: फुयांग सिटी के लिए प्रदत्त विभिन्न अनुदान
 - क. करों में 10 मिलियन आरएमबी से अधिक देने के लिए उद्यमों हेतु अनुदान
 - ख. उप संविदा सेवा कार्यक्रम के निर्यात के अन्तर्गत अनुदान
 - ग. उत्कृष्ट नए उत्पाद/तकनीकी पुरस्कार के अन्तर्गत अनुदान
 - घ. प्रमुख उद्योगों के लिए फुयांग शहर की सरकार से निवेश अनुदान
 - ङ. उद्यम प्रचालन तकनीक और अनुसंधान और विकास क्षेत्रों के लिए अनुदान
 - च. निर्यात ऋण बीमा शुल्क पर स्थानीय और प्रादेशिक प्रतिपूर्ति अनुदान
 - छ. हांगझोऊ प्रिफेक्चर और फुयांग शहर (झेजियांग प्रदेश) और (अनहुई प्रदेश) से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) अनुदान
- viii. कार्यक्रम सं. 10: निर्यात कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार निधि
- ix. कार्यक्रम सं. 13: लघु और मध्यम उद्यम सहायता निधि
- x. कार्यक्रम सं. 14: लघु और मध्यम उद्यमों के लिए तकनीकी नवाचारों में सहायता करने के लिए निधि
- xi. कार्यक्रम सं. 15: तियांगजिन बिनहाई न्यू एरिया और तियांगजिन इकॉनोमिक और टेक्नोलोजिकल डवलपमेंट एरिया में प्रदत्त सब्सिडियां
- xii. कार्यक्रम सं. 16: प्रमुख उद्योगों और नवाचार तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य विशेष निधि
- xiii. कार्यक्रम सं. 33: विदेशी निवेश उद्यमों के लिए दो मुक्त/तीन अर्ध-कार्यक्रम
- xiv. कार्यक्रम सं. 34: निर्यातोन्मुख एफआईई के लिए कर कटौतियां/भौगोलिक स्थान पर आधारित एफआईई के लिए आयकर लाभ
- xv. कार्यक्रम सं. 38: पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमों के लिए अधिमानी आयकर नीति
- xvi. कार्यक्रम सं. 39: केन्द्रीय और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए अधिमानी कर-छूट
- xvii. कार्यक्रम सं. 40: अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) व्यय की कटौती के लिए कर नीतियां
- xviii. कार्यक्रम सं. 42: घरेलू रूप से उत्पादित उपकरण खरीदने वाली एफआईई के लिए वैट रिफंड
- xix. कार्यक्रम सं. 43: स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद के लिए वैट और कर छूट

- xx. कार्यक्रम सं. 45: विशेष आर्थिक जोन (शंघाई पुडोंग क्षेत्र को छोड़कर) में स्थापित विदेशी निवेश वाले उद्यमों (एफआईई) के लिए अधिमानी कर नीतियां
- xxi. कार्यक्रम सं. 46: तटीय आर्थिक खुले क्षेत्रों और आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी विकास जोनों में स्थापित एफआईई के लिए अधिमानी कर नीतियां
- xxii. कार्यक्रम सं. 47: शंघाई के पुडोंग क्षेत्र में स्थापित एफआईई के लिए अधिमानी कर नीतियां
- xxiii. कार्यक्रम सं. 50: एसईजेड और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में आयातित सामग्रियों और उपकरणों पर टैरिफ और मूल्यवर्धित कर (वैट) से छूट
- xxiv. कार्यक्रम सं. 52: पर्याप्त से कम मूल्य/इनपुट/सेवाओं पर कच्ची सामग्री
- xxv. कार्यक्रम सं. 53: नीतिगत ऋण
- xxvi. कार्यक्रम सं. 64: इक्विटी परिवर्तन के लिए ऋण
- xxvii. कार्यक्रम सं. 65: इक्विटी निवेश
- xxviii. कार्यक्रम सं. 66: अप्रदत्त लाभांश

ज. 2 नए कार्यक्रम

38. घरेलू उद्योग ने दलील दी है कि ऐसे और प्रतिसंतुलन योग्य कार्यक्रम भी हैं जो लाभ दे रहे हैं, जिनसे लागत में कमी आ रही है और इस प्रकार चीन के उत्पादक कम कीमत पर बिक्री कर पा रहे हैं। ऐसे नई कार्यक्रमों की सूची नीचे दी गई है:
- i. कार्यक्रम सं. 1: स्थिर परिसंपत्ति निवेश सब्सिडियां
 - ii. कार्यक्रम सं. 2: आर्थिक और व्यापार विकास के लिए विशेष निधि
 - iii. कार्यक्रम सं. 3: हेफेई इकॉनोमिक और टेक्नोलॉजी डवलपमेंट जोन में स्थित कंपनियों के लिए सब्सिडियां
 - iv. कार्यक्रम सं. 4: विदेशी निवेश उम के लिए अनहुई प्रदेश की सब्सिडियां
 - v. कार्यक्रम सं. 5: हेफेई नगरपालिका निर्यात संवर्धन नीतियां
 - vi. कार्यक्रम सं. 6: ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी/ऊर्जा बचत संरक्षण और उत्सृजन अनुदानों के परिवर्तन के लिए ऊर्जा बचत तकनीक सुधार/संवर्धन की चक्रीय अर्थव्यवस्था/प्रोत्साहन निधि हेतु विशेष निधियां
 - vii. कार्यक्रम सं. 7: भागीदारी निर्यातकों द्वारा सूचित उपकरण की खरीद के लिए अनुदान
 - viii. कार्यक्रम सं. 8: विदेशी बुद्धिजीवियों को लाने के लिए अनुदान
 - ix. कार्यक्रम सं. 9: रोजगार स्थिरीकरण, स्नातक प्रशिक्षण और प्रादेशिक/प्रीफैक्ट्रेल/नगर पालिका सरकार प्राधिकरणों द्वारा प्रदत्त अनुदान

- x. कार्यक्रम सं. 10: डोक्टरल पश्चात अनुसंधान निधि
- xi. कार्यक्रम सं. 11: उपकरण के रखरखाव और प्रचालन के लिए अनुदान
- xii. कार्यक्रम सं. 12: प्रादेशिक/प्रीफेक्टर्ल/नगरपालिका सरकार प्राधिकरणों द्वारा प्रदत्त पुनःस्थापन मुआवजा
- xiii. कार्यक्रम सं. 13: : प्रादेशिक/प्रीफेक्टर्ल/नगरपालिका सरकार प्राधिकरणों द्वारा प्रदत्त विशेषज्ञ परियोजनाओं/प्रायोजित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तदर्थ अनुदान
- xiv. कार्यक्रम सं. 14: प्रतिभा परिचय निधि
- xv. कार्यक्रम सं. 15: अनुसंधान रिपोर्ट लेखन व्यय निधि
- xvi. कार्यक्रम सं. 16: सेवा उद्योग विकास निधि
- xvii. कार्यक्रम सं. 17: स्व-स्वामित्व ब्रांड विकास पंजीकरण शुल्क वापसी
- xviii. कार्यक्रम सं. 18: आयात उपकरण ब्याज सब्सिडी
- xix. कार्यक्रम सं. 19: निर्यात पुरस्कार
- xx. कार्यक्रम सं. 20: पेटेंट सृजन और सहायता निधि
- xxi. कार्यक्रम सं. 21: सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सब्सिडियां
- xxii. कार्यक्रम सं. 22: चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों को प्राप्त विभिन्न सरकारी अनुदान/केन्द्रीय, प्रादेशिक और नगरपालिका/क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त तदर्थ अनुदान
- xxiii. कार्यक्रम सं. 23: ऋणों और ब्याज के वित्त पोषण के लिए अनुदान
- xxiv. कार्यक्रम सं. 24: ग्रीन फैक्टरी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
- xxv. कार्यक्रम सं. 25: ऐसी कंपनियों के लिए अधिमानी कर नीतियां/आयकर कटौती जिन्हें उच्च और नई प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में मान्यता दी गई है।
- xxvi. कार्यक्रम सं. 26: केन्द्रीय, प्रादेशिक या नगरपालिका/क्षेत्रीय सरकारी प्राधिकरणों द्वारा करें और शुल्कों की वापसी/छूट/रिमिशन
- xxvii. कार्यक्रम सं. 27: आयातित इनपुट के लिए आयात टैरिफ/प्रभार और वैट से राहत
- xxviii. कार्यक्रम सं. 28: पर्याप्त से कम मूल्य पर बिजली का प्रावधान
- xxxix. कार्यक्रम सं. 29: औद्योगिक और अन्य विशेष आर्थिक जोन में एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार
- xxx. कार्यक्रम सं. 30: राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को एनटीएआर पर भूमि का प्रावधान

xxxii. कार्यक्रम सं. 31: विदेशी निवेश वाले उद्यमों के लिए एनटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार

xxxiii. कार्यक्रम सं. 32: आर्थिक विकास जोन में एनटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार

xxxiv. कार्यक्रम सं. 33: एनटीएआर के लिए कास्टिक सोडा का प्रावधान

xxxv. कार्यक्रम सं. 34: एनटीएआर पर सल्फ्यूरिक एसिड का प्रावधान

39. इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनेक नई स्कीमों की मौजूदगी का आरोप लगाया है। ये स्कीमों वे हैं जिन्हें मूल जांच के समय प्राधिकारी के समक्ष नहीं लाया गया था। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि चीन के उत्पादकों ने इन स्कीमों से भी प्रतिसंतुलन योग्य लाभ प्राप्त किया है। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी द्वारा जारी पूर्व निर्णयों के आधार पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क मार्जिन की राशि बताई है। किसी भी चीन के उत्पादक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है।

ज.3. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

40. सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिनों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. आवेदक ऐसे कार्यक्रमों के साक्ष्य नहीं दे पाए हैं जो चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।
 - ख. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कोई भी कार्यक्रम उत्पादकों/निर्यातकों को वास्तविक लाभ दर्शाने वाले ठोस तथ्यों या आंकड़ों द्वारा समर्थित नहीं हैं। प्राधिकारी को जांच करनी चाहिए कि क्या कार्यक्रम प्रभावी हैं और क्या वे उद्योग की सफलता में योगदान देते हैं।
 - ग. सब्सिडी स्कीमों विशिष्ट नहीं हैं।
 - घ. शंघाई फोर्चून ने तर्क दिया है कि उसे अलग सब्सिडी मार्जिन दिया जा सकता है।
 - ड. प्राधिकारी को यह उचित ठहराना चाहिए कि क्या उन्होंने सब्सिडीकरण से संबंधित साक्ष्य की पर्याप्तता और सत्यता का आकलन किया है। उन्हें वह आधार भी बताना चाहिए जिस पर वे यह मानते हैं कि याचिका में प्रत्येक सब्सिडी स्कीम से संबंधित पर्याप्त और उचित सूचना दी गई है और यह कि वे उसे जांच की शुरुआत के लिए वस्तुनिष्ठ रूप से पर्याप्त वास्तविक आधार मानते हैं। इससे हितबद्ध पक्षकारों को यह समझने में मदद मिलेगी कि जीओआई कैसे डब्ल्यूटीओ दायित्वों का अनुपालन करने का दावा करती है और वास्तव में जांच की शुरुआत कैसे हुई।

ज.4 घरेलू उद्योग के विचार

41. सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिनों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. संबद्ध वस्तु के उत्पादक/निर्यातक कार्यवाही योग्य सब्सिडियों से लाभान्वित हुए हैं, जैसा मूल जांच में भी सिद्ध हुआ है।
 - ख. चीन के कानून और विनियमन विभिन्न सरकारी रिपोर्टें, डब्ल्यूटीओ रिपोर्ट और अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा उनकी सब्सिडीरोधी जांच के विस्तृत जांच परिणामों, सभी में वित्तीय अंशदान, लाभ और विशिष्टता के सभी पर्याप्त साक्ष्य दर्शाए गए हैं।

- ग. जीओसी ने कथित सब्सिडी कार्यक्रमों की न्यायिक और वास्तविक विशिष्टता के विरुद्ध कोई उत्तर नहीं दिया है।
- घ. चीन की सरकार के असहयोग को घरेलू उद्योग द्वारा आरोपित सभी स्कीमों की अप्रत्यक्ष स्वीकृति माना जाना चाहिए।
- ङ. चीन के उत्पादकों और निर्यातकों ने कथित सब्सिडी कार्यक्रमों की मौजूदगी और उनसे प्राप्त लाभ के विरोध में पर्याप्त उत्तर नहीं दिया है।
- च. मूल जांच में 28 स्कीमों प्रतिसंतुलित की गई थीं जिनमें से 27 के जारी रहने का आरोप है।
- छ. कुल 34 नई स्कीमों का आरोप लगाया गया है, जो चीन के उत्पादकों को विशिष्ट लाभ प्रदान करती हैं।
- ज. जीओसी से या संबद्ध देश से किसी निर्यातक से कोई सहयोग नहीं मिला है।
- झ. कम निर्यात मात्रा किसी निर्यातक के लिए निर्णायक समीक्षा में भागीदारी नहीं करने का कारण नहीं हो सकती हैं।
- ञ. स्कीमों की मात्रा निर्धारण आवेदन के स्तर पर किया गया था क्योंकि ऐसा मात्रा निर्धारण चीन के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा सहयोग नहीं करने पर उपयोगी नहीं होगा।
- ट. चूंकि चीन के किसी उत्पादक ने भागीदारी नहीं की है, इसलिए सीवीडी मार्जिन प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर या वैश्विक प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किए जाने चाहिए, पूर्ववर्ती जांच में यथा-निर्धारित या पूर्ववर्ती जांचों में किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा यथा-निर्धारित मार्जिन के आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए।

ज.5 प्राधिकारी द्वारा जांच

1. मूल जांच में प्रतिसंतुलन योग्य मानी गई स्कीमों

42. प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या विश्लेषण के द्वारा सब्सिडीकरण जारी है, क्या मूल जांच में प्रतिसंतुलित सब्सिडियां सक्रिय उद्योग को लाभ देने के लिए जारी हैं।
43. जीओसी ने वर्तमान जांच में भागीदारी नहीं की है और मूल जांच में यथा-निर्धारित निर्धारण का विरोध (सत्यापन योग्य साक्ष्य के साथ) नहीं किया है या घरेलू उद्योग के इस तर्क कि उत्पाद को प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडियों का लाभ मिलना जारी है, का खंडन नहीं किया है। निर्यातक शंघाई फोर्चून केमिकल लिमिटेड ने वर्तमान जांच में भाग लिया है तथापि उसने मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंतुलन योग्य मानी गई स्कीमों की मौजूदगी संबंधी कोई सूचना नहीं दी है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने मूल जांच में पहले प्रतिसंतुलन योग्य मानी गई स्कीमों के जारी रहने के घरेलू उद्योग के दावों का खंडन नहीं किया है। यह भी नोट किया जाता है कि सब्सिडी कार्यक्रमों के जारी रहने पर जीओसी द्वारा कोई विवाद (साक्ष्य सहित) नहीं दिया गया है। प्राधिकारी ने पूर्व में भी हॉट रोलड कोल्ड रोलड स्टील (2017) और बिल्कुल हाल में बसों और लारियों के लिये न्यून्यूमेटिक रेडियल टायर (2024) के मामले में इन कार्यक्रमों को प्रतिसंतुलन योग्य पाया है। जीओसी ने यह दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं दिया है कि पूर्ववर्ती निर्धारणों में प्राधिकारी के निष्कर्ष अब सत्य नहीं हैं।

44. जीओसी और चीन के उत्पादकों/निर्यातकों ने आवेदन और जांच शुरुआत सूचना में अभिज्ञात विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों का कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया है। घरेलू उद्योग के इस दावे के खंडन के लिए कोई मजबूत साक्ष्य नहीं दिया गया है कि विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रम जारी हैं और उनका प्रतिसंतुलन योग्य नाप प्रदान करना जारी है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि इनमें से किसी भी स्कीम को बंद किया गया है।
45. जीओसी और चीन के उत्पादक इस दृष्टि से न तो यह दर्शाकर कि घरेलू उद्योग द्वारा अभिज्ञात कार्यक्रम अब लागू हैं या ये कार्यक्रम अब लाभ नहीं देते हैं या ये कार्यक्रम अब प्रतिसंतुलन योग्य नहीं हैं या लाभ की मात्रा कम है, के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए दावों का खंडन करने की स्थिति में नहीं थे। जीओसी और चीन के उत्पादकों/निर्यातकों ने न तो प्रश्नावली का उत्तर दिया है और न ही कोई अन्य सूचना और सत्यापन योग्य साक्ष्य दिया है जिसे प्राधिकारी निर्धारण करने में प्रयोग कर सकें।
46. चीन की सरकार और चीन के उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग और सूचना के अभाव में और यह मानते हुए कि वह वर्तमान जांच पहले से अनुशंसित सीवीडी एक निर्णायक समीक्षा है, प्राधिकारी ने पीयूसी से संबंधित पूर्ववर्ती जांच, आवेदन में दी गई सूचना और वर्तमान तथा पूर्ववर्ती जांच के रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर मूल जांच में प्रतिसंतुलन योग्य मानी गई स्कीमों के जारी रहने की जांच करने के लिए भरोसा किया है।
47. मूल जांच में प्राधिकारी ने विभिन्न स्रोतों जैसे संगत कानून, विनियामक परिपत्र, प्राधिकारी द्वारा किए गए पूर्व निर्धारण और सैक्रिन विनिर्माताओं की वार्षिक रिपोर्टों के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए कथित स्कीमों की प्रतिसंतुलन योग्यता की जांच की थी। प्राधिकारी ने तीन व्यापक श्रेणियों के अन्तर्गत स्कीमों के सब्सिडी मार्जिन की मात्रा निर्धारित की थी:
- क. अनुदान
 - ख. कर और वैट प्रोत्साहन, तथा
 - ग. पर्याप्त से कम मूल्य पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान
48. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग ने एक को छोड़कर जो कार्यक्रम 9 से संबंधित थी, सभी के जारी रहने के साक्ष्य दिए थे। कार्यक्रम सं. 9 “फुयांग शहर को प्रदत्त विभिन्न अनुदान” जो “अनुदान” श्रेणी में आता है, से संबंधित हैं।
49. मूल जांच में अनुदानों के सब्सिडी मार्जिन को कार्बोफेनॉल जिन्हुआ फाइन केमिकल कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया गया था और निम्नानुसार नोट किया गया:

“37. याचिकाकर्ता ने मैसर्स पिंगडिंगशन तियानान कोल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड जो मैसर्स कडफेंग शिनहुआ फाइन केमिकल कंपनी की मूल कंपनी है तथा जो वर्तमान जांच में पीयूसी का एक गैर प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक है, की वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराई थी। इस वार्षिक रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि कंपनी को सरकारी अनुदान वाली परियोजनाओं के लिए “सरकारी सब्सिडियां” शीर्ष के अन्तर्गत चीन के सरकारी प्राधिकरणों से सब्सिडियां प्राप्त हुई थी। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि यह संबद्ध देश के भीतर एक सरकारी निकाय (“सरकारी

सब्सिडियां” शीर्ष के अन्तर्गत वार्षिक रिपोर्ट में यथा-सूचित सरकारी प्राधिकरणों द्वारा) सरकारी विवेकाधिकार अनुदान के रूप में एक वित्तीय अंशदान है जो संबंधित कंपनी को लाभ पहुंचाता है और इसलिए विशिष्ट है। अतः उक्त कंपनी को विशेष रूप से एक लाभ दिया गया है, जैसा मूल कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रदर्शित है। तदनुसार, वार्षिक रिपोर्ट में सूचित “अनुदान” शीर्ष के अन्तर्गत सब्सिडी मार्जिन पर विचार किया गया है। इस प्रयोजनार्थ मूल कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में “सरकारी सब्सिडियां” शीर्ष के अन्तर्गत दर्शायी गई कुल राशि पर प्राप्त लाभ के रूप में विचार किया गया है। इसके अलावा, चूंकि लाभ मूल कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया गया है, इसलिए इस लाभ को मूल कंपनी के सकल कारोबार के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार सीवीडी मार्जिन की राशि 0.30% निर्धारित की गई है।”

50. यह नोट किया गया है कि कार्डफेंग फुयांग शहर में स्थित नहीं है और इसलिए उसका कार्यक्रम सं. 9 से कोई संबंध नहीं है, जो फुयांग शहर को प्रदत्त अनुदान से संबंधित है। इसलिए, वर्तमान जांच में भी कार्यक्रम सं. 9 का उस सब्सिडी मार्जिन पर कोई प्रभाव नहीं है जिसे अनुदान के लिए निर्णित किया जाना है।
51. घरेलू उद्योग ने कतिपय हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम (06.04.2023) तथा बसों और लॉरियों के लिए न्यू न्यूमेटिक टायर में प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम (25.03.2019) पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग ने आवेदकों द्वारा बताई गई संगत सब्सिडियों और सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में विभिन्न सरकारी योजनाओं, नीतियों, आदेशों, परियोजनाओं और अन्य दस्तावेजों पर भरोसा किया है। यह देखा गया है कि आरोपित सब्सिडियों या सब्सिडी कार्यक्रमों की संख्या और चीन की सरकार के दस्तावेजों से उनके प्रवाह की जांच जैसे 14वीं पंचवर्षीय योजना; हेबेई पैट्रोकेमिकल की कच्ची सामग्रियों के लिए 13वीं पंचवर्षीय योजना तथा झेजियांग पैट्रोकेमिकल की 14वीं पंचवर्षीय योजना; विदेश व्यापार और आर्थिक सहयोग के विभिन्न परिपत्र, उद्यम आयकर कानून के कार्यान्वयन विनियम तथा दस्तावेज सं. जी/एससीएम/एन/401/सीएचएन जो 2023 की डब्ल्यूटीओ अधिसूचना में तथा जिसमें केन्द्रीय और उप-केन्द्रीय सरकार स्तर पर चीन जन.गण. द्वारा प्रदत्त या अनुरक्षित कार्यक्रमों संबंधी सूचना दी गई है, और व्यापार रक्षा जांच के प्रयोजनार्थ चीन जन.गण. की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक विकृतियों संबंधी यूरोपीय आयोग के कर्मचारी कार्य दस्तावेज पर भी भरोसा किया गया है।
52. यह देखा गया है कि चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना पैट्रोकेमिकल उद्योग को चीन के उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण, मौलिक क्षेत्र बनाने में एक प्रमुख प्रेरक है। यह योजना तकनीकी नवाचार, ढांचागत समायोजन और 14वीं पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित हरित विकास के सिद्धांतों पर प्रकाश डालती है और विभिन्न राजकोषीय और वित्तीय सहायता उपायों के साथ संबंधित है। 14वीं पंचवर्षीय योजना खंड III, अनुच्छेद VIII में उल्लेख करती है कि “हम पारंपरिक उद्योगों का रूपांतरण और उन्नयन करेंगे, कच्ची सामग्री के उद्योगों जैसे पैट्रोसायन, इस्पात, गैर लौह धातु और भवन सामग्रियों को ईष्टम बनाने और ढांचागत समायोजन को बढ़ावा देंगे, हल्के उद्योग और वस्त्रों जैसे क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता के उत्पादों की आपूर्ति का विस्तार करेंगे, प्रमुख उद्योगों जैसे रसायन उद्योग और कागज निर्माण में उद्यमों

के रूपांतरण और उन्नयन की गति बढ़ाएंगे और ग्रीन विनिर्माण प्रणाली में सुधार करेंगे ” । परिणामस्वरूप, चीन की सरकार ने स्थानीय और प्रादेशिक, दोनों स्तरों पर पेट्रोरसायन उद्योग के लिए नीतियों अपनाई हैं और प्रदत्त कार्य-ढांचे का अनुसरण किया है।

53. 14वीं पंचवर्षीय योजना में उस गो ग्रीन ग्लोबल पहल से संबंधित वक्तव्य भी देती है जिसे चीन ने शुरू किया है तथा जिसमें पेट्रोकेम और रसायन उद्योग के संबंध में खंड III , अनुच्छेद XXVII में निम्नलिखित बताया गया है: “हम विषैले और खतरनाक रासायनिक पदार्थों के लिए पर्यावरण जोखिम प्रदबंधन प्रणाली में सुधार करेंगे और प्रमुख क्षेत्रों में खतरनाक रसायन उत्पादन उद्यम का स्थान बदलने और रूपांतरण का कार्य पूरा करेंगे”।
54. ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेजों और उनके प्रावधानों पर विचार करते हुए प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि चीन का रसायन उद्योग प्रमुख/रणनीति उद्योग बना हुआ है, जिसका विकास सक्रिय रूप से किया जा रहा है और चीन की सरकार ने एक नीतिगत रणनीतिक उद्देश्य के रूप में इसका निर्देश दिया है।
55. उक्त के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये कार्यक्रम वर्तमान में लागू हैं और इनसे मूल जांच की तरह उसी प्रकार से प्रतिसंतुलन योग्य लाभ प्राप्त होना जारी है।
56. न्यायिक मितव्यता के सिद्धांत प्राधिकारी को ऐसे कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत जांच करने से रोकते हैं जिन्हें पहले प्रतिसंतुलन योग्य पाया गया था और जहां यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं है कि वे बंद हो गए हैं या पिछली जांच के बाद से उनमें वास्तविक बदलाव हुआ है। वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या चीन के उत्पादक पहले प्रतिसंतुलन योग्य पाई गई सब्सिडियों का अब भी लाभ ले रहे हैं, जीओसी या चीन के उत्पादकों/निर्यातकों ने सहयोग नहीं किया है और संगत सूचना नहीं दी है तथा किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडियों के जारी रहने के संबंध में आवेदकों द्वारा किए गए साक्ष्यांकित दावे के खंडन के लिए कोई सूचना और साक्ष्य नहीं दिया है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि ऐसी विभिन्न स्कीमों की प्रतिसंतुलन योग्यता की जांच अनावश्यक है जिनकी पहले जांच हुई थी और जिन्हें प्रतिसंतुलन योग्य पाया गया था। चूंकि चीन के उत्पादकों ने संगत सूचना और साक्ष्य के साथ सहयोग नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी ने लाभ की उतनी ही राशि अर्थात् ***% पर विचार किया है जितनी मूल जांच के समय निर्धारित की गई थी।

II. वर्तमान जांच में बताई गई नई स्कीमें

57. घरेलू उद्योग ने 34 नई स्कीमों की मौजूदगी की दलील दी है। ये ऐसी स्कीमें हैं जिन्हें मूल जांच में प्राधिकारी के समक्ष नहीं लाया गया था। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को वर्तमान जांच में इन नई स्कीमों का लाभ मिल रहा है। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि प्राधिकारी ने पाया है कि ये प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडियां चीन में मौजूद हैं और चीन के उत्पादकों को लाभ दे रही हैं। घरेलू उद्योग ने बसों और लारियों के लिए न्यू न्यूमेटिक रेडियल टायर और वर्तमान जांच की मूल जांच के बाद हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों के मामले में प्राधिकारी द्वारा की गई जांच का उल्लेख किया है।
58. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग द्वारा अभिज्ञात नई स्कीमों के संबंध में घरेलू उद्योग ने पूर्व जांच के आधार पर प्रदत्त लाभ की मात्रा निर्धारित की है जिसमें प्राधिकारी ने इन स्कीमों के लिए सब्सिडी

मार्जिन की मात्रा बताई थी। इसके माध्यम से, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि उन जांचों में और वर्तमान जांच की मूल जांच के बाद प्राधिकारी द्वारा नई स्कीमों को प्रतिसंतुलन योग्य माना गया था।

59. प्राधिकारी मानते हैं कि इन नई स्कीमों जिनका आरोप घरेलू उद्योग ने लगाया है, की जांच से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। यद्यपि जीओसी और चीन के उत्पादकों/निर्यातकों ने वर्तमान जांच में उत्तर नहीं दिया है और घरेलू उद्योग के दावों के विरोध में संगत सूचना नहीं दी है, तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच के समय पर निर्धारित सीवीडी मार्जिन आरंभ में दावा किए क्षति मार्जिन की तुलना में वास्तविक रूप से अधिक है और अब वर्तमान जांच में इसकी मात्रा निर्धारित की गई है। चूंकि प्राधिकारी के लिए सीवीडी मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर पर विचार करते हुए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की राशि की सिफारिश करना अपेक्षित है, इसलिए प्राधिकारी मानते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि इन स्कीमों की जांच की जाए और सीवीडी मार्जिन की राशि निर्धारित की जाए।

झ. क्षति का निर्धारण और क्षति व कारणात्मक संबंध की जांच

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

60. क्षति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए :

- क. संबद्ध वस्तुओं के आयातों में वृद्धि को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। घरेलू उद्योग ने जान बूझकर क्षति को मनगढ़ंत रूप से तैयार किया है।
- ख. कुल मांग में 8% तक की गिरावट आई है। संबद्ध देशों और अन्य देशों से आयातों में 2019-20 की तुलना में जांच अवधि के दौरान क्रमशः 28% और 71% तक की गिरावट आई है। भारत को कुल आयातों में 34% तक की गिरावट आई है और घरेलू उद्योग की बिक्रियों में 2% तक की वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- ग. संबद्ध देश से आयात वर्ष 2019-20 में 717 मीट्रिक टन थे, जो उच्च स्तर पर थे, लेकिन जांच अवधि के दौरान बढ़कर 515 मीट्रिक टन होने से पूर्व वर्ष 2020-21 में यह घटकर 318 मीट्रिक टन और वर्ष 2021-22 में 335 मीट्रिक टन तक हो गए थे।
- घ. आयातों और घरेलू उद्योग के प्रदर्शन के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। वर्ष 2021-22 में पहुंच कीमत 7556.55 रुपये पर सबसे अधिक थी, लेकिन घरेलू उद्योग को अभी भी हानियों का सामना करना पड़ रहा है।
- ङ. अन्य कारक घरेलू उद्योग के गिरते प्रदर्शन को प्रभावित कर रहे हैं। संबद्ध देश से आयातों के कारण कोई भी क्षति नहीं हुई है।
- च. विचाराधीन उत्पाद का कुल उत्पादन वर्ष 2021 में 100 से बढ़कर 120 हो गया और उसके बाद वर्ष 2022 में वह घटकर 114 पर आ गया तथा जांच अवधि के दौरान और भी गिरावट के साथ 110 पर आ गया। उत्पादन में वृद्धि के कारण उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं हुई।

- छ. याचिकाकर्ताओं की अचल परिसंपत्तियां वर्ष 2020-2021 में 116 से बढ़कर वर्ष 2021-2022 में 121 हो गई और आईपी के दौरान आगे 139 हो गई। मूल्यहास व्यय वर्ष 2020-2021 में 100 से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 96, 111 और 198 हो गया। यह बड़ी हुई अचल परिसंपत्तियों और मूल्यहास के बीच के सह-संबंध को दर्शाता है।
- ज. जांच की अवधि के दौरान निवल अचल परिसंपत्तियों और मूल्यहास, दोनों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जबकि संस्थापित क्षमता में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। इससे यह प्रश्न उठते हैं कि उत्पादन क्षमता में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ और संगत आंकड़ों को जानबूझकर छिपाए जाने के संबंध में चिंता है। प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की जांच करनी चाहिए।
- झ. आधार वर्ष 2020-21 के दौरान बिक्री की मात्रा में 100 की तुलना में जांच अवधि के दौरान जबरदस्त वृद्धि होने के साथ यह 111 हो गई है। आधार वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात बिक्री 100 से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 131 हो गई है। घरेलू उद्योग जो भी उत्पादन करता है उसकी बिक्री करने में समर्थ है और उसे कोई क्षति नहीं हुई है।
- ञ. वस्तुसूची को अलग से नहीं देखा जाना चाहिए और इसकी तुलना उत्पादन के दिनों की संख्या और बिक्री के दिनों की संख्या के साथ की जानी चाहिए। वस्तुसूची में पर्याप्त गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- ट. अंतिम वस्तुसूची की मात्रा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उत्पादन और बिक्री में कोई परिवर्तन नहीं हुए थे। उत्पादन सूचकांक 110 था और बिक्री सूचकांक 111 था, इसलिए अंतिम वस्तुसूची की मात्रा 158 तक पहुंच गई। प्राधिकारी द्वारा सूचना के सही होने की जांच की जानी चाहिए।
- ठ. औसत नियोजित पूंजी और संस्थापित क्षमता के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। जांच में ब्याज और स्टॉक में कमी आई है। ये संख्या वृद्धि को उचित नहीं ठहराती।
- ड. आधार वर्ष 2020-21 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या और वेतन में क्रमशः 31% और 54% तक की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। प्राधिकारी द्वारा यह जांच की जानी चाहिए कि जब संस्थापित क्षमता, उत्पादन और बिक्री में कोई वृद्धि नहीं हुई है, तो कर्मचारियों की संख्या और वेतन में इतनी महत्वपूर्ण वृद्धि कैसे हुई है।
- ढ. जांच की अवधि के दौरान उत्पादकता प्रतिदिन में वृद्धि हुई है, जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- ण. विगत कुछ वर्षों में संबद्ध वस्तुओं की मांग में कमी आने के कारण लाभप्रदता में महत्वपूर्ण गिरावट देखने में आई है। प्रचालन लागतों, कच्ची सामग्री की लागतों, श्रम लागतों और उपरिव्यय सहित बढ़ते व्ययों के कारण विशेष रूप से मूल्यहास लागतों में वृद्धि और कर्मचारियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होने के चलते वेतन पर अधिक व्यय होने के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है।
- त. अन्य कारकों, जिनके कारण लाभप्रदता में गिरावट आई है, के कारण औसत नियोजित पूंजी, निवल अचल परिसंपत्तियों (एनएफए), कार्यशील पूंजी और समग्र कर्मचारी संख्या में वृद्धि होती है
- थ. आर्थिक स्थितियों, बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा अथवा उद्योग विनियमनों जैसे कारकों ने भी लाभप्रदता में गिरावट में एक भूमिका निभाई थी।

- द. कोविड-19 के कारण चुनौतियों में और भी वृद्धि हुई है, जिसके चलते याचिकाकर्ताओं की आपूर्ति शृंखला में बाधा आई, उपभोक्ता व्यय में कमी आई और लॉकडाउन के कारण प्रचालनों के संबंध में बाधाएं उत्पन्न हुईं।
- ध. याचिकाकर्ता के समग्र प्रदर्शन में, लाभप्रदता को छोड़कर, सुधार आया है।
- न. मूल्यहास के तरीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए बिना, मूल्यहास व्यय में वृद्धि और अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि के अनुपात में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा।
- प. वर्ष 2021-2022 के लिए अचल परिसंपत्ति का सूचकांक 121 है और मूल्यहास राशि का सूचकांक 111 है। वर्ष 2022-2023 के लिए अचल परिसंपत्ति का सूचकांक 116 है और उसके बाद मूल्यहास राशि का सूचकांक 109 है।
- फ. प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि आईपी के दौरान आधार वर्ष की तुलना में स्थिर परिसंपत्ति के सूचकांक और मूल्यहास राशि के सूचकांक में 39% और 98% की वृद्धि कैसे हुई।
- ब. ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड के पास तीन उत्पादन केंद्र हैं और इसने हाल ही में एक उत्पादन केंद्र का अधिग्रहण किया है। नए उत्पादन केंद्रों 3 और 4 ने 40000 वर्ग मीटर क्षेत्र शामिल किया है, जो कि 83% की वृद्धि है। तथापि, उत्पादन क्षमता में केवल 25% की ही वृद्धि हुई है।
- भ. वर्ष 2020-2021 में कर्मचारियों की संख्या 100 थी, जो बढ़कर वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और सर्वेक्षण की अवधि के दौरान क्रमशः 105, 128 और 131 हो गई है। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि उत्पादन और बिक्री में वृद्धि की तुलना में काफी अधिक रही। प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या वर्तमान स्थिति तेजी से विस्तार होने या निवेश में विफलता के कारण उत्पन्न हुई है।
- म. निर्यात की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जो वर्ष 2020-2021 में 100 थी, जो बढ़कर वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और जांच अवधि के दौरान क्रमशः 143, 165 और 131 हो गई। घरेलू बाजार में बिक्री स्थिर रही। प्राधिकारी को यह विचार करना चाहिए कि क्या निर्यात बाजार में मंदी के चलते वित्तीय संकेतकों पर प्रभाव पड़ा है।

झ.2 घरेलू उद्योग के विचार

61. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे :
- मूल जांच में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने के बाद से घरेलू उद्योग ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया है और वर्ष 2020-21 तक लाभ जारी रहा है।
 - घरेलू उद्योग की स्थिति बाद में वर्ष 2020-21-22 में अत्यंत खराब हो गई थी क्योंकि चीन के निर्यातकों ने थाईलैंड के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात करके, लगाए गए शुल्कों की प्रवंचना करनी शुरू कर दी।
 - प्राधिकारी ने प्रतिसंतुलनकारी जांच शुरू की, जिसके माध्यम से अक्टूबर 2022 में थाईलैंड से आयातों पर शुल्कों में वृद्धि की गई थी, जिसके तत्काल बाद से घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में सुधार आया।

- d. घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में जो भी सुधार देखने में आया, वह जांच की अवधि में चीन से आयात मूल्य में और भी गिरावट आने के कारण कम अनुकूल था।
- e. घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि होने पर चीन से आयात की कीमत में गिरावट आई है। चीन के उत्पादकों ने लागू शुल्कों को समाहित कर लिया।
- f. वर्तमान में लागू शुल्कों के बाद भी आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत के स्तर और बिक्री मूल्य से कम है।
- g. संबद्ध वस्तुओं की मांग में वर्ष 2021-22 में वृद्धि हुई, वर्ष 2022-23 में कमी आई तथा उसके बाद जांच की अवधि में वृद्धि हुई।
- h. आयातों में वर्ष 2020-21 तक निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है और उसके बाद वर्ष 2021-22 में इसमें गिरावट आई है। तथापि, इस अवधि में, थाईलैंड के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं की प्रवंचना की गई थी। इसके बाद आयातों में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।
- i. आयातों की सापेक्ष दृष्टि से घरेलू बाजार में हिस्सेदारी बनी रही और इसका भारतीय बाजार पर करीब 20% तक नियंत्रण बना रहा।
- j. आयातों में उत्पादन और खपत के संबंध में वर्ष 2022-23 तक गिरावट आई और जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हुई है।
- k. आयातों की पहुंच कीमत वर्ष 2020-21 और 2021-22 में बिक्री मूल्य के स्तर से अधिक थी, जिससे उस समय आयातों की कीमतों में कटौती नहीं हो रही थी। थाईलैंड पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने के बाद, चीन से आयातों की पहुंच कीमत में महत्वपूर्ण गिरावट आई है और यह घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के स्तर से नीचे चली गई थी, यह प्रवृत्ति जांच की अवधि में भी जारी रही। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती हो रही है।
- l. आधार वर्ष में, बिक्री कीमत बिक्री की लागतों के स्तर से अधिक थी और चीन से आयातों की पहुंच कीमत भी घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक थी तथा यह थाईलैंड पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने तक बिक्री कीमत से अधिक रही। इस तरह से शुल्क लगाए जाने के बाद, घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत में वृद्धि हुई, तथापि, चीन से आयात कीमत में गिरावट आई है। जांच की अवधि में, बिक्री की लागत में 9% की वृद्धि हुई है और बिक्री कीमत में 3% तक की गिरावट आई है, जबकि चीन के आयातों की पहुंच कीमत में 2% तक की गिरावट आई है, जिसके चलते घरेलू उद्योग की कीमतों पर काफी निराशाजनक प्रभाव पड़ा है।
- m. घरेलू उद्योग के उत्पादन में वर्ष 2021-22 तक वृद्धि देखने में आई है और उसके बाद गिरावट आई है।
- n. घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वर्ष 2021-22 में वृद्धि हुई थी और उसके बाद वर्ष 2022-23 में गिरावट आई तथा जांच की अवधि में पुनः मामूली वृद्धि हुई थी। जांच की अवधि में ऐसी बिक्रियों में वृद्धि हानियों की कीमत पर की गई थी।
- o. उद्योग की क्षमता पूरी क्षति अवधि के दौरान और साथ ही जांच की अवधि में भी समान रही है।
- p. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वर्ष 2021-22 तक वृद्धि हुई और उसके बाद इसमें गिरावट आई है तथा पूरी क्षति अवधि के दौरान यह कम अनुकूल रही है।

- q. घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में बिक्रियों के माध्यम से जांच की अवधि में निर्यात बिक्रियों की अपनी हानियों की प्रतिपूर्ति करने में सक्षम था, तथापि, चीन के आयातों के चलते मांग में वृद्धि का अधिकांश हिस्सा छिन गया।
- r. घरेलू उद्योग आधार वर्ष में लागत से अधिक पर बिक्री करने और लाभ कमाने में सक्षम था। वर्ष 2020-21 में घरेलू उद्योग घाटे में चला गया और उसके बाद वर्ष 2022-23 में घाटे में रहते हुए भी इसमें कुछ हद तक सुधार आया। उसके बाद यह जांच की अवधि में और अधिक घाटे में चला गया।
- s. नकदी लाभ, ब्याज पूर्व लाभ, और आरओआई भी लाभ की तरह ही रहा।
- t. घरेलू उद्योग जांच अवधि में नकारात्मक प्रतिफल अर्जित कर रहा है।
- u. घरेलू उद्योग के बाजार अंश में वर्ष 2022-23 तक वृद्धि हुई और उसके बाद जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है।
- v. घरेलू उद्योग की वस्तुसूचियों में क्षति अवधि के दौरान लगातार वृद्धि हुई है, जिसमें जांच की अवधि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- w. रोजगार के स्तर में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और भुगतान की गई मजदूरी में भी यही प्रवृत्ति रही है।
- x. चीन से कम कीमत पर आयात आने के कारण जांच की अवधि में मात्रा और मूल्य दोनों मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि प्रतिकूल रही है।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

62. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति तथा कारणात्मक संबंध से संबंधित मामलों के संबंध में किए गए आवेदनों की जांच की गई है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में यहां हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न आवेदनों का स्वतः समाधान कर दिया गया है।
63. नियमावली के नियम 13 के साथ पठित उसके अनुबंध-1 में यह प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रख कर उन कारकों की जांच करना शामिल होगा जो घरेलू उद्योग की क्षति का संकेत दे सकते हैं, जिसमें "सब्सिडी वाले आयातों की मात्रा और समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर सब्सिडी वाले आयातों का प्रभाव और ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामस्वरूप प्रभाव" शामिल है।
64. नियमावली के नियम 24(3) में यह प्रावधान है कि समीक्षा के मामले में नियम 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22 और 23 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। यदि घरेलू उद्योग का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि उसने वर्तमान क्षति अवधि के दौरान किसी क्षति का सामना नहीं किया है, तो प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि क्या वर्तमान शुल्क समाप्त होने से घरेलू उद्योग को पुनः क्षति होने की संभावना है।
65. प्राधिकारी ने सब्सिडी और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने से पूर्व संबद्ध देश से आयातों के कारण क्षति संबंधी विभिन्न मापदंडों की जांच की है। यह जांच की गई है कि क्या आयातों में निरपेक्ष रूप से या उत्पादन या खपत के संदर्भ में वृद्धि हुई है। कीमतों पर सब्सिडी वाले आयातों के प्रभाव पर विचार

करते समय, यह जांच करना आवश्यक समझा गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में सब्सिडी वाले आयातों के कारण महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक कम करने अथवा कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण मात्रा में हो गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर सब्सिडी वाले आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांक जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, सब्सिडी की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमावली के अनुबंध-1 के अनुसार विचार किया गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न आवेदनों को ध्यान में रखा है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों को ध्यान में रखते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया क्षति विश्लेषण पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न आवेदनों का स्वतः समाधान करता है।

66. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन मूल्यहास और निवल अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि देखने में आई है। आवेदकों द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि दोनों ही आवेदकों द्वारा कुछ उपस्करों को बदला गया है। इसके परिणामस्वरूप निवल अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है, लेकिन क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मूल्यहास व्यय में वृद्धि होने के कारण क्षति विश्लेषण से कोई अलग स्थिति प्राप्त नहीं होगी।

मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग का आकलन

67. मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के जोड़ के रूप में निर्धारित किया गया है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	97	102
अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	124	123
संबद्ध आयात	मी. टन	706	328	338	546
अन्य आयात	मी. टन	141	342	99	51
कुल मांग	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	86	94

68. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में वर्ष 2021-22 में आधार वर्ष से वृद्धि हुई है और वर्ष 2022-23 में गिरावट आई है। इसके बाद संबद्ध वस्तुओं की मांग में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

ख. आयात की मात्रा

69. सब्सिडी वाले आयातों की मात्रा के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना अपेक्षित है कि क्या सब्सिडी वाले आयातों में निरपेक्ष रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
संबद्ध आयात	मी. टन	706	328	338	546
अन्य आयात	मी. टन	141	342	99	51
कुल आयात	मी. टन	847	670	437	597
निम्नलिखित के संदर्भ में संबद्ध देश के आयात					
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	33	42	69
मांग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	44	56	81
कुल आयात	%	83	49	77	91

70. यह देखा गया है कि :

- क. वर्ष 2021-22 में संबद्ध देश के आयातों में गिरावट आई है, जब संबद्ध वस्तुओं की थाईलैंड के माध्यम से प्रवंचना की जा रही थी।
- ख. इसके बाद वर्ष 2022-23 में चीन से आयातों में वृद्धि शुरू हुई और थाईलैंड पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने के बाद इसमें जांच अवधि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- ग. भारत में कुल आयातों के संबंध में संबद्ध देश से आयातों का बड़ा हिस्सा है।
- घ. भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश के आयातों में वर्ष 2021-22 में गिरावट आई और उसके बाद जांच अवधि तक इसमें वृद्धि हुई। इसमें विगत वर्ष की तुलना में जांच अवधि में यह 15% से बढ़कर 25% हो गया।
- ङ. मांग/ खपत के संबंध में संबद्ध देश के आयातों में वर्ष 2021-22 में गिरावट आई और उसके बाद इसमें जांच की अवधि तक वृद्धि हुई। भारत में महत्वपूर्ण क्षमताएं मौजूद होने के बावजूद, इसमें विगत वर्ष की तुलना में जांच अवधि में 7% तक की वृद्धि हुई है।

71. इस प्रकार यह देखने में आया है कि थाईलैंड से आयात के लिए उपायों का विस्तार किए जाने के बाद, आयातों में पुनः निरपेक्ष संदर्भ में और भारत में कुल आयात, उत्पादन और खपत के संदर्भ में वृद्धि हुई है।

कीमत प्रभाव

72. कीमतों पर सब्सिडी वाले आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में संबद्ध आयातों से महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में कमी करने अथवा कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो

अन्यथा सामान्य तौर पर महत्वपूर्ण मात्रा में हुई होती। संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव के लिए क्षति अवधि में कीमतों में वृद्धि, कीमतों में कटौती, कीमतों पर दबाव और कीमतों में मंदी, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत, क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) और निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है। इसके अलावा, क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की आयात कीमत के लिए विस्तार से जांच की गई है।

क. कीमत कटौती

73. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से पहुंच कीमत के साथ की गई है। संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लागू उचित सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों को जोड़ने के बाद पहुंच कीमत की गणना की गई है। तदनुसार, संबद्ध देश से सब्सिडी वाले आयातों का कीमत कटौती प्रभाव इस प्रकार हैं :

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
निवल बिक्री वसूली	रुपए / मी. टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	105	114	111
पहुंच कीमत	रुपए / मी. टन	4,59,854	5,89,885	5,47,712	4,86,422
सूचीबद्ध		100	128	119	106
कीमत कटौती	रुपए / मी. टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	20	94	129
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	19	82	116

74. यह देखने में आया है कि समग्र क्षति अवधि के दौरान कीमत कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण रही है।

ख. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

75. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या संबद्ध आयातों के कारण घरेलू कीमतों में ह्रास हो रहा है अथवा न्यूनीकरण प्रभाव पड़ रहा है और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से कम करना है या कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य रूप से हो गई होती, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों की जांच की गई है। नीचे दी गई तालिका तथ्यात्मक स्थिति को दर्शाती है:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
बिक्रियों की लागत	रुपए / मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	127	127	137
बिक्री कीमत	रुपए / मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	105	114	111
पंहुच मूल्य	रुपए / मी. टन	4,59,854	5,89,885	5,47,712	4,86,422
प्रवृत्ति		100	128	119	106

76. यह देखने में आया है कि जांच की अवधि में बिक्रियों की लागत में वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री कीमत में कमी आई है। पंहुच कीमत में आधार वर्ष से 2021-22 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद वर्ष 2022-23 में काफी कमी आई है और जांच की अवधि में और भी कमी आई है। आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है और कीमतों में मंदी आ रही है।

घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदंड

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

77. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्रियां और क्षमता उपयोग नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
संस्थापित क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	143	114	110
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	115	110
घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	97	102
निर्यात बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	143	165	131

78. यह देखा गया है कि:

क. घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता क्षति अवधि के दौरान स्थिर रही है।

- ख. घरेलू उद्योग के उत्पादन में आधार वर्ष से 2021-22 में वृद्धि हुई है, वर्ष 2022-23 में कमी आई है और जांच की अवधि में और भी कमी आई है।
- ग. क्षमता उपयोग में उत्पादन के समान ही प्रवृत्ति रही है। क्षमता उपयोग में वर्ष 2021-22 में वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच की अवधि तक गिरावट आई है।
- घ. घरेलू बिक्री में आधार वर्ष से 2021-22 तक वृद्धि हुई और उसके बाद वर्ष 2022-23 में कमी आई है। यहां तक की जांच की अवधि में बिक्री में मामूली वृद्धि देखने में आई है।
- ङ. निर्यात बिक्री में आधार वर्ष से 2022-23 तक वृद्धि हुई और उसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई है।

ख. बाजार हिस्सा

79. घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों, संबद्ध देश से आयात तथा अन्य देशों का बाजार हिस्सा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	111	107
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	143	129
संबद्ध आयात	%	27	12	15	22
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	44	56	81
अन्य आयात	%	5	13	4	2
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	260	80	40

80. यह देखा गया है कि जब संबद्ध वस्तुओं के आयातों की थाईलैंड के माध्यम से प्रवंचना की गई तो वर्ष 2021-22 में संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में कमी आई है। वर्ष 2022-23 में जब प्रवंचना रोधी शुल्क लगाए गए, तो संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई और उसके बाद जांच की अवधि में काफी वृद्धि हुई। अन्य देशों से आयातों के स्तर में वर्ष 2021-22 में वृद्धि देखी गई और उसके बाद काफी कमी आई है।
81. घरेलू उद्योग के हिस्से में वर्ष 2021-22 में वृद्धि हुई है और उसके बाद से कमी आई है। वर्ष 2021-22 के बाद जब दूसरे देशों के आयातों में गिरावट आई, तब भी घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसके बजाय घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।
- ग. लाभ, नकदी लाभ नियोजित पूंजी पर प्रतिफल
82. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का लाभ, नकदी लाभ, ब्याज से पूर्व लाभ तथा निवेश पर प्रतिफल नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
लाभ / (हानि)	रुपए / मी. टन	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(102)	(12)	(140)
नकद लाभ	रुपए / मी. टन	***	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(46)	23	(46)
ब्याज पूर्व लाभ	रुपए / मी. टन	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(85)	(7)	(121)
निवेश पर आय	रुपए / मी. टन (%)	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(70)	(4)	(85)

83. यह देखा गया है कि:

- क. घरेलू उद्योग को वर्ष 2021-22 में हानि हुई है, जबकि थाईलैंड के माध्यम से प्रवंचना के प्रभाव महसूस किए गए थे। वर्ष 2022-23 में शुल्क लगाए जाने के बाद, घरेलू उद्योग ने हानियों में कमी के साथ कुछ लाभ अर्जित किया। उसके बाद घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में हानि का सामना किया।
- ख. घरेलू उद्योग की दीर्घकालिक लाभप्रदता के लिए आशंका है क्योंकि आयातों की पहुंच कीमत बिक्रियों की लागत से कम है। यदि शुल्क हटा दिया जाता है, तो आयातों की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है।

घ. मालसूची

84. क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है :

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
प्रारंभिक	मी. टन	***	***	***	***
अंतिम	मी. टन	***	***	***	***
औसतन	मी. टन	380	514	642	644
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	135	169	170

85. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास समग्र क्षति अवधि के दौरान औसत मालसूची में काफी वृद्धि हुई है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

86. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	128	131
वेतन और मजदूरी	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	141	154
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	90	83

87. यह देखा गया है कि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। वेतन और मजदूरी के भुगतान में भी वृद्धि हुई है। आधार वर्ष से 2021-22 तक उत्पादकता में वृद्धि हुई है, वर्ष 2022-23 में गिरावट आई है और जांच अवधि के लिए उसी स्तर पर रही।

च. वृद्धि

88. घरेलू उद्योग की वृद्धि इस प्रकार है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
उत्पादन	%	20%	-5%	-4%
क्षमता उपयोग	%	20%	-5%	-4%
घरेलू बिक्रियां	%	15%	-16%	6%
लाभ / हानि	%	-202%	88%	-1029%
कुल लाभ / हानि – घरेलू	%	-217%	90%	-1095%
नकदी लाभ	%	-153%	141%	-313%

व्याज और कर पूर्व कुल लाभ - घरेलू बिक्रियां	%	-198%	93%	-1783%
बाजार हिस्सा	%	6.90%	0.01%	-1.59%

89. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का वृद्धि मात्रा और कीमत मापदंडों के संबंध में नकारात्मक है। यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में वृद्धि देखने में आई है, लेकिन घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में नकारात्मक वृद्धि दर्शायी गयी है।

ब. क्षति मार्जिन की मात्रा

90. प्राधिकारी ने जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत के संबंध में सूचना/ आंकड़ों को अपनाकर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण किया है। क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए एनआईपी पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने के लिए क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कच्ची सामग्रियों का श्रेष्ठ उपयोग करने पर विचार किया गया है। उपयोगिता के साथ भी यही संव्यवहार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता का श्रेष्ठ उपयोग करने पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत के लिए कोई असाधारण या अनावर्ती व्यय नहीं किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर समुचित प्रतिफल (22% कर-पूर्व) को क्षतिरहित कीमत प्राप्त करने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमत किया गया था।
91. चूंकि चीन के निर्यातकों ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, अतः सभी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत का निर्धारण डीजी सिस्टम आंकड़ों के आधार पर किया गया है।
92. उपरोक्त के अनुसार निर्धारित पहुंच कीमत और एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा क्षति मार्जिन की गणना की गई है और उसे नीचे दी गई तालिका में प्रदान किया गया है:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	जांच की अवधि
1	एन आई पी	\$/ मी. टन	***
2	पहुंच	\$/ मी. टन	5,845
3	क्षति मार्जिन	\$/ मी. टन	***
4	क्षति मार्जिन	%	15% - 25%

ट. कारणात्मक संबंध

93. नियमों के तहत, प्राधिकारी को अन्य के साथ-साथ, सब्सिडी वाले आयातों को छोड़कर ऐसे किसी भी अन्य ज्ञात कारक की जांच किए जाने की जरूरत है जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है अथवा क्षति होने की संभावना है, जिससे कि ऐसे अन्य कारकों के कारण होने वाली क्षति को सब्सिडी वाले आयातों के लिए जिम्मेदार न ठहराया जा सके। जबकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और

मूल जांच में पहले से ही कारणात्मक संबंध की जांच की जा चुकी है, अतः प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या सूचीबद्ध ज्ञात कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अथवा क्षति होने की संभावना है। इस बात की भी जांच की गई है कि क्या नियमों के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दिया गया हो सकता है अथवा योगदान दिए जाने की संभावना है।

क) अन्य देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

94. यह देखा गया है कि अन्य देशों से आयात या तो उच्च कीमतों पर होते हैं या उनकी मात्रा नगण्य होती है, या ये उपायों के अधीन होते हैं (थाईलैंड के मामले में)। अतः, घरेलू उद्योग को अन्य देशों से आयातों की मात्रा और कीमत के कारण क्षति नहीं हुई है।

ख) मांग में कमी अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन

95. विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट आई है और उसके बाद जांच की अवधि में उसमें पुनः वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों के संबंध में खपत की पद्धति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः, घरेलू उद्योग को मांग में संभावित कमी या खपत की पद्धति में परिवर्तन के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

ग) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधा प्रथाएँ और प्रतिस्पर्धा

96. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कोई भी व्यापार प्रतिबंध प्रथा नहीं है।

घ) प्रौद्योगिकी में विकास

97. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः प्रौद्योगिकी में विकास घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कारण नहीं है।

ड.) निर्यात प्रदर्शन

98. प्राधिकारी ने घरेलू और निर्यात प्रचालनों के लिए, जहां तक संभव हो सकता था, पृथक आंकड़ों पर विश्वास किया है।

च) अन्य उत्पादों का प्रदर्शन

99. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के प्रदर्शन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है।

छ) कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले मापदंड

100. निम्नलिखित मापदंड चीन के आयातों और शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की संभावना के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करते हैं:

- i. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (सीवीडी) शामिल किए जाने के बाद भी आयातों से घरेलू कीमतों में कटौती हो रही हैं। परिणामस्वरूप प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (सीवीडी) लगाए जाने के बाद भी और विशेष रूप से थाईलैंड से आयातों पर शुल्कों में वृद्धि किए जाने के बाद भी चीन से आयातों में वृद्धि हुई है।

- ii. संबद्ध आयातों के बाजार अंश में गिरावट आने के साथ साथ, घरेलू उद्योग के बाजार अंश में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 से संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में भी वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी आई है।
- iii. जबकि बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है, जिसमें बिक्री कीमत में वृद्धि बिक्रियों की लागत में वृद्धि से कमतर थी। कीमतों पर न्यूनीकरण के कारण घरेलू उद्योग के लाभों, नकदी लाभों और निवेशों पर आय के संबंध में प्रदर्शन में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।
- iv. संबद्ध आयातों में वृद्धि होने के साथ ही साथ, घरेलू उद्योग की बिक्रियों में गिरावट आई है। फलस्वरूप, घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
- v. जांच की अवधि में आयातों में वृद्धि होने के साथ ही, घरेलू उद्योग के पास मालसूची में वृद्धि हुई है।
- vi. सी.वी.डी. के बावजूद वर्तमान जांच की अवधि में निर्धारित चोट मार्जिन पर्याप्त है।
इस प्रकार यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को सीवीडी लागू किए जाने के बावजूद सब्सिडी वाले आयातों के कारण निरंतर क्षति का सामना करना पड़ा है।

ठ. क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना

ठ.1. हितबद्ध पक्षकारों के विचार

101. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे :
 - क. आवेदक का यह दावा गलत और आधारहीन है कि चीन के निर्माता निर्यातोंमुखी हैं और वैश्विक बाजार की जरूरतों की पूर्ति करते हैं। व्यापार मानचित्र सीमा शुल्क आंकड़े सांख्यिकी के अनुसार, वर्ष 2019-23 के दौरान भारत के पास सैक्रिन के लिए चीन के कुल निर्यात बाजार का केवल 3-5% हिस्सा है। वैश्विक रूप से चीन के कुल निर्यात में से, भारत के लिए कुल निर्यात 4,496 हजार अमरीकी डॉलर था, जो चीन के निर्यात बाजार का केवल 5% है।
 - ख. चीन के उत्पादकों की उत्पादन क्षमता का उपयोग घरेलू बिक्रियों और अन्य देशों को निर्यात, दोनों के लिए किया जाता है। भारत को निर्यातों की मात्रा काफी कम है, जो कि निर्यात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद का केवल 865 मीट्रिक टन है। वर्ष 2020 की तुलना में भारत को निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आया है। चीन की फर्मों की उत्पादन क्षमता के साथ-साथ विभिन्न अन्य देशों के लिए चीन के निर्यातों की मात्रा को भारतीय कंपनियों के नुकसान का आकलन करने में निर्णायक कारक नहीं माना जा सकता है।

ठ.2. घरेलू उद्योग के विचार

102. घरेलू उद्योग द्वारा, क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
 - क. शुल्क लगाए जाने के बावजूद, चीन के उत्पादकों और निर्यातकों को प्रतिसंतुलनकारिता के लाभ मिलना जारी है।

- ख. भारतीय और अमेरिकी दोनों प्राधिकारियों द्वारा की गई विगत जांचों से इस बात की पुष्टि होती है कि चीन में महत्वपूर्ण सब्सिडी के कारण उत्पादन की लागत कम है और निर्यात की मात्रा अधिक है।
- ग. भारत में चीन के आयात काफी अधिक रहे हैं, जबकि थाईलैंड से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। चीन के आयातों का बाजार में बड़ा हिस्सा बना हुआ है।
- घ. अमेरिकी प्राधिकारी ने वर्ष 2003 से 2015 तक संबद्ध आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया था।
- ङ. चीन के पास अधिक क्षमता है और वह समग्र भारतीय मांग से अधिक उत्पादन कर सकता है।
- च. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक और निर्यातक अत्यधिक निर्यातोन्मुखी हैं।
- छ. शुल्क लगाए जाने के बावजूद, भारत में संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत अन्य बाजारों की तुलना में कम है।
- ज. चीन के उत्पादकों ने शुल्कों को समाहित कर लिया है, जैसा कि पंहुच कीमतों में कमी आने से स्पष्ट है।
- झ. भारतीय उद्योग कमजोर है, और बाजार काफी अधिक कीमत संवेदनशील है।
- ञ. कम कीमत के आयातों के आने से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की स्थिति और भी खराब हो जाएगी।

ठ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

103. एक निर्णायक समीक्षा जांच में, प्राधिकारी को यह विश्लेषण करना अपेक्षित होता है कि क्या उपायों के निरस्त होने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकारी के ध्यान में लाए गए सभी कारकों की जांच यह निर्धारित करने के लिए की गई है कि क्या शुल्कों के निरस्त होने की स्थिति में सब्सिडी के जारी रहने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। प्राधिकारी ने सब्सिडी के जारी रहने अथवा क्षति होने की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सूचनाओं पर विचार किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने सब्सिडी जारी रहने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना को प्रभावित करने वाले अन्य प्रासंगिक कारकों की भी जांच की है। संभावना के मापदंडों की जांच इस प्रकार है।

क. आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि

104. कीमतों में भारी गिरावट आने के साथ ही विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध देश से आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के दौरान आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि होना यह संकेत देता है कि शुल्क निरस्त होने की स्थिति में आयातों में काफी वृद्धि होने की संभावना है।

ख. चीन की सरकार द्वारा संबद्ध वस्तुओं के लिए निरंतर सब्सिडी देना

105. प्राधिकारी ने यह पाया है कि शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं पर सब्सिडी जारी रही है। शुल्कों के जारी रहने के दौरान सब्सिडी का जारी रहना सब्सिडी के जारी रहने की संभावना को दिखाता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सब्सिडी-रोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में, संबद्ध देश से

आयातों में वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा, ऐसे आयात घरेलू उद्योग की विक्रियों की लागत से कम कीमत पर बने रहेंगे और इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

ग. घरेलू उद्योग द्वारा लाई गई ऐसी महत्वपूर्ण नई सब्सिडियां, जिनकी मूल जांच में जांच नहीं की गई थी, लेकिन जिनकी मौजूदगी विगत में बाद की जांचों में स्थापित हो गई है।

106. घरेलू उद्योग ने ऐसी महत्वपूर्ण नई सब्सिडियों को रिकॉर्ड में शामिल किया है, जिनकी मूल जांच में जांच नहीं की गई थी, लेकिन जिनकी मौजूदगी विगत में बाद की जांचों में स्थापित हो गई है। यहां तक कि, प्राधिकारी ने न्यायिक इकोनॉमी के सिद्धांतों का पालन करते हुए इन योजनाओं की जांच नहीं की है और यह विचार करते हुए कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया क्षति मार्जिन मूल जांच में पहले निर्धारित सीवीडी मार्जिन से कम है, लेकिन इन योजनाओं की मौजूदगी चीन के सैकरीन उत्पादकों को सब्सिडियां जारी रखने की संभावना को स्थापित करती है।

घ. महत्वपूर्ण कीमत कटौती

107. मौजूदा सी.वी.डी. के साथ और उसके बिना कीमत कटौती सकारात्मक है। इसके अलावा, सी.वी.डी. के बिना कीमत कटौती जांच की अवधि में काफी सकारात्मक है। इसलिए, सी.वी.डी. के समाप्त होने से कीमत कटौती में तेजी आने की संभावना है और भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि आने की संभावना है।

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
निवल विक्री वसूली	रु. / मी. टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	105	114	111
पंहुच कीमत	रु. / मी. टन	4,59,854	4,59,854	4,59,854	4,59,854
सूचीबद्ध		100	123	109	107
कीमत कटौती	रु. / मी. टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	37	130	126
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	30	119	118
बिना सीवीडी पंहुच कीमत	रु. / मी. टन	551,825	707,862	657,254	583,706
सूचीबद्ध		100	128	119	106
कीमत कटौती	रु. / मी. टन	***	(***)	***	***

सूचीबद्ध		100	(285)	22	193
कीमत कटौती	%	***	(***)	***	***
सूचीबद्ध		100	(222)	18	183

ड. चीन जन. गण. मे उत्पादकों की सरप्लस क्षमताएं

108. आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. में सैकरीन की महत्वपूर्ण अधिक्य क्षमताएं हैं। प्राधिकारी ने यह पाया है कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के अनुसार, अधिक्य क्षमताएं भारत की समग्र मांग को समाप्त कर सकती हैं। इसके अलावा, चूंकि चीन जन. गण. में अधिक्य क्षमताएं हैं, इसलिए चीन के उत्पादकों द्वारा भारत को बड़ी मात्रा में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किए जाने की संभावना है।
109. यद्यपि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने उत्तर नहीं दिया है और मौजूदा सरप्लस क्षमताओं के संबंध में कोई भी सत्यापन करने योग्य साक्ष्य और सूचना प्रदान नहीं की है, इसलिए घरेलू उद्योग ने चीन में उत्पादकों के पास भारी क्षमताएं होने और उनके अत्याधिक निर्यातोन्मुखी होने के संबंध में पर्याप्त सूचना प्रदान की है। यह देखा गया है कि चीन में अलग-अलग उत्पादकों के पास क्षमता भारत में समग्र मांग से काफी अधिक है।
110. वर्ष 2017 में चीन से आयात किए गए सैकरीन पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) जांच में इस प्राधिकारी के जांच परिणाम के अनुसार, चीन में केवल तीन निर्यातकों की क्षमताएं भारतीय मांग से अधिक थीं। आवेदकों ने उन दो निर्यातकों की क्षमता के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। नीचे दी गई तालिका में वर्तमान क्षमताएं दर्शाई गई हैं।

निर्यातक का नाम	क्षमता (मी. टन में)	
	पाटनरोधी शुल्क निर्णायक समीक्षा जांच (2017)	वर्तमान जांच
तियांजिन चियांगजी कैमिकल कं. लि.	3500	3500
मैसर्स कैफांग जिंगुआ फाइन कैमिकल लिमिटेड*	15000	50,000

*स्रोत : <http://www.kaifengchem.cn/index.html>

च. चीन में निर्यातकों का अधिक निर्यातोन्मुखी होना

111. आवेदकों द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि चीन के उत्पादक निर्यातोन्मुखी हैं और उनके पास जो क्षमताएं हैं, वे वैश्विक बाजार के लिए हैं। यह देखा गया है कि चीन के उत्पादक काफी निर्यातोन्मुखी हैं। नीचे दी गई तालिका में चीन से विश्व में संबद्ध वस्तुओं के निर्यात को दर्शाया गया है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
-------	------	---------	---------	---------	--------------

मात्रा (निर्यात)	मी. टन	17,986	15,411	15,321	15,560
------------------	--------	--------	--------	--------	--------

*स्रोत : ट्रेडमैप

112. जांच की अवधि में चीन का कुल निर्यात करीब 15,500 मी. टन रहा है। यह मात्रा भारतीय मांग की मात्रा से 6 गुना अधिक है।

छ. शुल्कों और प्रवंचना शुल्कों के बावजूद आयातों का जारी रहना

113. यह भी नोट किया जाता है कि चीन से आयातों की महत्वपूर्ण मात्रा थाईलैंड में स्थानांतरित हो गई है, क्योंकि चीन के निर्यातक भी शुल्कों की प्रवंचना करने के लिए थाईलैंड के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करके शुल्कों की प्रवंचना कर रहे थे। यह देखा गया है कि शुल्क लगाए जाने तक चीन से महत्वपूर्ण मात्रा में आयात हो रहे थे, जिसके बाद से वर्ष 2021-22 में यह मात्रा थाईलैंड में स्थानांतरित हो गई। वर्ष 2021-22 में, चीन से आयातों की मात्रा में काफी गिरावट आई है। वर्ष 2022 में, थाईलैंड पर प्रवंचना रोधी शुल्क लगाए जाने के बाद से, चीन से आयातों में वृद्धि होने लगी, जबकि थाईलैंड के आयातों में कमी आई है।

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
आयात – चीन	मी. टन	706	328	338	546
आयात – थाईलैंड	मी. टन	23	176	43	21

ज. अन्य देशों को क्षतिकारी निर्यात

114. आवेदकों ने कहा कि चीन के उत्पादक क्षतिकारी कीमतों पर निर्यात कर रहे हैं। आवेदकों ने क्षतिकारी और क्षतिरहित निर्यातों की मात्रा के साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाए हैं। विश्व के विभिन्न देशों में चीन से निर्यातों की मात्रा और कीमत का विश्लेषण किया गया है, जिसके बाद क्षतिरहित कीमतों से कम कीमतों पर किए गए निर्यातों को क्षतिकारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

	क्षतिकारी	क्षतिरहित	कुल
मात्रा (मी. टन)	11,129	4,431	15,560

115. प्राधिकारी ने यह पाया कि चीन से होने वाले कुल निर्यातों का करीब 72% क्षतिकारी कीमतों पर किया जाता है।

झ. भारत को निर्यात और शेष विश्व को निर्यात

116. जहां तक आवेदकों के इस अनुरोध का संबंध है कि चीन अन्य देशों की तुलना में भारत को कमतर औसत निर्यात कीमत पर निर्यात कर रहा है, प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
भारत	4,42,752.54	4,92,157.50	4,78,041.78	4,60,533.20

अन्य देश	4,83,241.82	5,43,000.90	5,56,389.30	5,10,826.83
----------	-------------	-------------	-------------	-------------

*स्रोत : ट्रेडमैप

117. उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि संबद्ध वस्तुओं पर शुल्क लगाए जाने के बावजूद, जिस कीमत पर संबद्ध वस्तुओं का भारत को निर्यात किया जा रहा है, वह कीमत अन्य देशों को औसत निर्यात कीमत से काफी कमतर है। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत को निर्यात उन कीमतों पर किया जा रहा है जो अन्य देशों के लिए औसत कीमत से काफी कमतर हैं।

ज. लगाए गए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का समावेशन

118. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि चीन के उत्पादकों ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखा है। आवेदकों ने आगे यह भी अनुरोध किया है कि इस प्रकार से क्षमता को बढ़ाया जाना मौजूदा लागू शुल्क होने के बावजूद है। आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि चीन के उत्पादकों ने लगाए गए शुल्कों का समावेशन कर लिया है, जैसा कि बड़े हुए क्षति मार्जिन से स्थापित होता है।

ट. संभावना के संबंध में निष्कर्ष

119. यहां तक कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने के बावजूद घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति का सामना करना पड़ रहा है। जांच की अवधि के दौरान आयातों में पर्याप्त वृद्धि होने से यह संभावना स्थापित होती है कि यदि वर्तमान शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तो आयातों में वृद्धि होगी। चीन के उत्पादकों को सब्सिडियां जारी रखने, घरेलू उद्योग के क्षतिरहित कीमत से कमतर कीमत पर चीन से शेष विश्व को अत्यधिक निर्यात होने, चीन में महत्वपूर्ण क्षमता में वृद्धि होने, वर्तमान क्षमता से अधिक अप्रयुक्त क्षमता का मौजूद होने, अन्य देशों को निर्यात कीमत से कमतर कीमत पर भारत को निर्यात करने, सीवीडी के साथ और इसके बिना दोनों ही प्रकार की कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती होने से भी क्षति की संभावना स्थापित होती है, जो प्रतिसंतुलनकारी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में भारत में आयातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाता है।

ठ. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मामले

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

120. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मामलों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. पाटनरोधी शुल्क जांच साथ साथ चल रही है। दोनों शुल्कों को लगाए जाने से दोहरा दंड लगेगा और यह निष्पक्ष व्यापार के सिद्धांत के खिलाफ होगा।
- ख. मेसर्स भूषण स्टील लिमिटेड बनाम भारत संघ (2012) में, सीईएसटीएटी ने यह पाया है कि दोनों शुल्कों को साथ साथ नहीं लगाया जाना चाहिए और त्रुटियों की प्रकृति के आधार पर उन्हें अलग-अलग लागू किया जाना चाहिए।
- ग. दोनों जांचों का संबंध एक ही घरेलू उद्योग और जांच की अवधि से है। इस दोहरापन के कारण, विरोधाभासी परिणामों से बचने और एक निष्कर्ष को दूसरे को प्रभावित किए जाने से रोकने के लिए दोनों जांचों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए।

- घ. प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क और सीवीडी जांच, दोनों को साथ साथ चलाना समाप्त करना चाहिए और पाटन व सब्सिडी मार्जिन का व्यापक मूल्यांकन किए जाने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
- ङ. सैक्रिन मधुमेह रोगियों के लिए एक अमूल्य साधन है। यह बड़ी संख्या में निचले स्तर के उपभोक्ताओं के लिए एक आवश्यक उत्पाद है।
- च. भारत में मधुमेह रोगियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण सब्सिडी रोधी शुल्क लगाना जन हित में नहीं होगा।
- छ. भारतीय उद्योग बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर सकता है, जिससे आयात आवश्यक हो गए हैं ताकि मधुमेह वाले व्यक्तियों के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
- ज. सैक्रिन सार्वजनिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुरक्षात्मक उपायों के कारण कीमतें अधिक हो सकती हैं और इसकी कम उपलब्धता हो सकती है।

ठ.2 घरेलू उद्योग के विचार

121. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मामलों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाना, समान स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए और एमएसएमई क्षेत्र में मुख्य रूप से शामिल भारतीय उत्पादकों को उचित अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है।
- ख. एक मजबूत भारतीय उद्योग न होने से भारतीय बाजार पर पूरी तरह से चीन के आयातों का कब्जा हो जाएगा, जिससे भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल की संकल्पना विफल हो जाएगी।
- ग. सब्सिडी वाले आयातों से घरेलू उद्योग को काफी क्षति हो रही है और भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का स्तर बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए और समान वस्तु के घरेलू उत्पादन की व्यवहार्यता को जारी रखने तथा आयात पर निर्भरता को रोकने के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों को जारी रखना आवश्यक है।
- घ. उत्पाद का मजबूत, प्रतिस्पर्धी, घरेलू उत्पादन होना आम जन के व्यापक हित में है।
- ङ. घरेलू उद्योग आंशिक रूप से एमएसएमई क्षेत्र में है और संबद्ध देश से अनुचित आयातों का सामना कर रहा है।
- च. सैक्रिन का उत्पादन करने में तीन महत्वपूर्ण उप उत्पाद उत्पन्न होते हैं, जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर फार्मास्युटिकल उद्योग के साथ-साथ पिगमेंट उद्योग में किया जाता है। इस प्रकार से, शुल्कों को जारी रखना अन्य उद्योगों के हित में होगा।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

122. प्राधिकारी यह मानते हैं कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकते हैं। तथापि, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लागू किए जाने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, सब्सिडी रोधी उपायों को लागू किए जाने से सब्सिडी के द्वारा प्राप्त अनुचित लाभों की समाप्ति हो गई, घरेलू उद्योग की गिरावट पर रोक लगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिली। प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों का उद्देश्य सामान्य रूप से सब्सिडी की अनुचित व्यापार प्रथा से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त

करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। अतः, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने से उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे संबद्ध देश से आयातों पर किसी भी तरह का प्रबंध नहीं लगेगा।

123. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की है। प्राधिकारी ने आयातकों और उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है, ताकि वे वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान कर सकें, जिसमें उनके प्रचालनों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों का संभावित प्रभाव भी शामिल है।
124. यहां तक कि प्राधिकारी ने प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के प्रभाव को मापने के लिए और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के विस्तार से उन पर किस प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इस संबंध में विस्तृत सूचना प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए प्रारूप निर्धारित किए हैं, लेकिन घरेलू उद्योग के अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने संगत सूचना प्रदान नहीं की है। इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन करने योग्य सूचना के साथ उपयोगकर्ता उद्योग पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के विस्तार का कोई प्रतिकूल प्रभाव स्थापित नहीं किया है।
125. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि केवल घरेलू उद्योग द्वारा आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया गया था। संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उपभोक्ता या व्यापारी ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, और न ही आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि किसी भी पक्षकार ने लागू शुल्कों के महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।
126. घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि उपभोक्ताओं पर शुल्कों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका बहुत मामूली प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, दूधपेस्ट के संबंध में उपभोक्ता पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना की गई है। सियन (एसआईओएन) के अनुसार, प्रत्येक 100 ग्राम के दूधपेस्ट में 0.002 ग्राम सैक्रिन की खपत को देखते हुए शुल्क का प्रभाव केवल 0.06% आता है।
127. यहां तक कि यदि यह मान भी लिया जाए कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का विस्तार होने से संबद्ध वस्तुओं के कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकते हैं, तो भी उपभोक्ता पर शुल्क का प्रभाव नगण्य होगा। इसके अलावा, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी, विशेष रूप से यदि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की वसूली घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित हो। प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने का उद्देश्य संबद्ध देश में निर्यातकों को सब्सिडी के प्रावधान से प्राप्त अनुचित लाभ को समाप्त करना, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को रोकना तथा संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता करना है।
128. प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के जारी रहने से भारत में संबद्ध वस्तुओं का अभाव नहीं रहेगा। यह नोट किया जाता है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगता है, बल्कि इससे उचित मूल्य पर आयातों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। घरेलू उद्योग के पास आयातों की मौजूदा मात्रा से अधिक अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता है। घरेलू उद्योग के पास उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण निर्यात हैं। शुल्क जारी रहने से बाजार में उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी स्थिति में, भारतीय उद्योग की सम्मिलित क्षमता भारत में मांग से अधिक है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश में पर्याप्त आपूर्ति बनी रहेगी।

129. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के जारी रहने से कोई भी अनुचित व्यापार प्रथा नहीं होगी, क्योंकि भारत में विचाराधीन उत्पाद के ऐसे अनेक उत्पादक हैं, जो बाजार में परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
130. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि शुल्क लगाने के लिए केवल तभी सिफारिश की जाती है जब आवश्यक कानूनी अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह भी नोट किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का प्रभाव नगण्य है और प्राधिकारी का यह विचार है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को लगाना जन हित में रहेगा।

ड. पोस्ट प्रकटीकरण टिप्पणियाँ

ड.1 अन्य इच्छुक पार्टियों के विचार

131. प्रकटीकरण विवरण के संबंध में अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गई थीं:
- क. प्राधिकरण ने अनजाने में/गलती से नोट कर लिया है कि शंघाई फॉर्च्यून ने व्यक्तिगत सब्सिडी मार्जिन के लिए अनुरोध किया है।
- ख. प्रतिवादी ने प्राधिकारी से प्रतिपूरक शुल्क के संदर्भ मूल्य की सिफारिश करने का अनुरोध किया है।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

132. प्रकटीकरण विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं:
- क. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि विषय वस्तुओं की मांग आधार वर्ष से घटकर 2022-23 हो गई और फिर पीओआई में वृद्धि देखी गई।
- ख. राष्ट्र में मांग और आपूर्ति में अंतर नहीं है और पर्याप्त क्षमता तथा उपाय लागू किए जाने के बावजूद चीन से आयात महत्वपूर्ण बना हुआ है।
- ग. विषय आयात आधार वर्ष में उच्च स्तर पर थे और फिर 2021-22 में गिरावट आई क्योंकि उन्हें थाईलैंड से दरकिनार किया जा रहा था। थाईलैंड तक शुल्क बढ़ाए जाने के बाद, चीन से आयात महत्वपूर्ण रहा और पीओआई में वृद्धि हुई, वर्तमान कर्तव्यों के बावजूद भारतीय बाजार के लगभग 20% पर कब्जा कर लिया।
- घ. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं क्योंकि लैंडिड मूल्यों में काफी गिरावट आई है और यह घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्यों से नीचे बनी हुई है। पीओआई में बिक्री की लागत में वृद्धि हुई जबकि बिक्री मूल्य में कमी आई।
- ड. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री 2021-22 तक बढ़ी, 2022-23 में गिरावट आई और POI में मामूली वृद्धि देखी गई।
- च. घरेलू उद्योग की क्षमता चोट की अवधि में स्थिर रहती है, जबकि घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में 2021-22 से गिरावट आई है।
- छ. आयातों में वृद्धि और बाद में आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

- ज. थाईलैंड से आयात शुरू होने के बाद से घरेलू उद्योग को नुकसान होने लगा, थाई आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहा था। थाईलैंड में कर्तव्यों को बढ़ाए जाने के बाद, 2022-23 में घरेलू उद्योग का नुकसान कम हो गया। इसके बाद चीनी निर्यातकों ने लगाए गए शुल्कों को अवशोषित करना शुरू कर दिया, जिससे पीओआई में नुकसान तेज हो गया।
- झ. उत्पादन में गिरावट के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई में घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में वृद्धि हुई।
- ञ. चीन में सब्सिडी जारी है जो घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य जैसे चीनी कानूनों, 14 वीं पंचवर्षीय योजना और अन्य प्रासंगिक अधिसूचनाओं के माध्यम से साबित होती है।
- ट. देश में सैकरीन उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण निवेश किया गया है, यहां तक कि एमएसएमई कंपनियां भी भारतीय उद्योग का हिस्सा हैं। वही महत्वपूर्ण रोजगार भी पैदा करता है।
- ठ. विषय वस्तुओं के डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ता विषय वस्तुओं के बहुत छोटे हिस्से का उपयोग करते हैं।
- ड. जांच द्वारा परिकलित एनआईपी घरेलू उद्योग की वास्तविक लागत की तुलना में अनावश्यक रूप से कम प्रतीत होता है। आवेदकों का अनुरोध है कि एनआईपी के निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली मूल जांच के समान होनी चाहिए।
- ढ. आपूर्ति का घरेलू स्रोत होना भारत को आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम है। उपभोक्ताओं के लिए घरेलू आपूर्ति का एक स्थिर, स्वस्थ और निर्भर स्रोत होना महत्वपूर्ण है। भारतीय उत्पादक घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को प्राथमिकता देंगे, जबकि विदेशी उत्पादक अपना ध्यान अधिकतम लाभ कमाने के लिए अन्य देशों की ओर स्थानांतरित कर सकते हैं।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

133. प्राधिकरण ने इच्छुक पाटयों द्वारा किए गए प्रकटीकरण पश्चात प्रस्तुतियों की जांच की है और यह नोट किया है कि अधिकांश टिप्पणियां दोहराई गई हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है और अंतिम निष्कर्षों के संगत पैरा में पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है। संक्षिप्तता की दृष्टि से प्राधिकरण द्वारा प्रकटीकरण के बाद की इस जांच में भी ऐसा नहीं दोहराया जा रहा है। इच्छुक पक्षों द्वारा प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियों/प्रस्तुतियों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक समझे गए मुद्दों की नीचे जांच की जाती है।
134. प्राधिकरण नोट करता है कि शंघाई फॉर्च्यून ने व्यक्तिगत कर्तव्य की मांग नहीं की है। निर्यातक के इस तर्क के संबंध में कि उच्च उतराई मूल्य के कारण शुल्क का संदर्भ मूल्य लागू किया जाना है, निर्यातक ने आयात की उच्च कीमत को प्रदर्शित करने के लिए आवेदकों द्वारा प्रदान की गई उतराई कीमत को केवल उद्धृत किया है, जिसके बारे में वे दावा करते हैं कि यह संदर्भ मूल्य को न्यायोचित ठहराता है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाता है कि आयात की उतराई कीमत वास्तव में पीओआई के दौरान कम हो गई और घरेलू

उद्योग की बिक्री मूल्य और बिक्री की लागत से नीचे है। इसलिए, निर्यातक का तर्क योग्यता के बिना है और संदर्भ मूल्य के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में कि चोट की अवधि के दौरान बिक्री की लागत में ***% की वृद्धि हुई है।

135. गैर-हानिकारक मूल्य (एनआईपी) पर घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए विवाद के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि विचाराधीन उत्पाद के एनआईपी की गणना पाटनरोधी (एडी) नियम 1995 के अनुलग्नक III के प्रावधानों के अनुसार की जाती है जो घरेलू उद्योग के घटकों द्वारा कच्चे माल, उपयोगिताओं और क्षमता उपयोग का सर्वोत्तम उपयोग प्रदान करता है, पिछले तीन वर्षों की अवधि में कच्चे माल के अकुशल उपयोग द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, को कम करने के लिए पीओआई और पीओआई दरों पर पीओआई दरों पर विचार किया जा सकता है।

ण. निष्कर्ष

136. उठाए गए विवादों, इच्छुक पक्षों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और प्रस्तुतियों और प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उपरोक्त निष्कर्षों में दर्ज किया गया है, और घरेलू उद्योग को सब्सिडी और चोट की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण निम्नानुसार निष्कर्ष निकालता है:

- क. चीनी सरकार (जीओसी) ने कोई सबूत नहीं दिया है और न ही आवेदन में उल्लिखित कार्यक्रमों के अस्तित्व पर विवाद किया है। जीओसी ने न तो प्रश्नावली का जवाब दिया है और न ही कोई प्रासंगिक जानकारी प्रदान की है।
- ख. विचाराधीन उत्पाद 'अपने सभी रूपों में सैकरीन' है, जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया है, जिसमें सैकरीन नमक या सैकरीन, सोडियम सैकरीन, अघुलनशील सैकरीन, सैकरीन एसिड शामिल हैं। सैकरीन के सभी रूप विचाराधीन उत्पाद के भीतर आते हैं।
- ग. प्राधिकरण मानता है कि आवेदक नियमों के नियम 2(b) के तहत घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और नियम 5(3) के अनुसार खड़े होने के मानदंडों को पूरा करते हैं। दोनों कंपनियों का सामूहिक उत्पादन भारतीय उत्पादन का अधिकांश हिस्सा है।
- घ. प्राधिकरण इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों से संतुष्ट है और उन्हें स्वीकार कर लिया है।
- ड. प्राधिकरण मानता है कि दोहरे उपाय का सवाल केवल तभी उठता है जब पाटनरोधी शुल्क और काउंटरवेलिंग झूटी दोनों की सिफारिश की जा रही हो, और इसलिए काउंटरवेलिंग झूटी के विस्तार में दोहरे उपाय की संभावना उत्पन्न नहीं होती है। पाटनरोधी शुल्क के दौरान प्राधिकरण द्वारा संभावना पर उचित रूप से विचार किया जाएगा और यदि प्राधिकरण एडीडी लगाने की सिफारिश करने का निर्णय लेता है।

- च. चीनी सरकार या निर्यातकों से सार्थक जानकारी की कमी के कारण, प्राधिकरण ने रिकॉर्ड पर जानकारी पर भरोसा करके योजनाओं की निरंतरता की जांच की है और पाया है कि ये प्रतिशोधी योजनाएं चीन से उत्पाद के उत्पादन निर्यात को लाभ पहुंचाती रहती हैं।
- छ. भाग लेने वाले निर्यातक ने विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करने का विकल्प चुना है, और निर्यातक और अन्य इच्छुक पार्टियों ने इन योजनाओं को जारी रखने के संबंध में घरेलू उद्योग के दावों का खंडन नहीं किया है।
- ज. प्राधिकरण ने पाया कि जीओसी ने विभिन्न योजनाओं को जारी रखने के बारे में घरेलू उद्योग के दावे पर विवाद नहीं किया है और इन योजनाओं के बारे में प्राधिकरण के पिछले निष्कर्षों का खंडन करने के लिए जानकारी और सबूत प्रदान नहीं किए हैं।
- झ. प्राधिकरण ने मूल जांच में प्रतिशोधी समझी जाने वाली योजनाओं की निरंतरता का आकलन करने के लिए पिछली जांच और वर्तमान रिकॉर्ड पर निर्भरता रखी है।
- ञ. प्रासंगिक दस्तावेजों और विभिन्न योजनाओं से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा करने के बाद, प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि कथित रूप से जारी योजनाएं अभी भी चीनी निर्यातकों को लाभ प्रदान करती हैं। चीन सरकार द्वारा असहयोग और भागीदारी को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण लाभ की वही मात्रा मानता है जो मूल जांच में जारी है।
- ट. घरेलू उद्योग द्वारा कथित 34 नई सब्सिडी योजनाओं के लिए, प्राधिकरण नोट करता है कि चीनी सरकार और चीनी उत्पादकों/निर्यातकों ने घरेलू उद्योग के दावों का खंडन करने के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान नहीं की है। इसके अलावा, प्राधिकरण नोट करता है कि मूल जांच में निर्धारित काउंटरवेलिंग ड्यूटी मार्जिन वर्तमान जांच में निर्धारित चोट मार्जिन से अधिक है। इसलिए, न्यायिक अर्थव्यवस्था के हित में, प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग द्वारा रिकार्ड में लाई गई इन नई राजसहायता योजनाओं की जांच न करना उचित समझा है।
- ठ. विषय वस्तुओं की मांग आधार वर्ष 2021-22 से बढ़ी, 2022-23 में गिरावट आई, फिर जांच की अवधि के दौरान बढ़ गई।
- ड. 2021-22 में विषय देश से आयात में गिरावट आई जब थाईलैंड के माध्यम से माल को दरकिनार कर दिया गया था, लेकिन ये आयात अभी भी भारत में कुल आयात पर हावी हैं।
- ढ. प्राधिकरण नोट करता है कि मौजूदा सीवीडी की अनुपस्थिति में आयात महत्वपूर्ण मूल्य कटौती का कारण होगा। इसके अलावा, आयातों से घरेलू उद्योग मूल्यों पर काफी दबाव डालने वाले और निराशाजनक प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- ण. घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर बनी हुई है, 2021-22 में उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है, फिर 2022-23 में घटती है और जांच की अवधि में आगे भी घटती है। घरेलू बिक्री ने जांच की अवधि में मामूली वृद्धि के साथ एक समान प्रवृत्ति का पालन किया।

- त. थाईलैंड के माध्यम से छल के कारण 2021-22 में विषय आयात की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई, लेकिन 2022-23 और जांच की अवधि में वृद्धि हुई, जिससे गैर-विषय आयात में गिरावट के बावजूद घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी कम हो गई।
- थ. घरेलू उद्योग ने 2021-22 में थाईलैंड के माध्यम से छल के कारण नुकसान का अनुभव किया। 2022-23 में थाईलैंड से आयात पर शुल्क बढ़ाए जाने के बाद, घाटे में गिरावट आई। तथापि, पीओआई में घरेलू उद्योग को हुए नुकसान में पुन वृद्धि हुई। यदि प्रतिशुल्क हटा दिया जाता है तो घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में और गिरावट आने की संभावना है।
- द. चोट की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत सूची में काफी वृद्धि हुई है।
- ध. मात्रा और मूल्य मापदंडों पर विचार करते समय घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक है।
- न. वर्तमान काउंटरवेलिंग ड्यूटी की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को नुकसान होने की संभावना है, जैसा कि निम्नलिखित कारकों द्वारा स्थापित किया गया है:
- क. अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को घायल कर दिया है। गैर-विषय देशों से आयात न्यूनतम और उच्च कीमत पर होता है, जिसमें मांग पैटर्न या गुणवत्ता के मुद्दों में कोई बदलाव नहीं होता है जो नुकसान में योगदान देता है।
 - ख. जांच अवधि के दौरान आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि से यह संकेत मिलता है कि यदि शुल्कों को हटा दिया जाता है तो आयातों में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना है।
 - ग. शुल्कों के अस्तित्व के दौरान निरंतर सब्सिडी से पता चलता है कि सब्सिडी जारी रहने की संभावना है।
 - घ. नई सब्सिडी योजनाएं चीनी उत्पादकों को चल रही सब्सिडी की संभावना का संकेत देती हैं।
 - ङ. जांच की अवधि के दौरान सीवीडी के बिना महत्वपूर्ण मूल्य कम कटिंग से पता चलता है कि सीवीडी समाप्त होने से भारतीय बाजार में मूल्य कम कटौती और आयात में वृद्धि होगी।
 - च. जांच की अवधि के दौरान चीन का कुल निर्यात, लगभग 15,500 मीट्रिक टन, भारतीय मांग की मात्रा से छह गुना अधिक है।
 - छ. कुल चीनी निर्यात का लगभग 72% हानिकारक कीमतों पर किया जाता है।
 - ज. शुल्कों के बावजूद, भारत को निर्यात की कीमत अन्य देशों की तुलना में काफी कम है।
 - झ. प्रतिकारी शुल्कों का उद्देश्य अनुचित व्यापार पद्धतियों के कारण होने वाली क्षति को समाप्त करना और भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा बहाल करना है, न कि आयात को प्रतिबंधित करना।
- प. प्राधिकरण ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जिसे इस जांच के लिए सभी इच्छुक पार्टियों को भेजा गया था। घरेलू उद्योग को छोड़कर किसी भी इच्छुक पक्ष ने आर्थिक हित प्रश्नावली का जवाब नहीं दिया है। घरेलू उद्योग ने शुल्क के संभावित प्रभाव की मात्रा भी प्रदान की है। प्राधिकरण ने

उपभोक्ताओं पर प्रतिकारी शुल्क के प्रभाव की मात्रा निर्धारित की है और पाया है कि उपभोक्ताओं पर सीवीडी का प्रभाव बहुत कम है।

ण. सिफारिशें

137. प्राधिकरण नोट करता है कि जांच शुरू की गई थी और सभी इच्छुक पार्टियों को अधिसूचित किया गया था और उन्हें सब्सिडी, चोट, कारण लिंक, सब्सिडी की निरंतरता/पुनरावृत्ति की संभावना और चोट और अनुशंसित उपायों के प्रभाव के पहलू पर जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। प्रतिकारी शुल्क नियमावली के अंतर्गत यथा निर्धारित सूर्यास्त समीक्षा जांच के प्रावधानों के अनुसार जांच शुरू करने और संचालित करने के पश्चात्, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि संबंधित वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क को आगे बढ़ाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, प्राधिकरण विचाराधीन उत्पाद के आयात पर प्रतिशुल्क के विस्तार की सिफारिश करता है।
138. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी चीन जन.गण. में मूलतः उत्पन्न अथवा वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर, जैसा कि नीचे शुल्क तालिका के कॉलम 6 में दर्शाया गया है, निश्चयात्मक प्रतिपूरक शुल्क को केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	सीआईएफ (CIF) मूल्य के % के रूप में शुल्क राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2925 11 00	चीन	चीन	कोई भी	20%

त.आगे की प्रक्रिया

139. इन अंतिम निष्कर्षों में प्राधिकरण के निर्धारण के विरुद्ध अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष होगी।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 27th November, 2024

Case No. CVD-SSR-14/2023**Subject: Sunset review of countervailing duties concerning imports of "Saccharin" originating in or exported from China PR.****A. BACKGROUND**

1. **F. No. 7/34/2023-DGTR.**—An anti-subsidy investigation into imports of “Saccharin” (hereinafter referred to as “subject goods” or “product under consideration”) from China PR (hereinafter referred to as “subject country”) was initiated by the Authority vide notification no. 6/18/2018-DGAD dated 10th August 2018. Following a detailed investigation, the Designated Authority concluded that the subsidy provided by the Chinese government to the producers of the subject goods were countervailable in nature and the subject goods were exported from China PR at subsidised prices causing injury to the domestic industry. The Authority recommended imposition of definitive countervailing duties on the imports of the subject goods from the subject country vide Final Finding No. 6/18/2018- DGAD dated 19th June 2019. The definitive measures were imposed by the Ministry of Finance vide Customs notification no. 2/2019- Customs (CVD), dated 30th August 2019. Subsequently, an anti-circumvention investigation was initiated vide Notification No. 07/05/2022-DGTR, dated 17th March 2022 concerning imports of Saccharin from Thailand. The Authority vide Notification No. 07/05/2022 recommended extension of the existing countervailing duty to imports from Thailand which was imposed vide Customs Notification No. 04/2022- Customs (CVD) dated 21.10.2022. Pending the conclusion of the present review, the countervailing duty on China PR was extended vide notification no. 02/2024-Customs(CVD), dated 28th May 2024 till 28th February, 2025.
2. In terms of Section 9(6) of the Act and Rule 24(3) of the CVD Rules, the countervailing duties imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of the said countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidisation and injury to the domestic industry. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of duly substantiated application filed by or on behalf of the domestic industry as to whether there is a need for the continued imposition of the countervailing duty, and whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidisation and injury.
3. Blue Jet Healthcare Ltd. and Swati Petro Products Pvt. Ltd. (hereinafter collectively referred to as “Applicants”) filed an application before the Designated Authority in accordance with the Act and the Rules, requesting initiation of the sunset review investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.
4. The Applicants have sought the continuation of the duration of the countervailing duty and increase in the quantum of duty against imports of the subject goods from the subject country. The request was based on the ground that the expiry of the countervailing duty was likely to result in continuation of subsidised imports of the subject goods and consequent injury to the domestic industry.

5. The Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the Applicants, issued a public notice vide notification no. 7/34/2023-DGTR, dated 26th March 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the Rules, to determine the existence, degree, and effect of the alleged subsidy and to recommend the amount of anti-subsidy/ countervailing duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
6. The scope of the present review covers all aspects of the final findings notification no. 6/18/2018- DGAD dated 19th June 2019.

B. PROCEDURE

7. The procedure described hereinbelow has been followed by the Authority regarding the subject sunset review.
 - i. The Authority, under the above Rules, received a written application from the Applicants, as the domestic industry contending likelihood of continuation of subsidised imports and recurrence of injury to the domestic industry on imports of the product under consideration in India.
 - ii. The Authority notified the embassy of China PR in India about the receipt of the review application before initiating the investigation in accordance with Rule 6(5).
 - iii. The Authority in terms of Article 13 of the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (hereinafter referred to as “ASCM”) provided the opportunity to the Government of the People’s Republic of China for pre-initiation consultations. The Government of China responded that the application was void of merits & evidence and should be dismissed by the Authority. The Authority then subsequently sent a reminder which yielded no response from the Government of China.
 - iv. The Authority then issued a public notice dated 26th March 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the sunset review of anti-subsidy investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.
 - v. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 26th March 2024, to the Chinese embassy in India, the known producers and exporters from China PR, known importers/users in India and other interested parties, as per the available information. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time limit.
 - vi. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known Chinese producers/exporters and to the embassy of China PR in accordance with Rule 7(3) of the Rules.
 - vii. The Authority issued an economic interest questionnaire (EIQ) to all interested parties and the concerned ministry. Response to EIQ was submitted only by the domestic industry.
 - viii. The Authority sent a questionnaire to the Government of China seeking relevant information in the form and manner prescribed regarding various schemes/programs where countervailable benefit might have been conferred onto the Chinese producers/exporters of the product under consideration. No response was filed by the Government of China.
 - ix. The Authority sent exporter’s questionnaires to the following known producers/exporters in China PR in accordance with Rule 7(4) of the Rules:
 - a. A.H.A International Co. Ltd.
 - b. Anhui Ebuy International Co. Ltd.
 - c. Cidic Holding Co. Limited
 - d. Cosmoss VU Ltd.
 - e. Guangxi Golden Stride Import Export Co. Ltd.
 - f. Hangzhou Dawn Ray Pharmaceutical Co. Ltd.
 - g. Hangzhou Yeastar Biotech Co. Ltd.
 - h. Hebei Yunsheng Biotechnology Co. Ltd.
 - i. Hebei Yuwei Biotechnology Co. Ltd.
 - j. Henan Kaifeng Pingmei Shenma
 - k. Henan Kaizhu Technical Co. Ltd.

- l. Jiali-Bio Group Qingdao Limited
 - m. Qingdao Ruixing Titanium Industry Co. Ltd.
 - n. Sinochem Supply Chain Management
 - o. Tianjin Changjie Chemical Co. Ltd.
 - p. ZF Sungold Corporation
 - q. Zhejiang Chemicals Import and Export
- x. In response to the above notification, the following exporter responded and registered as an interested party. However, it only filed a legal submission but did not file a response to the exporter questionnaire or the economic interest questionnaire.
- a. Shanghai Fortune Chemical Co. Ltd.
- xi. Questionnaires were sent to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with the Rules:
- a. 3M India Limited
 - b. Adcock Ingram Ltd.
 - c. Anand Enterprises
 - d. Anshul Life Sciences
 - e. APL Healthcare Limited
 - f. Auorbindo Pharma Limited
 - g. Aurigene Pharmaceutical Services Limited
 - h. Bajaj Healthcare Limited
 - i. Chem International
 - j. Chromatopak Analytical Instrumentation India Pvt. Ltd.
 - k. Colgate Palmolive India Ltd.
 - l. DKSH India Private Limited
 - m. Electrochem Technologies India Private Limited
 - n. Ganga Enterprises
 - o. GLS Global Lab Solutions Private Limited
 - p. Gowrie Research Private Limited
 - q. Hind Agro Sales
 - r. Hindustan Unilever Limited
 - s. Jaimaruti Polychem LLP
 - t. Jet Chemicals Pvt. Ltd.
 - u. Kusuma Pharma
 - v. Medopharm
 - w. Merck Life Science Pvt. Ltd.
 - x. Mettler-Toledo India Pvt. Ltd.
 - y. Minerva Biogenix Pvt. Ltd.
 - z. Molecules Analytical Lab Solutions Private Limited
 - aa. Mylan Laboratories Limited
 - bb. Nextera Management Services
 - cc. Pfizer Healthcare India Private Limited
 - dd. Pharmonix Biologicals Private Limited
 - ee. Planet Science
 - ff. Radian Products LLP
 - gg. Raks Pharma Pvt. Ltd.
 - hh. Ramdev Chemical Private Limited
 - ii. Reckitt Benckiser India Private Limited
 - jj. S Kesarimal
 - kk. Sandeep Organics Pvt. Ltd.
 - ll. Shree Yamuna Enterprises
 - mm. Sigma Aldrich Chemicals Pvt. Ltd.
 - nn. Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

- oo. Teknirvana Tradelink Private Limited
- pp. Thermo Fisher Scientific India Private Limited
- qq. TTK Healthcare Limited
- rr. Ultra International
- ss. Watson Pharma Pvt. Ltd.

- xii. In response to the above notification, the following two parties responded and registered as an interested party. However, they only filed a legal submission and neither party filed a response to the user/importer questionnaire nor the economic interest questionnaire.
 - a. China Chamber of Commerce for Import & Export of Medicines & Health Products (CCCMHPIE)
 - b. Sandeep Organics
- xiii. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.
- xiv. Exporters, producers, and other interested parties who have not responded to the Authority nor supplied sufficient information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperative.
- xv. The period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is 1st October 2022-30th September 2023 (12 months) and the injury period is 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, and the POI.
- xvi. The Authority has relied upon DG System data for the required analysis after due examination of the transactions.
- xvii. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if countervailing duty lower than the subsidy margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xviii. Verification of the information provided by the domestic industry and other interested parties to the extent deemed necessary was carried out. Only such verified information has been relied upon for the purpose of this final finding.
- xix. The Authority held an oral hearing on 10th October, 2024 to provide an opportunity to the interested parties to present the information orally in accordance with Rule 7(6). Oral hearing was held in hybrid mode. All the parties that presented their views orally were advised to file their submissions in writing by 16th October, 2024. The interested parties were allowed to offer rejoinder to the submissions made by other interested parties latest by 22nd October, 2024.
- xx. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 14 November 2024. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
- xxi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation to the extent found relevant have been considered by the Authority, in establishing essential facts under consideration.
- xxii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claimed. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xxiii. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- xxiv. '***' in this final finding represents information furnished by the interested parties on a confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxv. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1= INR-83.21.

C. LEVEL OF COOPERATION BY GOVERNMENT OF CHINA

8. The Authority notes that adequate opportunity was provided to the Government of the People's Republic of China ("GoC"), through written communications and consultations, to provide relevant information concerning existence, operations, and administration of various subsidy schemes contended by the Applicants, the countervailability of the same vis-à-vis the WTO ASCM and the CVD Rules, and benefits availed by the Chinese producers/exporters under these schemes. The Government of China has not filed response to the questionnaire, nor has it provided any information relevant to various subsidy schemes. The Government of China has thus not cooperated with the Authority in the present investigation. Had the Government of China cooperated with the Authority by providing a questionnaire response along with relevant information/document/evidences, the Authority would have been in a position to make a determination on the basis of such information/ documents/evidences. As the Government of China has not extended the required cooperation, the Authority is constrained to proceed with the available information in making the findings.

D. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**D.1. Views of other interested parties**

9. The submissions made by other interested parties regarding the product under consideration and like article are as follows:
- The subject goods that are intended for direct human usage/consumption i.e. in food, pharmaceuticals, skin care products, etc., may comply with United States Pharmacopeia ("USP"), whereas the subject goods meant for uses such as electroplating, metalworking fluids, and other industrial applications will not.
 - The subject goods that are compliant with USP standards increases costs and price of the subject goods as compared to those subject goods that does not comply with the standards and PCN must be decided on this basis.
 - Price of the subject goods varies for sodium or soluble, and insoluble saccharin.
 - Sodium or soluble saccharin is imported more.
 - Price of the subject goods varies as per the packing of the subject goods in drums or bags.
 - Price of the subject goods also varies as per the mesh size, where the bigger the mesh is, the price is higher.
 - Water content of the subject goods impacts the price, as powder is comparatively cheaper.

D.2. Views of the domestic industry

10. The submissions made by the Applicants regarding the product under consideration and like article are as follows:
- The subject goods in India are not produced with differential grades or specifications, and the characteristics remain the same, regardless of the use it is intended for.
 - Intended application of the subject goods is not a consideration at the stage of production, and production meant for food applications and other applications such as pharmaceutical or electroplating applications do not undergo any major difference.
 - The process of crystallisation that the subject goods undergoes always gives the highest and purest grade of the product, which can then be used in all applications.
 - In the history of investigations concluded by the Authority on the subject goods, there has been no PCN allocated to the subject goods, since the first investigation in 2008.
 - Authority has repeatedly held in investigations that there is no significant difference between soluble and insoluble forms of saccharin as was held in the anti-dumping investigation on imports of the subject goods from Indonesia.
 - Difference in production processes of the Applicants does not result into different products.
 - The subject goods produced through both processes are perceived by the customers as one.

- h. The functions and uses of the subject goods produced through both processes are the same and consumers can and do use the two products interchangeably.
- i. The price of the subject goods produced through both processes move in tandem with each other and the cost of production in the POI through both processes is also largely similar.
- j. There is only very minimal variation in the price between soluble and insoluble saccharin.
- k. The usage of saccharin differs depending on the requirement of the end customer.
- l. Insoluble saccharin, which is used in the electroplating industry, is generally consumed less in India.
- m. Soluble saccharin can also be converted into insoluble saccharin.
- n. The subject goods are largely transacted in powder form.
- o. There is no difference in cost or price of the subject goods that is dependent on the mesh size.
- p. Salt of saccharin is part of the product under consideration and all forms of saccharin are nothing but different salts of saccharin, which are part of the product under consideration.
- q. The product under consideration includes all forms of saccharin, and in particular- soluble saccharin, sodium saccharin, and the salt of saccharin, as well as insoluble saccharin as these are merely terms for the various forms of saccharin and nothing more.

D.3. Examination by the Authority

11. The scope of the product under consideration in the original investigation was defined as follows:

“The product under consideration in the present investigation is “Saccharin in all its forms”. “Saccharin is a non-nutritive sweetener and considered to be low calorie substitute for cane sugar. Primarily there are two types of Saccharin i.e. soluble and insoluble. In market parlance soluble saccharin is called sodium saccharin whereas insoluble saccharin is called saccharin or saccharin acid. Saccharin is produced in two physical forms, viz. granular and powder. Sodium saccharin in granular form is used in situations where saccharin will be dissolved, the powder form which has been grounded and spray dried is used in dry mixes and pharmaceuticals. It is slightly soluble in water. Insoluble form of saccharin is used in many pharmaceutical and medical applications. Saccharin is used in a variety of industry such as food and beverage, personal care products, tabletop sweeteners, electroplating brighteners, pharmaceuticals, etc. All forms of Saccharin are within the scope of the present investigation.”

12. The present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation. The Authority considers that the customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the PUC in the present investigation.
13. With regard to the claim on price and cost of the product varying based on mesh size, the Authority notes that no evidence has been provided by the interested parties substantiating such argument. Further, the Applicants have placed on record in this regard, the cost of production and descriptions of the process of selecting mesh size, clearly establishing that the mesh size does not affect the cost or price of the final product.
14. As regards the Applicants submission that the product under consideration includes all forms of saccharin, and in particular- soluble saccharin, sodium saccharin, and the salt of saccharin, as well as insoluble saccharin, the Authority first refers to its statements in the final findings of the original investigation, where it was held that soluble saccharin is called sodium saccharin in market parlance. Further, from analysis of the literature placed on record by the Applicants, it is evident that salt of saccharin is merely a different term for sodium saccharin and soluble saccharin. It is thus evident that salt of saccharin is also a form of saccharin. Therefore, it is held that salt of saccharin is also a form of saccharin, and is included within the scope of the product under consideration in the present investigation.
15. The product under consideration is classified under Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. Saccharin is classified under HS Code 29251100. The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.

16. After considering the information on record, the Authority considers that there is no known difference in product under consideration exported from the subject country and the subject goods produced by the domestic industry. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the subject goods exported from the subject country in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, functions and uses, product specifications, distribution and marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.
17. The Authority holds that the subject goods produced by the Applicants are like article to the product under consideration exported from the subject country, in accordance with the Rules.

E. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

E.1. Views of other interested parties

18. There are no submissions made by other interested parties with regard to the domestic industry and standing.

E.2. Views of the domestic industry

19. The submissions made by the Applicants with regard to the domestic industry and standing are as follows:
- The application has been filed by M/s Blue Jet Healthcare Ltd. and M/s. Swati Petro Products Pvt. Ltd.
 - There are two other known producers of the subject goods in India, namely, A.S. Chemopharma Ltd. and Shree Vardayini Ltd.
 - The Applicants have not imported the subject goods and the Applicants are not related to any importer or exporter of the subject goods in the subject country, nor are they related to any producer or exporter in China, or importer in India, of the subject goods.
 - The production of the Applicants accounts for a major proportion in the domestic production of the like article in India, and thus satisfies the requirement of standing as under the Rules.
 - The Applicants constitute eligible domestic industry within the meaning of the anti-subsidy rules.

E.3. Examination by the Authority

20. Rule 2(b) of the CVD Rules defines domestic industry as:

“domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidised article, or like article from other countries or are themselves importers thereof, the term “domestic industry” may be interpreted as referring to the rest of the producers”

21. The present application has been filed by M/s Blue Jet Healthcare Ltd. and M/s. Swati Petro Products Pvt. Ltd.
22. It is seen from the information on the record that the Applicants account for more than 70% of the entire production in India. The Applicants have not imported the subject goods from the subject country and that they are not related to any exporter of the subject goods in the subject country or importer of the subject goods in India. Accordingly, the Authority holds that the Applicants constitute domestic industry as defined under Rule 2(b) of the CVD Rules, and the application meets the requirements of standing under Rule 6(3).

F. CONFIDENTIALITY

F.1. Views of other interested parties

23. The following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality issues:
- Trade Notices are binding on all Customs authorities and are applicable on all the interested parties. The NCV of the petition does not give reasonable understanding of the allegations and fails to meet standards of Rule-7 of the Rules and Trade Notice No 1/2013 dated December 09, 2013 issued by the Director General.
 - The purpose of Rule-8 of the Customs Tariff (Identification, assessment and collection of countervailing duty on subsidised articles and for determination injury) Amendment Rules 2006 (hereafter termed as "Anti-

Subsidy Rules") is to enable all interested parties to have sufficient understanding of the information provided on confidential basis to the Authority.

- c. The NCV does not allow interested parties to provide defense as significant data is not properly indexed or provided. The Justification Table is not as per requirements of Trade Notice. No information provided in Section VI of the Petition. The domestic industry has claimed excessive confidentiality and has filed incomplete petition.
- d. Confidentiality claimed for Annual Reports is vague. Trade Notice 01/2013 dated 9th December 2013 mandates the petitioner to provide annual reports and balance sheets. The Authority should direct domestic industry to not claim annual reports as confidential in the future.
- e. As per Trade Notice no. 10/2018 dated 7th September 2018, the domestic industry should provide information regarding (i) relationship, if any, of petitioners with Foreign Producers/ Exporters/ Importers/domestic producers of the subject goods; (ii) Names and Addresses of all other Indian Producers of the subject goods; (iii) Volume and Value of Production by all other producers except domestic industry

F.2. Views of the domestic industry

24. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality issues:
 - a. The Applicants have claimed such information as confidential, confidentiality of which has been permitted under the rules and as per consistent practice of the Authority.
 - b. The Applicants have provided sufficient non confidential version of the application. No interested party has been able to point out any specific instance of information which has been claimed confidential and confidentiality of which is not justified under the rules.

F.3. Examination by the Authority

25. With regard to confidentiality of information, Rule 8 of Anti-Subsidy Rules provides as follows:

"Rule 8: Confidential information. (1) Notwithstanding anything contained in subrule (1), (2), (3) and (7) of rule 7, subrule (2) of rule 14, subrule (4) of rule 17 and subrule (3) of rule 19 copies of applications received under subrule-

(1) of rule 6 or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof in sufficient details to permit a reasonable understanding of the substance of the confidential information and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in subrule (2), if the designated authority, is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information."

26. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.
27. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

G. MISCELLANEOUS ISSUES

G.1. Views of other interested parties

28. The following submissions have been made by other interested parties with regard to other issues:

- a. The petitioners are habitual users of trade remedy measures and have enjoyed the benefit of ADD for more than 10 years and of anti-subsidy duty for five years.
- b. It is consistent practice of petitioner to use trade remedy measures when it faces negative circumstances.
- c. The Applicants are seeking double penalisation by also pursuing anti-dumping investigation on the same product under consideration with the same domestic industry, and such overlap heightens the risk of redundancy in penalties.
- d. The Applicants should hold friendly bilateral talks to remedy the situation at hand instead of resorting to trade remedial measures.
- e. The Authority should not recommend further duty, and domestic industry should face international competition.

G.2. Views of the domestic industry

29. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to other issues:
- a. Anti-dumping duties were imposed on the subject goods from China and such duties did help the industry to fight against the unfairly priced imports. The Authority did not continue such duties pursuant to the sunset review investigation in the matter, as the domestic industry was not suffering injury at the time.
 - b. Due to significant increase in imports causing injury to the domestic industry, the domestic industry was forced to seek remedial measures in the form of anti-subsidy duties.
 - c. The domestic industry has continued to suffer injury due to exceptionally low-priced imports even below the level of costs of sales of the subject goods, as is evidenced by the information submitted on record by the domestic industry.
 - d. It is well established practise in India that double remedies are not applied on same circumstances, and that anti-dumping and countervailing duties are adjusted to avoid any double counting.
 - e. The Authority provides opportunities, invites comments, and extends invitations for consultations to the governments of the countries being investigated. In the present investigation as well, the Authority extended invitations to consult to the Embassy of the Government of China and waited for a response before moving the case forward. There was no response from the Government of China in the present investigation as is also evidenced by their lack of participation.

G.3. Examination by the Authority

The Authority has considered the submissions made by the parties and holds as follows.

30. As regards the subject goods being subjected to trade remedies numerous times, the Authority notes that there is no bar on the number of times redressal can be sought against unfair imports. The Rules require the Authority to determine whether cessation of countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidisation and injury to the domestic industry. The recommendation for extension of countervailing duty is made only when the requisite legal requirements are met.
31. As regards the submission made by the other interested parties that the Applicants must hold bilateral friendly discussions with the subject country and not resort to trade remedial measures, it is found that the Authority in its process of investigation has provided ample opportunity to the Government of China to respond. The Government of China did not participate in consultations and did not file any response to the questionnaires. Therefore, it is seen that even with opportunities provided, the Government of China has been non-cooperative with the present investigation.
32. With regard to the contention of dual remedy, the Authority notes that at present the DGTR is conducting simultaneous investigations under dumping and subsidy law. The question of possible dual remedy shall arise only when the DGTR decides to make a recommendation for the imposition of both anti-dumping duty and countervailing duty. The stage has not arisen in the present case. Further, the present investigation is a subsidy investigation where countervailing duty is already in place. The issue needs to be appropriately considered while undertaking anti-dumping recommendations.

H. DETERMINATION OF SUBSIDY AND SUBSIDY MARGIN

33. The application filed by the domestic industry provided adequate *prima facie* evidence of continuation of countervailable subsidies in the subject country on the subject goods. The Government of the People's Republic of China was invited for consultations, to which the Authority did not receive a response. The present investigation was initiated on the basis of *prima facie* evidence.
34. The Chinese producers and exporters, and the GoC were advised to file responses to the questionnaires and were given adequate opportunity to provide verifiable information/evidence on the existence, degree, and effect of alleged subsidy programs for making an appropriate determination of the existence and quantum of such subsidies.
35. Neither the Government of China PR nor any of the participating exporters have filed any meaningful information for the purpose of the present investigation. Even when GoC and one of the Chinese producers registered itself as an interested party, the GoC and registered producer/exporter have not filed response to the questionnaire, and have not provided relevant information in the form and manner prescribed by the Authority. In the absence of a questionnaire response from the Government of China, and the Chinese producers/ exporters, the Authority is not in a position to examine possible countervailability of these schemes based on the information/documents in possession of the Government of China and Chinese producers. Therefore, the Authority is constrained to rely on facts available on record, including the information provided by the domestic industry in its application, determinations earlier made by the Authority, and information/evidence filed by the domestic industry during the course of the investigation.
36. As per the application, the Chinese producers/exporters of the subject goods have received countervailable subsidies under the following programs at various levels of government and they have been classified under three broad categories: Grants, Tax and VAT incentives, and Provision of Goods and Services at less than adequate remuneration. The various programs held countervailable in the original investigation, and new schemes alleged in the present investigation are listed below.

H.1. Schemes countervailed in the Original Investigation

37. In the original investigation, the Authority had held that the following schemes are countervailable:
- i. Program No. 2: Famous Brands Program
 - ii. Program No. 3: Grants for Anti-Dumping Investigations
 - iii. Program No. 5: Export Assistance Grant
 - iv. Program No. 6: Grants for Listing Shares
 - v. Program No. 7: Funds for Outward Expansion of Industries in Guangdong Province
 - vi. Program No. 8: Grants provided through the Provincial Fund for Fiscal and Technological Innovation
 - vii. Program No. 9: Various grants provided to Fuyang City
 - a. Grant for Enterprises Paying Over RMB 10 Million in Taxes
 - b. Grants under the Export of Sub-Contract Services Program
 - c. Grants under Excellent New Products/Technology Award
 - d. Investment grants from Fuyang City Government for key industries
 - e. Grants for Enterprises Operating Technology and Research and Development Centers
 - f. Local and Provincial Government Reimbursement Grants on export Credit Insurance Fees
 - g. Initial Public Offering (IPO) Grants from the Hangzhou Prefecture and the City of Fuyang (Zhejiang Province) & (Anhui Province)
 - viii. Program No. 10: International Market Fund for Export Companies
 - ix. Program No. 13: Small and Medium-sized Enterprise Support Funds
 - x. Program No. 14: Funds for supporting technological innovation for the technological small and medium-sized enterprises.

- xi. Program No. 15: Subsidies Provided in Tianjin Binhai New Area and the Tianjin Economic and Technological Development Area
- xii. Program No. 16: State Special Fund for Promoting Key Industries and Innovation Technologies
- xiii. Program No. 33: Two Free/Three Half Program for Foreign Invested Enterprises
- xiv. Program No. 34: Tax Reductions for Export-Oriented FIEs / Income tax benefit for FIEs based on geographical location
- xv. Program No. 38: Preferential Income Tax Policy for Enterprises in the Northeast Region
- xvi. Program No. 39: Preferential Tax exemptions for Central & Western Regions
- xvii. Program No. 40: Tax Policies for the deduction of Research and Development (R&D) expenses
- xviii. Program No. 42: VAT Refunds for FIEs Purchasing Domestically Produced Equipment
- xix. Program No. 43: VAT and Tariff Exemptions for Purchases of Fixed Assets
- xx. Program No. 45: Preferential Tax Policies for Enterprises with Foreign Investment (FIEs) Established in Special Economic Zones (excluding Shanghai Pudong Area)
- xxi. Program No. 46: Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Coastal Economic Open Areas and in the Economic and Technological Development Zones
- xxii. Program No. 47: Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Pudong Area of Shanghai
- xxiii. Program No. 50: Tariff and Value-added Tax (VAT) Exemptions on Imported Materials and Equipment in SEZs and Other Designated Areas
- xxiv. Program No. 52: Raw Material for Less Than Adequate Remuneration/Inputs/Services
- xxv. Program No. 53: Policy Loans
- xxvi. Program No. 64: Debt for equity swaps
- xxvii. Program No. 65: Equity infusions
- xxviii. Program No. 66: Unpaid dividends

H.2. New Programs

38. The domestic industry has contended that there are more countervailable programs providing benefits, resulting in lower costs, thereby allowing Chinese producers to sell at a lower price. The list of such new programs is provided below:
- i. Program No. 1: Fixed Asset Investment Subsidies
 - ii. Program No. 2: Special fund for economic and trade development
 - iii. Program No. 3: Subsidies for Companies Located in the Hefei Economic and Technology Development Zone
 - iv. Program No. 4: Anhui Province Subsidies for Foreign-Invested Enterprises
 - v. Program No. 5: Hefei Municipal Export Promotion Policies
 - vi. Program No. 6: Special funds for energy saving technology reform/promotion of circular economy/incentive fund for transformation of energy-saving technology/energy saving conservation and emission grants
 - vii. Program No. 7: Grants for purchase of equipment reported by participating exporters
 - viii. Program No. 8: Grant for Bringing in Foreign Intellectuals
 - ix. Program No. 9: Grants for Employment Stabilization, Graduates Training and recruitment provided by provincial/prefectural/municipal government authorities
 - x. Program No. 10: Postdoctoral researchers funding
 - xi. Program No. 11: Grants for maintenance and operation of equipment
 - xii. Program No. 12: Relocation Compensation provided by provincial/prefectural/municipal government authorities
 - xiii. Program No. 13: Ad-hoc grants for implementing specialized projects/pilot projects provided by provincial/prefectural/municipal government authorities
 - xiv. Program No. 14: Talent Introduction Fund
 - xv. Program No. 15: Research report writing expenditure fund
 - xvi. Program No. 16: Service industry development fund
 - xvii. Program No. 17: Self-owned Brand Development Registration Fee refund

- xviii. Program No. 18: Import Equipment interest subsidy
 - xix. Program No. 19: Export Rewards
 - xx. Program No. 20: Patent Creation and Support Fund
 - xxi. Program No. 21: Subsidies for Listed Companies
 - xxii. Program No. 22: Various Government grants- Received by producers/exporters of China PR/ Ad hoc grants provided by central, provincial and municipal/regional authorities
 - xxiii. Program No. 23: Grants for financing loans and interest
 - xxiv. Program No. 24: National Award for Green Factory
 - xxv. Program No. 25: Preferential tax policies/Income Tax Reductions for companies that are recognised as high and new technology companies
 - xxvi. Program No. 26: Refund/Rebate/Remission of taxes and fees by central, provincial, or municipal/regional government authorities
 - xxvii. Program No. 27: Import Tariff/Charges and VAT Relief for imported inputs
 - xxviii. Program No. 28: Provision of Electricity for Less than Adequate Remuneration
 - xxix. Program No. 29: Land Use rights at LTAR in Industrial and Other Special Economic Zone
 - xxx. Program No. 30: Provision of Land to State Owned Enterprises at LTAR
 - xxxi. Program No. 31: Land Use rights at LTAR for Foreign Invested Enterprises
 - xxxii. Program No. 32: Land Use rights at LTAR in Economic Development Zones
 - xxxiii. Program No. 33: Provision of Caustic Soda for LTAR
 - xxxiv. Program No. 34: Provision of Sulphuric Acid for LTAR
39. The Authority thus notes that the domestic industry has alleged existence of a number of new schemes. These schemes are those which were not brought before the Authority at the time of the original investigation. The domestic industry contended that the Chinese producers have received countervailable benefits in these schemes as well. The domestic industry has quantified the countervailing duty margin based on prior decisions issued by the Authority. None of the Chinese producers participated in the present investigation.

H.3. Views of the other interested parties

40. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to subsidy and subsidy margins:
- a. The Applicants have failed to provide evidence of the programs that may be available to the producers and exporters of the subject goods in China PR.
 - b. None of the programs submitted by petitioner is supported by concrete facts or figures to show actual benefits to producers/exporters. The Authority should examine whether the programs are in effect and whether it contributes to industry's success.
 - c. The subsidy schemes are not specific.
 - d. Shanghai Fortune contended that it may be awarded individual subsidy margins.
 - e. The Authority should justify whether it has assessed the adequacy and accuracy of evidence related to subsidization. It should also justify the basis on which it considers the petition to contain adequate and accurate information related to each subsidy scheme such that it is considered to provide objectively sufficient factual basis for initiation of investigation. This will permit interested parties to understand how GOI claims comply with WTO obligations and what exactly enabled the initiation of investigation.

H.4. Views of the domestic industry

41. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to subsidy and subsidy margins:
- a. The producers/exporters of the subject goods have benefitted from actionable subsidies as also established in the original investigation.
 - b. Chinese laws and regulations, various government reports and plans, WTO reports, and detailed findings of other investigating authorities in their anti-subsidy investigations, all show sufficient evidence for financial contribution, benefit, and specificity.

- c. The GoC has not provided any response to counter the de jure and de facto specificity of the alleged subsidy programs.
- d. Non-cooperation by the Government of China should be considered as indirect acceptance of all the schemes alleged by the domestic industry.
- e. Chinese producers and exporters have not provided adequate response to counter the existence and benefit conferred through the alleged subsidy programs.
- f. 28 schemes were countervailed in the original investigation, of which 27 are alleged to be continued.
- g. A total of 34 new schemes have been alleged that provide a specific benefit to the producers in China.
- h. There has been no cooperation from the GoC nor from any exporter from the subject country.
- i. Low export volume is not reason for an exporter to not participate in a sunset review investigation.
- j. Quantification of schemes was not carried out at the stage of application, as such quantification would not be useful unless the Chinese producers/exporters cooperate.
- k. Since no Chinese producers have participated, the CVD margins may be determined on the basis of adverse facts, or according to global practice, margins as determined in past investigations or as determined by any other Authority in past investigations.

H.5. Examination by the Authority

I. Schemes held to be countervailable in the original investigation

42. The Authority examined whether there is a continuation of subsidisation by analysing whether the subsidies countervailed in the original investigation continued to confer benefit to the saccharin industry.
43. The GoC has not participated in the present investigation and has not contested (with verifiable evidence) the determination as held in the original investigation, or the contention of the domestic industry that the product continue to benefit with countervailable subsidies. The exporter, Shanghai Fortune Chemicals Ltd has participated in the present investigation. It has however chosen not to provide any information on existence of the schemes held countervailable by the Authority in the original investigation. None of the interested parties have refuted the claims of the domestic industry of continuation of the schemes earlier held countervailable in the original investigation. It is also noted that the continuation of the subsidy programs has not been disputed (with evidence) by the GoC. The Authority has also previously found these programs to be countervailable in Hot Rolled Cold Rolled Steel (2017) and more recently, in New Pneumatic Radial Tyres for Buses and Lorries (2024). The GoC has not provided any document to show that the conclusion drawn by the Authority in the previous determinations no longer holds true.
44. The GoC and the Chinese producers/exporters have not provided any specific responses in respect of various subsidy programs identified in the application and notice of initiation. No substantive evidence has been provided to refute the claim of the domestic industry that various subsidies programs continue and continue to provide countervailable benefit. No evidence has been provided that any of these schemes have been discontinued.
45. GoC and the Chinese producers were in a position to rebut the claims made by the domestic industry on these accounts by either showing that the programs identified by the domestic industry are no longer in force, or these programs no longer provide benefits or these programs are no longer countervailable or the quantum of benefit is lower. GoC and the Chinese producers/ exporters have not responded to the questionnaire, nor provided any other information and verifiable evidence that the Authority could use to make determination.
46. In the absence of cooperation and information from the Government of China and the producers/ exporters from China and considering that the present investigation is a sunset review of CVD earlier recommended, the Authority relied on the previous investigation relating to the PUC, the information contained in the application, and the information available on record of the present and previous investigation to examine the continuity of the schemes held countervailable in the original investigation.

47. In the original investigation, the Authority examined the countervailability of the schemes alleged having regard to various sources, such as relevant laws, regulatory circulars, previous determinations made by the Authority, and data from the annual reports of saccharin manufacturers. The Authority quantified subsidy margins for the schemes under three broad categories:
- Grants,
 - Tax and VAT incentives, and
 - Provision of Goods and Services at less than adequate remuneration.
48. In the present investigation, the domestic industry has provided evidence of continuation of all the earlier countervailed schemes, barring one, which pertained to program no. 9. Program no. 9 deals with “Various grants provided to Fuyang City” falling under the category “grants”.
49. In the original investigation, the subsidy margin for grants was quantified based on Annual report of Kaifeng Xinhua Fine Chemical Co. and noted as follows:
- “37. The petitioner has provided the annual report of the M/s. Pingdingshan Tianan Coal Industry Co. Ltd., which is the parent company of M/s. Kaifeng Xinhua Fine Chemical Co. one of the non-responding producer/ exporters of the PUC in the present investigation. Analysis of this annual report shows that the company has received subsidies from the Government Authorities in China under the head of “Government Subsidies” for projects involving Government Grants. Therefore, the Authority holds that it is a financial contribution in the form of discretionary government grants by a public body (by the Govt. authorities, as reported in the annual report under the head “Government subsidies”) within the subject country conferring a benefit to the company concerned, and therefore is specific. Hence, a benefit has been specifically conferred onto the above said company, as reflected in the annual report of the parent company. Accordingly, the subsidy margin under the head of ‘Grants’ reported in the annual report has been considered. For the purpose, total amount reported in the annual report of the parent company under the head “Govt. subsidies” has been considered as the benefit conferred. Further, since the benefit has been reported in the annual report of the parent company, this benefit conferred has been apportioned over the gross turnover of the parent company. The amount of CVD margin thus determined is 0.30%.”*
50. It is noted that Kaifeng is not situated in Fuyang City and hence had no bearing on Program no. 9 which related to grants provided to Fuyang City. Hence, in the present investigation as well, Program No. 9 holds no bearing in the subsidy margin that is to be decided for grants.
51. The domestic industry has relied upon the final findings of the Authority in the sunset review investigation concerning imports of certain Hot Rolled and Cold Rolled Stainless Steel Flat Products (06.04.2023) as well as the final findings of the Authority in New Pneumatic Tyres for Buses and Lorries (25.03.2019). The domestic industry has also placed reliance on various government plans, policies, orders, projects, and other documents, relevant to the subsidies and subsidy programs contended by the applicants. It has been seen that a number of subsidies or subsidy programmes alleged and being examined flow from the Government of China’s documents, such as the 14th Five Year Plan; Hebei Petrochemical 13th Five-Year Plan for raw materials, as well as the Zhejiang Petrochemical 14th Five-Year Plan; various circulars of the Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation; Implementation Regulations of the Enterprise Income Tax Law, as well as Document No. G/SCM/N/401/CHN which is the 2023 WTO notification containing information on programmes granted or maintained by China PR at the central and sub-central government level, and the European Commission’s Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence investigations.
52. It is seen that China’s 14th Five Year Plan is a major proponent in making the petrochemical industry an important, fundamental sector for Chinese industries. The plan elaborates on the principles of technological innovation, structural adjustment, and green development mentioned in the 14th Five Year Plan, and makes the link with various fiscal and financial support measures. The 14th Five Year Plan in Section III, Article VIII states that: *“We will transform and upgrade traditional industries, promote the optimization and structural adjustment*

of raw material industries such as petrochemicals, steel, nonferrous metals, and building materials, expand the supply of high-quality products in sectors such as light industry and textiles, speed up the transformation and upgrading of enterprises in key industries such as the chemical industry and papermaking, and improve the green manufacturing system". Consequently, the Chinese government at both local and provincial levels have adopted policies and replicated frameworks provided for the petrochemical industry.

53. The 14th Five Year Plan further also makes statements concerning the go green global initiative that China has undertaken, stating the following in Section III, Article XXVII, in respect of the Petrochem and chemical industries: *"We will improve the environmental risk management system for toxic and hazardous chemical substances and complete the relocation and transformation of hazardous chemical production enterprises in key areas."*
54. Taking into account the above-listed documents and their provisions, the Authority concludes that the Chinese chemical industry continues to be a key/ strategic industry, the development of which is actively pursued and directed by the Government of China as a policy strategic objective.
55. The Authority, based on the above, notes that these programs currently remain in force and continue to confer countervailable benefits in a similar manner as in the original investigation.
56. The principles of judicial economy allow the Authority to refrain from undertaking detailed examination in respect of those programs which were earlier found countervailable and where there is no evidence on record to show either their discontinuation or material change therein since these were last investigated. The present investigation is a sunset review investigation, and the objective of the investigation is to ascertain whether the Chinese producers continue to benefit from subsidies found countervailable earlier, the GoC or Chinese producers/ exporters have preferred non-cooperation and have not provided relevant information, and none of the interested parties have provided any information and evidence to rebut the substantiated claim made by the Applicants with regard to continuation of countervailable subsidies. Therefore, the Authority holds that it is unnecessary to examine the countervailability of various schemes that were earlier investigated and found countervailable. Since the Chinese producers have not cooperated with relevant information and evidence, the Authority has considered the same quantum of benefit i.e. 85.07% as was determined at the time of the original investigation.

II. New schemes contended in the present investigation

57. The domestic industry has contended existence of 34 new schemes. These are schemes that were not brought before the Authority in the original investigation. The domestic industry has submitted that the Chinese producers/ exporters have been benefitting from these new schemes in the present investigation. The domestic industry has further submitted that the Authority has found that these countervailable subsidies exist in China and benefit Chinese producers. The domestic industry has referred to investigations carried out by the Authority in the matters of New Pneumatic Radial Tyres for Buses and Lorries and Hot Rolled and Cold Rolled Stainless Steel Flat Products subsequent to original investigation of the present investigation.
58. Of the new schemes identified by the domestic industry in the present investigation, the domestic industry has quantified benefit conferred based on prior investigations in which the Authority quantified the subsidy margin for these schemes. Through this, the domestic industry has contended that the new schemes were held countervailable by the Authority in those investigations and after the original investigation of the present investigation.
59. The Authority considers that no useful purpose will be served in investigating these new schemes that have been alleged by the domestic industry. Though the GoC and Chinese producers/exporters have not responded in the present investigation and have not provided relevant information to counter the claims of the domestic industry, the Authority notes that the CVD margin determined at the time of original investigation is materially higher

than the injury margin initially claimed now quantified in the present investigations. Since the Authority is required to recommend the amount of countervailing duty considering the lower of the CVD margin and injury margin, the Authority holds that it is not necessary that these schemes are investigated, and CVD margin quantified.

I. INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

I.1. Views of the other interested parties

60. The following submissions were made by the other interested parties regarding injury:

- a. The increase in imports of the subject goods has been exaggerated. The domestic industry has deliberately invented injury.
- b. Total demand has declined by 8%. Imports from the subject countries and other countries has declined during the POI by 28% and 71% respectively as compared to 2019-20. Total imports to India has declined by 34% and sales of domestic industry has increased by 2%. There is no injury to domestic industry.
- c. Imports from the subject country were high at 717 MT in 2019-20 but dropped to 318 MT in 2020-21 and 335 MT in 2021-22, before rising to 515 MT during the period of investigation.
- d. No correlation between imports and the performance of the domestic industry. Landed price was highest in 2021-22 at Rs. 7556.55, the domestic industry still faced losses.
- e. Other factors are influencing the declining performance of the domestic industry. No injury can be attributed to imports from the subject country.
- f. Total production of PUC increased from 100 to 120 in 2021, then decreased to 114 in 2022, and further to 110 during the POI. Increase in production did not lead to increase in production capacity.
- g. Fixed assets of the petitioners rose from 116 in 2020-2021 to 121 in 2021-2022, and further to 139 during the IP. Depreciation expenses increased from 100 in 2020-2021 to 96, 111, and 198 during the POI. This shows a correlation between the increased fixed assets and depreciation.
- h. Net Fixed Assets and Depreciation both have increased significantly during the POI whereas there is no increase in Installed Capacity. This raises questions as to why the production capacity remained unchanged and concerns about intentional concealment of relevant data. The Authority should examine the data provided by the petitioners.
- i. Sales volume increased tremendously during the POI to 111 as compared to 100 during base year 2020-21. Export sales increased from 100 during the base year 2020-21 to 131 during the POI. Domestic industry is able to sell whatever is produced and there is no injury.
- j. Inventory should not be seen in isolation and should be compared with no. of days of production and no. of days of sales. The inventory has declined considerably and there is no injury to domestic industry.
- k. There should not have been significant changes in closing inventory quantity as there were no changes in production and sales. The production index was 110 and the sales index was 111, the closing inventory quantity reached 158. The accuracy of the information should be examined by the Authority.
- l. No correlation between the Average Capital Employed and the installed capacity. Interest and stock reduced in the investigation. The numbers do not justify increase.
- m. No. of employees and wages increased significantly by 31% and 54% respectively during the POI as compared to the base year 2020-21. The Authority must examine how the number of employees and salary increased so significantly when there was no increase in installed capacity, production and sales.
- n. Productivity per day has increased during the POI showing that there is no injury to the Domestic Industry.
- o. Profitability shows significant decline over the years due to decrease in demand for the subject goods. This was further worsened by rising expenses, including operating costs, raw material costs, labor costs, and overheads, particularly due to increased depreciation costs and higher salaries resulting from a substantial rise in the number of employees.
- p. Other factors which led to decline in profitability are increases in Average Capital Employed, Net Fixed Assets (NFA), Working Capital, and the overall number of employees.
- q. Factors like economic conditions, increased market competition, or industry regulations also played a role in decline in profitability.

- r. COVID-19 exacerbated challenges leading to disruptions to the petitioners' supply chain, reducing consumer spending, and presenting operational hurdles due to lockdowns.
- s. Overall performance of petitioner is improving, except profitability.
- t. There will not be significant change in ratio of increase in depreciation expenses to increase in fixed assets without significant changes in depreciation methods.
- u. Fixed asset index for 2021-2022 is 121, and the depreciation amount index is 111. The fixed asset index for 2022-2023 is 116, and then depreciation amount index is 109.
- v. The Authority should examine how fixed asset index and depreciation amount index increased by 39% and 98% compared to the base year during the IP.
- w. Blue Jet Healthcare Ltd has three production bases and has acquired one production base recently. New production bases 3 and 4 have added area of 40000m², an increase of 83%. However, production capacity increased only by 25%.
- x. Number of employees increased from 100 in 2020-2021 to 105, 128, and 131 in 2021-2022, 2022-2023, and during the survey period. Growth in employee numbers far exceeded the growth in production and sales. The Authority should consider whether current situation has occurred due to rapid expansion or investment failure.
- y. Export quantity has been increasing, from 100 in 2020-2021 to 143, 165, and 131 in 2021-2022, 2022-2023, and during the investigation period. The sales in domestic market remained stable. The Authority should consider whether sluggish export market affected financial indicators.

I.2. Views of the domestic industry

61. The following submissions were made by the domestic industry regarding injury:

- y. The domestic industry improved its performance after the imposition of countervailing duty in the original investigation and continued to be in profits till 2020-21.
- z. The situation of the domestic industry then deteriorated significantly in 2020-21-22 as the Chinese exporters started circumventing the duties imposed by exporting goods through Thailand.
- aa. The Authority undertook anti-circumvention investigation through which duties were extended to imports from Thailand in October 2022, immediately after which the domestic industry's performance improved.
- bb. Any improvement seen in the domestic industry's performance was then sub-optimal due to the import price from China declining further in the POI.
- cc. The import price from China declined when the cost of production of the domestic industry increased. Chinese producers absorbed the duties in place.
- dd. The landed price of the imports even with the existing duties in force is below the level of cost of sales and selling price of the domestic industry.
- ee. The demand for the subject goods increased in 2021-22, declined in 2022-23, and then increased in the POI.
- ff. Imports in absolute terms increased till 2020-21, and then declined in 2021-22. However, in this period, the subject goods were circumvented through Thailand. The imports then increased in the POI.
- gg. Imports in relative terms continued to maintain domestic market share, and command almost 20% of the Indian market.
- hh. Imports in relation to production and consumption declined till 2022-23 and increased in the POI.
- ii. The landed price of imports was above the level of selling price in 2020-21 and 2021-22, at this time imports were not undercutting the prices. After countervailing duties were imposed on Thailand, the landed price of imports from China declined significantly and went below the level of selling price of the domestic industry, which trend continued in the POI. Imports are undercutting the prices of the domestic industry significantly.
- jj. In the base year, the selling price was above the level of cost of sales, and the landed price of Chinese imports was also above the selling price of the domestic industry and stayed above the selling price till the countervailing duties were imposed on Thailand. After such imposition, the cost of sales and selling price of the domestic industry increased, however the import price from China declined. In the POI, the cost of sales increased by ***% and the selling price declined by ***%, whereas the landed price of Chinese imports decreased by 2%, thereby having a significant depressing effect on the prices of the domestic industry.
- kk. Production of the domestic industry saw an increase till 2021-22 and declined thereafter.

- ll. The sales of the domestic industry increased in 2021-22, declined thereafter in 2022-23 and increased once again marginally in the POI. Such increase in sales in the POI was made at the cost of incurring losses.
- mm. Capacity of the industry has remained the same throughout the injury period as well as in the POI.
- nn. Capacity utilisation of the domestic industry increased till 2021-22 and have declined thereafter and has been sub-optimal throughout the injury period.
- oo. The domestic industry would have been able to more than compensate its loss of export sales in the POI through sales in the domestic market, however Chinese imports took away majority of the increase in demand.
- pp. In the base year, the domestic industry was able to sell above cost and earn profits. In 2020-21, the domestic industry went into losses, and then it recovered by a small amount while still staying in losses in 2022-23. It then moved downward into further losses in the POI.
- qq. The cash profit, profit before interest, and ROI have followed the same movement as the profit.
- rr. The domestic industry is earning negative returns in the POI.
- ss. The market share of the domestic industry increased till 2022-23 and declined thereafter in the POI.
- tt. The inventories with the domestic industry increased steadily over the injury period with a significant increase in the POI.
- uu. Employment level has increased over the injury period and the wages paid have followed the same trend.
- vv. The growth of the domestic industry in terms of both volume and price parameters have been adverse in the POI due to the low-priced imports from China.

I.3. Examination by the Authority

- 62. The submissions made by the domestic industry and the other interested parties with regard to the injury and causal link related issues have been examined. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the interested parties.
- 63. Rule 13 of the Rules read with Annexure-I thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the “*volume of subsidised imports and the effect of the subsidised imports on prices in the domestic market for like products and the consequent impact of these imports on the domestic producers of such products.*”
- 64. Rule 24(3) of the Rules provides that the provisions of Rules 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, and 23 shall apply mutatis mutandis in case of a review. In case the performance of the domestic industry shows that it has not suffered injury during the current injury period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of injury to the domestic industry.
- 65. The Authority has examined the various injury parameters on account of imports from the subject country before proceeding to examine the likelihood aspects of subsidy and injury. It has been examined as to whether there is an increase in imports, in absolute terms or in relation to production or consumption. In considering the effect of the subsidised imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been significant price undercutting by the subsidised imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the subsidised imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilisation, sales volume, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude, and margin of subsidy etc. have been considered in accordance with Annexure-I of the Rules. The Authority has taken note of various submissions of the domestic industry and other interested parties and has analysed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the parties.

66. It has been contended by the other interested parties that while the capacity has not increased, but the depreciation and the net fixed assets show an increase. It has been clarified by the applicants that some equipments have been replaced by both the applicants. This resulted in the increase in the net fixed assets but did not lead to an increase in the capacity. Further, the Authority notes that the injury analysis would not give a different picture on account of increase in depreciation expenses.

Volume Effect

a. Assessment of Demand

67. The demand or apparent consumption has been determined as the sum of domestic sales of the Indian producers and the imports from all sources.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
DI Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	115	97	102
Other Producers Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	104	124	123
Subject Imports	MT	706	328	338	546
Other Imports	MT	141	342	99	51
Total Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	98	86	94

68. It is seen that the demand for the subject goods increased from the base year in 2021-22 and declined in 2022-23. The demand for the subject goods then increased in the POI.

b. Import Volumes

69. With regard to the volume of the subsidised imports, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the subsidised imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Subject Imports	MT	706	328	338	546
Other imports	MT	141	342	99	51
Total Imports	MT	847	670	437	597
Subject Country imports in relation to					
Indian Production	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	33	42	69
Demand	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	44	56	81
Total Imports	%	83	49	77	91

70. It is seen that:

- The subject imports declined in 2021-22 when the subject goods were being circumvented through Thailand.
- The imports from China then started to increase in 2022-23 and increased significantly in the POI, once countervailing duties were imposed on Thailand.
- Imports from the subject country holds a predominant share in relation to total imports in India.
- The subject country imports in relation to Indian production declined in 2021-22 and increased thereafter till POI. It increased from 15% to 25% in the POI as compared to preceding year.

- e. The subject country imports in relation to demand/consumption declined in 2021-22 and increased thereafter till POI. It increased by 7% in the POI as compared to preceding year, despite existence of significant capacities in India.

71. It is thus seen that after extension of measures to imports from Thailand, imports have once again increased in absolute terms and in relation to total imports, production and consumption in India.

Price Effect

72. With regard to the effect of the subsidised imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the subject imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred to a significant degree in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the imports from the subject country has been examined with reference to the evolution of prices over the injury period, price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, non-injurious price (NIP) and net sales realisation (NSR) of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject country. Further, the import price of the subject imports have been examined in detail during the injury period.

a. Price Undercutting

73. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the landed price from the subject country. The landed value has been calculated after adding the appropriate customs duty, and other duties applicable to the imports of the product under consideration from the subject country. Accordingly, the undercutting effects of the subsidised imports from the subject country is as follows:

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***	***	***
Indexed		100	105	114	111
Landed Price	Rs/MT	4,59,854	5,89,885	5,47,712	4,86,422
Indexed		100	128	119	106
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Indexed		100	20	94	129
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Indexed		100	19	82	116

74. It is seen that the price undercutting is positive and significant throughout the injury period.

b. Price Suppression and Depression

75. In order to determine whether the subject imports are depressing or suppressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period is examined. The table below shows the factual position:

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		100	127	127	137
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		100	105	114	111
Landed value	Rs/MT	4,59,854	5,89,885	5,47,712	4,86,422
Trend		100	128	119	106

76. It is seen that the cost of sales has increased in the POI. However, the selling price has decreased. The landed value increased from the base year to 2021-22, and then decreased significantly in 2022-23, and decreased further in the POI. Imports are suppressing and depressing the prices of the domestic industry in the market.

Economic parameters pertaining to the domestic industry

a. Capacity, production, capacity utilisation, and sales

77. The capacity, production, sales, and capacity utilisation of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Installed Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	143	114	110
Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	120	115	110
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	115	97	102
Export Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	143	165	131

78. It is seen that:

- The installed capacity of the domestic industry has remained constant over the injury period.
- The production of the domestic industry increased from the base year in 2021-22, decreased in 2022-23, and decreased further in the POI.
- Capacity utilisation followed the same trend as that of production. Capacity utilization increased in 2021-22 and declined thereafter till POI.
- Domestic sales increased from the base year to 2021-22 and then decreased in 2022-23. Even though sales saw a marginal increase in the POI.
- The export sales increased from the base year to 2022-23 and then declined in the POI.

b. Market Share

79. Market share of the domestic industry, other Indian producers, imports from the subject country, and other countries are shown in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Domestic Industry	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	113	111	107
Other Indian Producers	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	102	143	129
Subject Imports	%	27	12	15	22
Trend	Index	100	44	56	81
Other Imports	%	5	13	4	2
Trend	Index	100	260	80	40

80. It is seen that the market share of the subject imports declined in 2021-22 when the imports of the subject goods were circumvented through Thailand. In 2022-23 when the anti-circumvention duties were imposed, the subject imports increased, and then increased significantly in the POI. The level of imports from other countries saw an increase in 2021-22, and then has decreased significantly.

81. The share of the domestic industry increased in 2021-22 and has decreased since then. Even when the imports of other countries declined after 2021-22, the same did not result in increase in the market share of the domestic industry. The market share of the domestic industry rather declined.

c. Profits, Cash Profits, and Return on Capital Employed

82. Profits, cash profits, Profit before interest, and return on investment of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Profit/(loss)	Rs./MT	***	(***)	(***)	(***)
Trend	Index	100	(102)	(12)	(140)
Cash Profit	Rs./MT	***	(***)	***	(***)
Trend	Index	100	(46)	23	(46)
Profit before interest	Rs./MT	***	(***)	(***)	(***)
Trend	Index	100	(85)	(7)	(121)
Return on investment	Rs./MT	***	(***)	(***)	(***)
Trend	Index	100	(70)	(4)	(85)

83. It is seen that:

- The domestic industry has seen losses in 2021-22, where the effects of the circumvention through Thailand were felt. Once duties were imposed in 2022-23, the domestic industry regained some profitability, with decreasing losses. The domestic industry then went into losses in the POI.
- The long-term profitability of the domestic industry is threatened given that the landed price of imports is below cost of sales. If the duty is removed, the volume of imports is likely to increase.

d. Inventories

84. Inventory position with the domestic industry over the injury period and the POI is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Opening	MT	***	***	***	***
Closing	MT	***	***	***	***
Average	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	135	169	170

85. It is seen that the average inventory with the domestic industry has increased significantly throughout the injury period.

e. Employment, Wages, and Productivity

86. Employment, wages, and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
No. of Employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Index	100	105	128	131
Salary & Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	100	111	141	154

Productivity per employee	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	113	90	83

87. It is seen that the number of employees has increased. Salaries and wages paid have also increased. Productivity increased from base year till 2021-22, declined in 2022-23, and stayed at the same level for the POI.

f. Growth

88. Growth of the domestic industry is as follows:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	POI
Production	%	20%	-5%	-4%
Capacity utilization	%	20%	-5%	-4%
Domestic sales	%	15%	-16%	6%
Profit/Loss	%	-202%	88%	-1029%
Total profit/loss-Domestic	%	-217%	90%	-1095%
Cash Profit	%	-153%	141%	-313%
Total Profit before interest and Tax - Domestic Sales	%	-198%	93%	-1783%
Market share	%	6.90%	0.01%	-1.59%

89. It is seen that growth of the domestic industry is negative in respect of volume and price parameters. Even though sales volumes of the domestic industry have shown increase, the domestic industry had negative growth in market share.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

90. The Authority has determined the NIP for the domestic industry by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials of the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or nonrecurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price. The NIP so determined has been considered for calculating the injury margin.

91. Since Chinese exporters have not participated in the present investigation, the landed price for all the exporters has been determined on the basis of the DG System data.

92. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin has been calculated by the Authority and the same is provided in the table below.

SN	Particular	UOM	POI
1	NIP	\$/MT	***
2	Landed	\$/MT	5,845
3	Injury margin	\$/MT	***
4	Injury margin	%	15-25%

K. CAUSAL LINK

93. Under the Rules, the Authority is required to examine, inter alia, any known factors other than subsidised imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the subsidised imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether listed known factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

a) Volume and Value of Imports from Third Countries

94. It is seen that imports from third countries are either at higher prices, or in insignificant volumes, or are subject to measures (in the case of Thailand). Therefore, the domestic industry has not suffered injury due to the volume and price of imports from third countries.

b) Contraction in demand or changes in the pattern of consumption

95. The demand for the PUC declined and then increased again in the POI. The pattern of consumption with regard to the subject imports has not undergone any change. Therefore, the domestic industry has not suffered injury due to possible contraction in demand or changes in the pattern of consumption.

c) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

96. The Authority notes that there is no trade restrictive practice.

d) Developments in Technology

97. The Authority notes that technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology therefore are not a cause of injury to the domestic industry.

e) Export Performance

98. The Authority has relied on segregated data for domestic and export operations, to the extent the same could be.

f) Performance of other products

99. The Authority has considered the data relating to the performance of the subject goods only.

g) Parameters establishing causal link

100. The following parameters establishes causal link between Chinese imports and likelihood of injury to the domestic industry in the event of cessation of duty:

- vii. Imports are undercutting the domestic prices even after addition of CVD. This resulted in increase in imports from China despite CVD in place and particularly after extension of duty to imports from Thailand.
- viii. As the market share of the subject imports declined, market share of the domestic industry increased. Further, market share of the subject imports increased since 2022-23, and the market share of the domestic industry declined.
- ix. Whereas both the cost of sales and selling price increased, the increase in selling price was lower than the increase in cost of sales. The price suppression resulted in significant decline in performance of the domestic industry in respect of profits, cash profits and return on investments.

- x. As the subject imports increased, sales of the domestic industry declined. Consequently, production and capacity utilization of the domestic industry declined.
- xi. As the imports increased in the POI, the inventories with the domestic industry increased.
- xii. The injury margin determined in the present POI is substantial despite the CVD in place.

It is thus seen that the domestic industry suffered continued injury due to subsidised imports, despite CVD in force.

L. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY

L.1. Views of the other interested parties

101. The following submissions were made by the other interested parties regarding likelihood of continuation or recurrence of injury:
- a. The applicant's claims that Chinese manufacturers are export-oriented and cater to global market is incorrect and baseless. According to trade map customs data statistics, India accounted for only 3-5% of China's total export market for Saccharine during 2019-23. Out of China's total exports to the world, exports to India totalled 4,496 thousand USD which is only 5% of China's export market.
 - b. The production capacity of Chinese producers is used for both domestic sales and exports to other countries. The volume of exports to India is very minimal with only 865 MT of PUC being exported. There has been no change in quantity of PUC exported to India compared to 2020. Production capacity of Chinese firms along with volume of China's exports to various other countries cannot be considered as decisive factors in assessing harm inflicted on Indian companies.

L.2. Views of the domestic industry

102. The following submissions were made by the domestic industry regarding likelihood of continuation or recurrence of injury:
- a. Despite duties imposed, Chinese producers and exporters continue to receive countervailable benefits.
 - b. Past investigations by both Indian and U.S. Authorities confirm that significant subsidies in China enable low production costs, and high export volumes.
 - c. Chinese imports into India remain substantial, with anti-circumvention duty imposed on imports from Thailand. Chinese imports continue to hold a large market share.
 - d. The U.S. Authority had imposed anti-dumping duties on the subject imports from 2003 till 2015.
 - e. China has excess capacities and can produce in excess of the entire Indian demand.
 - f. Producers and exporters of the subject goods are highly export oriented.
 - g. Even with duties in place, the export price of the subject goods to India is lower than in other markets.
 - h. Chinese producers have absorbed the duties, as is evident by the reduction in landed prices.
 - i. Indian industry is vulnerable, and the market is highly price sensitive.
 - j. Influx of low-priced imports will worsen the injury that is suffered by the domestic industry.

L.3. Examination by the Authority

103. In a sunset review investigation, the Authority is required to analyse whether revocation of the measure is likely to result in continuation or recurrence of injury to the domestic industry. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine whether there is a likelihood of continuation of subsidisation and injury to the domestic industry in the event of cessation of the duties. The Authority has considered various information, as made available by the domestic industry, in order to evaluate the likelihood of continuation of subsidisation or injury. Further, the Authority has also examined other relevant factors having a bearing on the likelihood of continuation of subsidisation and consequent injury to the domestic industry. The examination of the parameters of likelihood is as follows.

a. Significant increase in imports

104. There has been significant increase in imports from the subject country in the POI as compared to the previous year with steep decline in prices. A significant increase in imports during the POI, indicates likelihood of substantially increased imports in the event of cessation of duty.

b. Continued subsidisation of the subject goods by the Government of China

105. The Authority holds that there is a continued subsidisation of the subject goods from the subject country in spite of the duty in force. Continued subsidisation during the existence of duties indicates the likelihood of continuation of subsidies. The Authority notes that in case of cessation of anti-subsidy duty, the imports from the subject country are likely to increase. Further, such imports will remain at a price lower than the cost of sales of the domestic industry and is hence likely to cause injury to the domestic industry.

c. Significant new subsidies brought by the domestic industry that were not investigated in the original investigation, but whose existence has been established in subsequent investigations in the past.

106. The domestic industry has brought on record significant new subsidies that were not investigated in the original investigation, but whose existence has been established in subsequent investigations in the past. Even though the Authority has not investigated these schemes following the principles of judicial economy and considering that the injury margin claimed by the domestic industry itself is lower than the CVD margin earlier quantified in the original investigation, nevertheless, the existence of these schemes establishes the likelihood of continuation of subsidies to the Chinese saccharine producers.

d. Significant price undercutting.

107. The price undercutting with and without existing CVD is positive. Further, the price undercutting without CVD is significantly positive in the period of investigation. Therefore, cessation of CVD is likely to intensify price undercutting and likely to increase demand for the product under consideration in the Indian market.

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***	***	***
Indexed		100	105	114	111
Landed Price	Rs/MT	4,59,854	5,89,885	5,47,712	4,86,422
Indexed		100	123	109	107
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Indexed		100	37	130	126
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Indexed		100	30	119	118
Landed Price with CVD	Rs/MT	551,825	707,862	657,254	583,706
Indexed		100	128	119	106
Price Undercutting	Rs/MT	***	(***)	***	***
Indexed		100	(285)	22	193
Price Undercutting	%	***	(***)	***	***
Indexed		100	(222)	18	183

e. Surplus Capacities of producers in China PR

108. The Applicants have submitted that there are significant excess capacities of Saccharin in China PR. The Authority holds, that as per the evidence on record, the excess capacities could take away the entire Indian

demand. Further, since there are excess capacities in China PR, the producers in China are likely to export the subject goods to Indian in large quantities.

109. While none of the interested parties have responded and provided any verifiable evidence and information with regard to existing surplus capacities, the domestic industry has provided sufficient information of huge capacities with the producers in China and their high export orientation. It is seen that the capacity with individual producers in China is much more than the entire demand in India.
110. As per this Authority's finding in the SSR investigation of anti-dumping duties on Saccharin from China in 2017, the capacities of just three exporters in China were more than the Indian demand. The Applicants have further submitted evidence for capacities for two of those exporters. The table given below shows capacities at present.

Name of Exporter	Capacity (in MT)	
	ADD SSR Investigation (2017)	Present Investigation
Tianjin Chiangjie Chemical Co. Ltd.	3500	3500
M/s Kaifang Xinghua Fine Chemical Ltd*	15000	50,000

*Source: <http://www.kaifengchem.cn/index.html>

f. High Export orientation of the exporters in China

111. The evidence placed on record by the Applicants shows that Chinese producers are export oriented and the capacities possessed by them are for global market. It is seen that there is high export orientation of Chinese producers. Given below, the table shows the exports of the subject goods from the China to the world.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Volume (Exports)	MT	17,986	15,411	15,321	15,560

*Source: Trademap

112. The total exports of China can be seen to be around 15,500 MT in the POI. This volume is more than 6 times the volume of Indian demand.

g. Continued imports despite duties and circumvention duties

113. It is also noted that the significant import volume from China shifted to Thailand, due to Chinese exporters also circumventing duties by exporting the subject goods through Thailand, in order to circumvent duties on it. It is seen that the imports from China were significant until duties were imposed, after which the volume shifted to Thailand in 2021-22. In 2021-22, the volume of imports from China declined significantly. In 2022, after imposition of anti-circumvention duties on Thailand, imports from China began to increase, while that of Thailand reduced.

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Imports- China	MT	706	328	338	546
Imports- Thailand	MT	23	176	43	21

h. Third Country Injurious Exports

114. It was submitted by the Applicants that Chinese producers are exporting at an injurious price. The Applicants have brought on record evidence of volume of injurious and non-injurious exports. The volume and value of exports from China to various countries across the world were analysed, after which the exports that were made at a price below the non-injurious price were categorised as injurious.

Volume (MT)	Injurious	Non-Injurious	Total
	11,129	4,431	15,560

115. The Authority notes that close to 72% of the total exports from China are made at injurious prices.

i. Exports to India and Exports to RoW

116. As regards the submission of the Applicants that China is exporting to India at a lower average export price than other countries, the Authority notes the following:

Particulars	2020-21	2021-22	2022-23	POI
India	4,42,752.54	4,92,157.50	4,78,041.78	4,60,533.20
Other Countries	4,83,241.82	5,43,000.90	5,56,389.30	5,10,826.83

**Source: Trademap*

117. The table above shows that despite having imposed duties on the subject goods, the price at which the subject goods are being exported to India is significantly lower than the average export price to other countries. This would indicate that exports to India are being made at prices which are significantly lower than the average price for third countries.

j. Absorption of countervailing duty imposed

118. The Applicants submitted that Chinese producers continue to expand their capacities. The Applicants further have submitted that such expansion of capacities is despite the duties currently in force. The applicant has also submitted that Chinese producers have absorbed the duties imposed, as is established by the increased injury margin.

k. Conclusion on Likelihood

119. Even with the imposition of countervailing duty, the domestic injury has faced continued injury. Substantial increase in imports during POI establishes likelihood of increase in imports if the present duty is allowed to cease. The likelihood of injury is also established by continuation of subsidies to the Chinese producers, very significant exports from China to rest of the world at a price below non-injurious price of the domestic industry, significant capacity additions in China, existence of unutilised capacities over and above current, exports to India below the export price to other countries, significant price undercutting both with & without CVD further shows likelihood of substantial increase in imports in India in the event of cessation of countervailing duty.

M. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

M.1. Views of the other interested parties

120. The following submissions were made by the other interested parties regarding the Indian industry's interest and other issues:

- ADD investigation is taking place simultaneously. Imposition of both duties would lead to double penalisation and will be against principle of fair trade.
- In M/s. Bhushan Steel Ltd. vs. Union of India (2012), the CESTAT held that both duties should not overlap and must be applied distinctly based on the nature of the distortion.
- Both investigations pertain to the same domestic industry and POI. Due to this overlap, both investigations should be considered together to avoid conflicting outcome and prevent one finding from influencing the other.
- The Authority should conclude both ADD and CVD investigations concurrently and facilitate comprehensive evaluation of dumping and subsidy margins.

- e. Saccharin is an invaluable tool for diabetic patients. It is a necessary product for large number of low-end consumers.
- f. Imposition of anti-subsidy duty would not be in public interest due to rise in number of diabetic patients in India.
- g. Indian industry cannot fulfil growing demand making imports imperative for ensuring adequate supply for diabetic individuals.
- h. Saccharin plays a vital role in public health. Protective measures could lead to higher prices and make it less accessible.

M.2. Views of the domestic industry

121. The following submissions were made by the domestic industry regarding the Indian industry's interest and other issues:
- a. The imposition of countervailing duties is essential to level the playing field and allow the Indian producers who are majorly in the MSME segment, a fair chance.
 - b. The absence of a healthy Indian industry would make the Indian market entirely dominated by Chinese imports, which will defeat the concept of the Make in India initiative of the Government of India.
 - c. The subsidised imports are causing significant injury to the domestic industry and continuation of countervailing duties is essential to ensure a level playing field in the Indian market and continue the viability of domestic production of the like article, and prevent import reliance.
 - d. It is in the interest of the public at large to have strong, competitive, domestic production of the product.
 - e. The domestic industry is partly in the MSME sector and has been suffering due to the unfair imports from the subject country.
 - f. Saccharin in its production generates three important by-products which are used extensively in the pharmaceutical industry as well as the pigment industry. Thus, continuation of duties would be in interest of other industries.

M.3. Examination by the Authority

122. The Authority recognizes that the imposition of countervailing duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of countervailing duty. On the contrary, imposition of anti-subsidy measures removed the unfair advantages gained by subsidization, prevent the deterioration of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of countervailing duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practice of subsidy so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of countervailing duty, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. It would not restrict imports from the subject country in any way.
123. The Authority issued gazette notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers, and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the importers and consumers to provide relevant information with regard to present investigations, including possible effect of countervailing duty on their operations.
124. Even though the Authority has prescribed formats for the users to quantify the impact of countervailing duty and elaborate how the extension of countervailing duty shall adversely impact them, barring domestic industry, none of the interested parties have provided relevant information. It is thus, noted that the interested parties have not established, with verifiable information, any adverse impact of extending the countervailing duty on the user industry.

125. The Authority notes that the response to the economic interest questionnaire was furnished only by the domestic industry. None of the consumers or traders of the subject goods have participated in the present investigations, nor furnished a response to the economic interest questionnaire. Furthermore, it is noted that no party has presented any evidence to show significant adverse effect of the duties in force.
126. The domestic industry has highlighted that the consumers are not adversely impacted by the duties, as the same have very insignificant impact. The impact on the consumer has been calculated on toothpaste, as an illustration. Taking the consumption of Saccharin as 0.002 grams in every 100 grams of toothpaste, as per the SION, the impact of the duty comes to merely 0.06%.
127. Even if it is considered that the extension of countervailing duty might affect the price levels of the subject goods, the impact of the duty on the consumer shall be negligible. Further, fair competition in the Indian market will not be reduced by countervailing duty, particularly if the levy of the countervailing duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. The objective of imposition of countervailing duty is to remove the unfair advantage gained by provision of subsidy to exporters in the subject country; to prevent the injury to the domestic industry and to help maintain the availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
128. The Authority further holds that the continuation of countervailing duty will not lead to scarcity of the subject goods in India. It is noted that countervailing duty does not restrict imports but ensures that imports are available at fair prices. The domestic industry is holding unutilised production capacities exceeding the current volume of imports. The domestic industry has significant exports of the product. The continuation of duty would not affect the availability of the product in the market. In any case, the combined capacities of the Indian industry are more than the demand in India, thereby ensuring that there remains sufficient supply in the country.
129. Continuation of countervailing duty will not lead to any unfair trade practices as there are a number of producers of the PUC in India that are inter-se competing in the market.
130. The Authority further notes that the recommendation for imposition of duty is made only when the requisite legal requirements are met. From the information on record, it is also noted that the impact of countervailing duty is negligible to the consumers of the product under consideration, and the Authority is of the view that the imposition of countervailing duty will be in public interest.

N. POST DISCLOSURE COMMENTS

N.1 Views of the other interested parties

131. The following comments were submitted by the other interested parties with regard to the disclosure statement:

- a. The Authority has inadvertently/wrongly noted that the Shanghai Fortune has requested for an individual subsidy margin.
- b. The respondent has requested the Authority to recommend a reference price form of countervailing duty.

N.2 Views of the domestic industry

132. The following comments were submitted by the domestic industry with regard to the disclosure statement:

- a. The domestic industry has submitted that the demand for the subject goods declined from the base year to 2022-23 and then saw an increase in the POI.
- b. There does not exist a demand supply gap in the nation, and despite sufficient capacity and imposition of measures, yet the imports from China remain significant.
- c. The subject imports were at a high level in the base year and then declined in 2021-22 as they were being circumvented from Thailand. After the duties were extended to Thailand, the imports from China remained significant and increased in the POI, occupying almost 20% of the Indian market despite current duties.
- d. Imports have been undercutting the prices of the domestic industry as landed prices have declined significantly and remains below the selling prices of the domestic industry. Cost of sales increased in the POI whereas selling price decreased. The landed price of imports is below both costs and selling price.
- e. Capacity of the domestic industry is constant over the injury period, while the production and capacity utilization of the domestic industry have declined since 2021-22.
- f. Domestic sales of the domestic industry increased till 2021-22, declined in 2022-23 and showed a marginal increase in the POI.
- g. Market share of the domestic industry has declined due to the increased imports and subsequent increase in the market share of imports.
- h. The domestic industry started suffering losses since imports began from Thailand, with Thai imports undercutting the prices of the domestic industry. After duties were extended to Thailand, the losses of the domestic industry reduced in 2022-23. The Chinese exporters then started absorbing the duties imposed, causing intensified losses in the POI.
- i. Average inventory of the domestic industry increased in the POI as compared to the previous year, despite a decline in production.
- j. Subsidies have continued in China which is proved through the evidence provided by the domestic industry such as Chinese legislations, the 14th five-year plan, and other relevant notifications.
- k. There has been a significant investment in establishing the saccharin industry in the nation, with even MSME companies being part of the Indian industry. The same also generates significant employment.
- l. Downstream users of the subject goods use a very small portion of the subject goods.
- m. The NIP computed by the investigation appears to be unduly low when compared to the actual cost of the domestic industry. Applicants request that the methodology for the determination of the NIP should be the same as of the original investigation.
- n. Having a domestic source of supply is a step towards making India self-reliant Atma Nirbhar. It is important for the consumers to have a stable, healthy, and reliant source of domestic supply. The Indian producers would prioritise the needs of the domestic consumers as opposed to foreign producers who might shift their focus to other countries for profit maximization.

N.3 Examination by the Authority

133. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties and notes that the majority of the comments are reiterations which have already been suitably examined and adequately addressed in the relevant paras of the final findings. The same is not being repeated in this post-disclosure examination by the Authority for the sake of brevity. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.

134. The Authority notes that Shanghai Fortune has not sought individual duty. With respect to the argument of the exporter that a reference price of duty is to be applied due to the higher landed price, the exporter has simply quoted the landed price provided by the applicants to demonstrate the high price of imports, which they claim justifies a reference price. However, it is noted that the landed price of imports actually decreased during the POI and is below the domestic industry's selling price and cost of sales. Therefore, the exporter's argument is without merit and the request for a reference price cannot be accepted, particularly in light of the fact that the cost of sales has increased by ***% during the injury period.
135. With respect to the contention raised by the domestic industry on non-injurious price (NIP), the Authority notes that the NIP of the product under consideration is calculated in accordance with the provisions of Annexure III of the Anti-dumping (AD) Rules 1995 which provides the best utilization of raw materials, utilities, and capacity utilization by the constituents of the domestic industry, over the past three years period and the POI and at the POI rates may be considered to nullify injury if any, caused to the domestic industry by inefficient utilization of raw materials, utilities and capacity utilization.

O. CONCLUSION

136. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and on the basis of above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of subsidisation and injury to the domestic industry, the Authority concludes as follows:
- i. The Chinese Government (GOC) has not provided any evidence nor disputed the existence of programs mentioned in the application. The GOC has neither responded to the questionnaire nor provided any relevant information.
 - ii. The product under consideration is "Saccharin in all its forms" as defined in the original investigation, including saccharin salt or salt of saccharin, sodium saccharin, insoluble saccharin, saccharin acid. All forms of saccharin fall within the scope of the product under consideration.
 - iii. The Authority recognizes that the Applicants constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and meets the criteria for standing as per Rule 5(3). The collective output of the two companies constitutes major proportion of the total domestic production.
 - iv. The Authority is satisfied with the confidentiality claim made by the interested parties and has accepted them.
 - v. The Authority considers that the question of a dual remedy arises only if both anti-dumping duty and countervailing duty are being recommended, and therefore possibility of dual remedy does not arise in extension of countervailing duty. The possibility will be appropriately considered by the Authority during the anti-dumping investigation and if the Authority decides to recommend imposition of ADD.
 - vi. Due to the lack of meaningful information from the Chinese Government or exporters, the Authority has examined the continuation of schemes by relying on information on records and has found that these countervailable schemes continue to benefit the production & export of the product from China.
 - vii. The participating exporter has chosen not to provide information on various schemes, and the exporter and other interested parties have not refuted the domestic industry's claims regarding continuation of these schemes.
 - viii. The Authority finds that the GOC has not disputed the claim of the domestic industry about continuation of various schemes and has not provided information and evidence to contradict previous conclusions of the Authority about these schemes.

- ix. The Authority has placed reliance on previous investigations and current records to assess the continuity of schemes deemed countervailable in the original investigation.
- x. After reviewing relevant documents and various provisions relating to various schemes, the Authority concludes that the schemes continue to confer benefits to Chinese exporters. In view of non cooperation and participation by the Chinese Government, the Authority considers the same quantum of benefit continues as in the original investigation.
- xi. For the 34 new subsidy schemes alleged by the domestic industry, the Authority notes that the Chinese Government and Chinese producers/ exporters have not provided relevant information to refute the claims of the domestic industry. However, the Authority notes that the countervailing duty margin determined in the original investigation is materially higher than the injury margin determined in the present investigation. Therefore, in the interest of judicial economy, the Authority has considered it appropriate not to examine these new subsidy schemes brought on record by the domestic industry.
- xii. The demand for the subject goods increased from the base year 2021-22, declined in 2022-23, then increased during the period of investigation.
- xiii. Imports from the subject country declined in 2021-22 when goods were circumvented through Thailand, but these imports still dominate total imports into India.
- xiv. The Authority notes that imports shall cause significant price undercutting in the absence of existing CVD. Further, imports are likely to cause significant suppressing and depressing effect on the domestic industry prices.
- xv. The domestic industry's capacity has remained constant, with production and capacity utilization increasing in 2021-22, then decreasing in 2022-23 and further in the period of investigation. Domestic sales followed a similar trend, with a slight increase in the period of investigation.
- xvi. The market share of subject imports declined in 2021-22 due to circumvention through Thailand but increased in 2022-23 and the period of investigation, reducing the domestic industry's share in POI, despite declines in non-subject country imports.
- xvii. The domestic industry experienced losses in 2021-22 due to circumvention through Thailand. After duties were extended to imports from Thailand in 2022-23, losses declined. However, the losses suffered by the domestic industry again increased in the POI. The profitability of the domestic industry is expected to deteriorate further, if the countervailing duty is removed.
- xviii. The average inventory of the domestic industry has increased significantly during the injury period.
- xix. The growth of the domestic industry is negative when considering volume and price parameters.
- xx. There is a likelihood of injury to the domestic industry in the event of cessation of present countervailing duty, as established by the following factors:
 - a. No other factors have injured the domestic industry. Imports from non-subject countries are minimal and higher priced, with no changes in demand patterns or quality issues contributing to the losses.
 - b. Significant increase in imports during the period of investigation indicate a likelihood of substantially increased imports, if duties are removed.
 - c. Continued subsidization during the existence of duties suggests that subsidies are likely to continue.
 - d. New subsidy schemes indicate the likelihood of ongoing subsidies to Chinese producers.

- e. Significant price undercutting without CVD during the period of investigation suggests that ending CVD would increase price undercutting and import in the Indian market.
- f. China's total exports, around 15,500 MT during the period of investigation, are more than six times the volume of Indian demand.
- g. Close to 72% of total Chinese exports to third countries are made at injurious prices.
- h. Despite duties, exports to India are priced significantly lower than for other countries.
- i. Countervailing duties aim to eliminate injury caused by unfair trade practices and restore fair competition in the Indian market and not restrict imports.

xxi. The Authority had prescribed an economic interest questionnaire which was sent to all interested parties to this investigation. None of the interested parties, except the domestic industry, have responded to the economic interest questionnaire. The domestic industry has also provided a quantification of the potential impact of the duty. The Authority has quantified the impact of the countervailing duty on the consumers, and found that the impact of the CVD on the consumers is miniscule.

P. RECOMMENDATIONS

137. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to them to provide information on the aspect of subsidies, injury, causal link, likelihood of continuation/recurrence of subsidisation and injury and impact of recommended measures. Having initiated and conducted the investigation in terms of the provisions of sunset review investigations as laid down under the Countervailing Duty Rules, the Authority has reached a conclusion that the duty imposed on subject goods is required to be extended further. Accordingly, the Authority recommends extension of countervailing duties on imports of the product under consideration from the subject country.
138. In view of the above, the Authority recommends an extension of definitive countervailing duties on the import of the subject goods originating in or exported from China PR as indicated in Col 6 of the duty table below, for a period of 5 years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government.

Duty Table

S.No.	Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin/Export	Producer	Duty amount as % of CIF Value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2925 11 00	Saccharin in all its forms	China	Any	20%

Q. FURTHER PROCEDURE

139. An appeal against the determination of the Authority in these final findings shall lie before the Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Customs Tariff Act.

DARPAN JAIN, Designated Authority